वार्षिक रिपोर्ट

2007-2008

सत्यमेव जयते

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार

9th AUTO EXPO
2008
The Complete Automotive Show
2008
CII
SIAM
ACMA
Mobility4all
New Delhi
9th AUTO EXPO
2008
The Complete Automotive Show

वार्षिक रिपोर्ट
2007-2008

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 011

वेबसाइट: dhi.nic.in / dpe.nic.in

विषय सूची

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

		पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	7
2.	उपलब्धियां और पहलें	10

भारी उद्योग विभाग

1.	एक रूपरेखा	17
2.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम	22
3.	भारी विद्युत, भारी इंजीनियरिंग और मशीन टूल उद्योग	33
4.	ऑटोमोटिव उद्योग	39
5.	प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास	46
6.	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./विकलांग/अल्पसंख्यकों का कल्याण	56
7.	महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण	57
8.	सतर्कता	58
9.	हिंदी का प्रगामी प्रयोग	59
	अनुबंध (I-XII)	60–71
	संकेताक्षर	72

लोक उद्यम विभाग

1.	लोक उद्यम सर्वेक्षण	77
2.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता	79
3.	नैगम अभिशासन	85
4.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली	88
5.	मानव संसाधन विकास	93
6.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए सहायक सेवाएं	98
7.	मजदूरी नीति एवं जनशक्ति यौक्तिकीकरण	100
8.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण	104
9.	सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)	105
10.	परामर्श, पुन:प्रशिक्षण और पुन:नियोजन योजना (सीआरआर)	107
11.	राजभाषा नीति	109
12.	महिलाओं का कल्याण	110
	परिशिष्ट (I-VIII)	111–124

अनुबंध (I-XII)

		पृष्ठ संख्या
I.	भारी उद्योग विभाग को कार्य का आवंटन	60
II.	भारी उद्योग विभाग का संगठन	61
III.	भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बारे में सामान्य सूचना	62
IV.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में दिनांक 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. सहित नियोजन की स्थिति	63
V.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का उत्पादन कार्यनिष्पादन	64
VI.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का कर-पूर्व लाभ (+)/ हानि (-)	65
VII.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कुल कारोबार की प्रतिशतता के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय	66
VIII.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आर्डर बुक की स्थिति	67
IX.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निर्यात निष्पादन	68
X.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के दिनांक 31.03.2007 (अनन्तिम) की यथास्थिति चुकता पूंजी, निवल मूल्य और संचयी लाभ (+)/ हानि (-)	69
XI.	पुनरूद्धार/पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत निविष्टियां	70
XII.	नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट, 2007 में महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन	71

परिशिष्ट (I-VIII)

I.	लोक उद्यम विभाग का संगठन	111
II.	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संयुक्त अंक (2006-07)	112
III.	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम, जिन्होने वर्ष 2006-07 के लिए समझौता ज्ञापन कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की	115
IV.	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम, जिन्होंने वर्ष 2007-08 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया	116
V.	वर्ष 2006-07 के लिए समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार (समूह-वार)	118
VI.	दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 की यथास्थिति केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की अनुसूची-वार सूची	119
VII.	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सूची, जिनके प्रस्तावों का बीआरपीएसई द्वारा स्वीकृति दी गई है	122
VIII.	प्रचालनात्मक नोडल एजेंसियों की सूची	124

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

1.	प्रस्तावना	7
2.	उपलब्धियां और पहलें	10

अध्याय 1

प्रस्तावना

मंत्रालय

1.1 मंत्रालय, जिसमें भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग शामिल हैं, केन्द्रीय मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) के प्रभाराधीन कार्य करता है, जिसकी सहायता राज्य मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) द्वारा की जाती है। मंत्रालय देश में पूंजीगत सामग्री और इंजीनियरी उद्योग के विकास और वृद्धि का संवर्धन करने, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए नीतिगत निर्देश बनाने और 48 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का प्रशासनिक कार्य देखने पर ध्यान केन्द्रित करता है।

भारी उद्योग विभाग

1.2 भारी उद्योग विभाग इंजीनियरी उद्योग यथा मशीन टूल उद्योग, भारी बिजली उद्योग, औद्योगिक मशीनरी और ऑटो उद्योग के विकास का कार्य देखता है तथा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों को प्रशासित करता है। भारी उद्योग विभाग के कार्य का आबंटन अनुबंध-I में दिया गया है। इस विभाग द्वारा शामिल उद्योग विद्युत, रेल, परिवहन, पूंजीगत सामग्री सहित अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को सामग्रियों और सेवाएं प्रदान करते हैं। मंत्रालय मशीन निर्माण उद्योग की भी देख रेख करता है और इस्पात, अलौह धातुओं, उर्वरक, तेल शोधक कारखानों, पेट्रोरसायन, नौवहन, कागज, सीमेंट, चीनी आदि जैसे बुनियादी उद्योगों के लिए उपस्कर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह विभाग कास्टिंग, फोर्जिंग, डीजल इंजनों, औद्योगिक गियर्स और गियर बाक्सों जैसे मध्यस्थ इंजीनियरिंग उत्पादों की एक विस्तृत श्रेणी के विकास में सहायता प्रदान करता है। यह विभाग निम्नलिखित को भी प्रशासित करता है:

(i) राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के कार्यान्वयन में स्थापित नेट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नैटिस);

(ii) फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड़,

(iii) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), और

(iv) फोर्जिंग इंडस्ट्री रिसर्च इस्टीट्यूट ऑफ इंडिया

1.3 विभाग विभिन्न उद्योग संघों के साथ निरंतर परामर्श करता हैं और उद्योग के विकास के लिए पहलों को प्रोत्साहित करता है। विभाग नीतिगत पहलों, टैरिफ और व्यापार के पुनर्गठन के लिए उचित हस्तक्षेप, प्रौद्योगिकीय सहयोग का संवर्धन और उन्नयन तथा अनुसंधान और विकास आदि के माध्यम से उद्योगों की विकास योजनाओं की प्राप्ति में भी उनकी सहायता करता है।

1.4 विभाग के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम इंजीनियरी/पूंजीगत सामग्रियों के विनिर्माण, परामर्श और संविदा सेवाओं में संलग्न हैं। विभाग के अधीन उद्यम मशीन टूल, औद्योगिक मशीनरी, बॉयलर, गैस/स्टीम/हाइड्रो टर्बाइन, टर्बो जेनरेटर, विद्युत उपस्कर और रेलवे ट्रैक्शन उपकरण, प्रेशर वेसल्स, एसी रेल इंजन, प्राइम मूवर्स, और कृषि के लिए ट्रैक्टरो, घड़ियां, कागज़, टायर और नमक जैसे उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं।

1.5 भारी उद्योग विभाग का नेतृत्व भारत सरकार के सचिव द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता अपर सचिव, दो संयुक्त सचिव एवं आर्थिक सलाहकार, तकनीकी स्कंध और एकीकृत वित्त स्कंध द्वारा की जाती है। विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध-II में दिया गया है।

लोक उद्यम विभाग (लोउवि)

1.6 तीसरी लोकसभा (1962-67) की प्राक्कलन समिति ने अपनी 52वीं रिपोर्ट में एक ऐसे केन्द्रीयकृत समन्वयकारी

एकक की स्थापना पर बल दिया था, जो सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का निरंतर मूल्यांकन कर सके। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 1965 में सरकारी उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की स्थापना की गई। सितम्बर, 1985 में संघ सरकार में मंत्रालयों/विभागों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बीपीई को उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा बना दिया गया। मई 1990 में बीपीई को एक पूर्ण विभाग बना दिया गया और अब इसे लोक उद्यम विभाग (लोउवि) के रूप में जाना जाता है। इस समय यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का एक हिस्सा है।

1.7 लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए एक नोडल विभाग है तथा अर्थव्यवस्था में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की भूमिका संबंधी नीति के प्रतिपादन में सहायता करता है और साथ ही उनके कार्य-निष्पादन में सुधार एवं मूल्यांकन, स्वायत्तता और वित्तीय प्रत्यायोजन, कार्मिक प्रबंध और संबंधित अन्य क्षेत्रों में नीतिगत दिशानिर्देश भी तैयार करता है। यह सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित कई प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन और अनुरक्षण करने का कार्य भी करता है। लोक उद्यम विभाग प्रशासनिक मंत्रालय तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बीच अन्तरापृष्ठ भी प्रदान करता है।

1.8 राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) एक सुदृढ़ और प्रभावी सरकारी क्षेत्र की संकल्पना करता है। इसने रूग्ण और घाटा उठा रहे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आमूल-चूल परिवर्तन पर अत्यधिक बल दिया है। तदनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ रूग्ण/घाटा उठा रहे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरूद्धार/पुनर्गठन प्रस्तावों पर विचार करने और उससे संबद्ध उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए लोक उद्यम विभाग के प्रशासनिक प्रभाराधीन सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की स्थापना दिसम्बर, 2004 में की गई।

1.9 सरकार की कार्य आबंटन नियमावली के अनुसार लोक उद्यम विभाग को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए है:

- सरकारी क्षेत्र के सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक उपक्रमों को प्रभावित करने वाले गैर वित्तीय स्वरूप की सामान्य नीति से संबंधित मुद्दों का समन्वयन।
- सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन प्रणाली से संबंधित मुद्दे।
- सरकारी उद्यमों के लिए स्थायी मध्यस्थता तंत्र से संबंधित मुद्दे।
- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को परामर्श, पुन: प्रशिक्षण देने तथा उनका पुनर्नियोजन करने से संबंधित मुद्दे।

1.10 लोक उद्यम विभाग तदनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबद्ध नीतियां बनाने और उनसे संबंधित मामलों पर विभिन्न दिशानिर्देश तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी भूमिका पूरी करने में विभाग अन्य मंत्रालयों, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और संबंधित संगठनों के साथ समन्वय करता है। विभाग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य नीचे सूचीबद्ध हैं:-

- सरकारी उद्यमों से संबंधित गैर-वित्तीय प्रकृति की सामान्य नीति के मामलों का समन्वय।
- सरकारी उद्यमों को राष्ट्रपति के निर्देश और दिशानिर्देश जारी करने से संबंधित मुद्दे।
- निदेशक मंडल की संरचना, कार्मिक प्रबन्ध, कार्यनिष्पादन सुधार वित्तीय प्रबन्ध, मजदूरी निपटारा और सतर्कता प्रबंध आदि जैसे क्षेत्रों में सरकारी उद्यमों से संबंधित नीतिया बनाना।
- नवरत्न/मिनीरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का अधिष्ठापन।
- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में क्रय अधिमानता नीति से संबंधित मुद्दे।
- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल की संरचना, शीर्ष पदों के श्रेणीकरण; केंद्रीय सरकारी उद्यमों के अनुसूचीकरण से संबंधित नीतिगत मुद्दे।
- आवधिक अंतरालों पर निदेशक मंडल के कार्यपालकों तथा साथ ही निदेशक मंडल के स्तर से नीचे के कार्मिकों और यूनियन से जुड़े कामगारों के वेतनमान और उस पर स्वीकार्य महंगाई भत्ते की अधिसूचना।
- सरकारी उद्यमों में सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित नीति।
- लोक उद्यम सर्वेक्षण के रूप में ज्ञात केंद्रीय सरकारी उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण प्रकाशित करना।
- सरकारी उद्यमों और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के बीच समझौता ज्ञापन।
- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबद्ध नीति।
- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुन: प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन

योजना (सीआरआर) से संबंधित मुद्दे।

- सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) से संबंधित मुद्दे।
- नागरिकों के कतिपय वर्गों के लिए सरकारी उद्यमों में पदों के आरक्षण से संबंधित मुद्दे।
- कर संबंधी मुद्दों से संबंधित विवादों को छोड़कर सरकारी उद्यमों और सरकारी उद्यमों तथा सरकारी विभागों के बीच स्थायी मध्यस्थता तंत्र के माध्यम से विवादों का समाधान।
- अंतर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई) से संबंधित मुद्दे।
- सरकारी उद्यम स्थायी सम्मेलन से संबंधित मुद्दे।
- निदेशक मंडल को शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित मुद्दे।

1.11 लोक उद्यम विभाग भारत सरकार के सचिव के नेतृत्व में कार्य करता है, जिनकी सहायता 127 अधिकारियों/कार्मिकों की समग्र स्वीकृत संख्या सहित एक स्थापना द्वारा की जाती है। लोक उद्यम विभाग की संगठनात्मक संरचना परिशिष्ट–I में है।

अध्याय 2

उपलब्धियां और पहलें

2.01 माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 31 अगस्त, 2007 को महाराष्ट्र के तारापुर में "भेल" द्वारा विनिर्मित और चालू किए गए देश के उच्चतम रेटिंग वाले विद्युत उत्पादन उपस्कर से सज्जित 1080 मेगावाट का न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र (2X540 मेगावाट) राष्ट्र को समर्पित किया।

माननीय प्रधानमंत्री ने बीएचईएल सेटों से सुसज्जित 2x540 मेगावाट तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया

2.02 देश के विद्युत क्षमता वृद्धि लक्ष्यों की पूर्ति करने और "वर्ष 2012 तक सभी को विद्युत" प्रदान करने के लिए स्वयं को तैयार करने हेतु "भेल" ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4800 करोड़ रुपए के कुल निवेश से वर्ष 2009 तक अपनी विनिर्माण क्षमता प्रति वर्ष 6000 मेगावाट से 15000 मेगावाट तक बढ़ाने की एक योजना बनाई है। "भेल" ने दिनांक 31.12.2007 की यथास्थिति 10000 मेगावाट विद्युत उपस्कर क्षमता प्राप्त कर ली है।

2.03 अपने विनिर्माण क्षमता विस्तार कार्यक्रम के भाग के रूप में "भेल" 306 करोड़ रुपए के निवेश से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर में (i) एक नया निर्माण संयंत्र और (ii) केंद्रीय स्टाम्पिंग इकाई स्थापित कर रहा है। इन नई सुविधाओं की आधारशिला दिनांक 2 दिसम्बर, 2007 को माननीय संसद सदस्य, श्री राहुल गांधी द्वारा रखी गई थी।

2.04 विद्युत क्षेत्र में दो नवरत्न केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सुदृढ़ता को सहक्रियात्मक बनाने के लिए लक्षित "भेल" और एनटीपीसी ने विद्युत क्षेत्र में इंजीनियरी, अधिप्राप्ति और निर्माण (ईपीसी) कार्यकलाप करने के लिए 50:50 इक्विटी भागीदारी आधार पर एक संयुक्त उपक्रम गठित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

2.05 भारत से विद्युत संयंत्र उपस्कर और परियोजनाओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु विद्युत संयंत्र उपस्कर और परियोजनाओं के निर्यात के संवर्धन हेतु ''भेल'' और एमएमटीसी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

2.06 ''भेल'' ने विश्व के लगभग 70 देशों में विस्तारित सभी छः बसे हुए महादेशों में अपना अस्तित्व स्थापित किया है और इसकी तकनीकी दक्षता को विश्वव्यापी सराहना प्राप्त हुई है। कंपनी ने पिछले पांच वर्षों के दौरान 1275 करोड़ रुपए के औसत वार्षिक ऑर्डर बुकिंग की तुलना में वर्ष 2006-07 में 1903 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात ऑर्डर बुक किया।

2.07 ''भेल'' ने लगभग 8500 करोड़ रुपए के कुल पूंजी परिव्यय से तमिलनाडु में पहली 2x800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए एक

''भेल'' ने चेन्नई में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए संयुक्त उपक्रम हेतु टीएनईबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

संयुक्त उपक्रम के गठन हेतु तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

2.08 ''भेल'' के विद्युत उत्पादन सेटो जिन्होंने विद्युत की 432.81 बिलियन यूनिट का रिकार्ड उत्पादन किया, के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के परिणामस्वरूप देश में विद्युत उत्पादन को राजकोषीय वर्ष 2006-07 के दौरान बढ़ावा मिला और इसने विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने में पर्याप्त रूप से योगदान दिया है। ''भेल'' के थर्मल सेटों ने अब तक का सबसे अधिक 90% से अधिक संयंत्र भार अनुपात (पीएलएफ) प्राप्त किया जबकि ''भेल'' निर्मित छः विभिन्न रेटिंग के थर्मल सेटों ने 100% के रिकॉर्ड पीएलएफ पर प्रचालन किया।

2.09 ''भेल'' ने वर्ष 2006-07 के दौरान आंतरिक अनुसंधान एवं विकास प्रयासों द्वारा विकसित उत्पादों और प्रणालियों के वाणिज्यीकरण के माध्यम से 2510 करोड़ रुपए का रिकार्ड कुल कारोबार प्राप्त किया, जो 18702 करोड़ रुपए के कुल कारोबार का लगभग 14% है।

2.10 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के कर्मचारियों ने उत्पादन और उत्पादकता, प्रौद्योगिकीय अभिनव परिवर्तनों, लागत में बचत, आयात प्रतिस्थापन और विदेशी मुद्रा की मूल्यवान बचत के लिए उल्लेखनीय योगदान देने हेतु व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले उच्चतम सम्मान, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार (2004) अधिकतम संख्या में प्राप्त किया है। वर्ष के लिए एकमात्र ''श्रम भूषण'' पुरस्कार भी ''भेल'' के एक कर्मचारी ने प्राप्त किया है। ये पुरस्कार दिनांक 27 अप्रैल, 2007 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किए गए।

प्रधानमंत्री ''भेल'' के कर्मचारी को श्रम भूषण पुरस्कार प्रदान करते हुए

2.11 इसके अतिरिक्त दीर्घतम दुर्घटना मुक्त अवधि के रूप में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए तीन राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार भी ''भेल'' के कर्मचारियों ने प्राप्त किए हैं।

2.12 ''भेल'' हरिद्वार के एक कर्मचारी, श्री खालिद जहीर, को सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2006 का देश के उच्चतम नागरिक पुरस्कारों में से एक ''पद्मश्री'' प्रदान किया गया

2.13 ''भेल'' को उल्लेखनीय निर्यात कार्यनिष्पादन के लिए लगातार सतरहवें वर्ष इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) का शीर्ष निर्यात पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार ''भेल'' को ''वर्ष 2005-06 में शीर्ष निष्पादक: परियोजना निर्यात-बड़ा उद्यम'' की श्रेणी में दिया गया था।

2.14 ''भेल'' को इसके प्रचालन के क्षेत्रों में सभी पैरामीटरों पर अभिलाभों सहित उसके आपवादिक उच्च वृद्धि के कार्यनिष्पादन के लिए ''बिजनेस स्टैंडर्ड शीर्ष सरकारी क्षेत्र कंपनी पुरस्कार-2006'' भी प्रदान किया गया है।

2.15 ''भेल'' के केन्द्रीय फाउन्ड्री फोर्ज संयंत्र, हरिद्वार ने उत्कृष्टता क लिए इंदिरा गांधी स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार के अधीन सर्वोत्तम ऊर्जा संरक्षण कार्यान्वयन स्वर्ण पुरस्कार 2005-06 प्राप्त किया।

2.16 ''भेल'' ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली देने के अधीन झारखंड में कोडरमा ताप विद्युत स्टेशन में प्रत्येक 500 मेगावाट की दो यूनिटें और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इस्पात ताप विद्युत स्टेशन में प्रत्येक 500 मेगावाट की यूनिटें स्थापित करने के लिए दामोदर घाटी निगम से 6500 करोड़ रुपए मूल्य की संविदा प्राप्त की है।

2.17 ''भेल'' ने अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से हरियाणा में उनकी स्थापित हो रही झज्जर सुपर ताप विद्युत परियोजना, जो चालू होने पर दिल्ली और हरियाणा ग्रिड को प्रतिदिन 36 मिलियन यूनिट बिजली वृद्धि करने की संकल्पना करती है, में प्रत्येक 500 मेगावाट के 3 सेट संस्थापित करने के लिए 2900 करोड़ रुपए मूल्य की एक बड़ी संविदा प्राप्त की है।

2.18 शीर्षस्थ यूरोपीय उपस्कर आपूर्तिकर्ता को बोली प्रक्रिया से बाहर करते हुए, ''भेल'' ने एनटीपीसी-तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड द्वारा तमिलनाडु के एन्नोर में स्थापित की जा रहीं उनकी वल्लूर ताप विद्युत परियोजना में प्रत्येक 500 मेगावाट की दो यूनिटों को शामिल करते हुए स्टीम जेनरेटर और स्टीम टर्बाइन पैकेज की आपूर्ति और संस्थापना के लिए दिए गए 1900 करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर भी प्राप्त किया है।

2.19 ''भेल'' ने एक चीनी बहुराष्ट्रीय कंपनी को बोली से बाहर करते हुए, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरटीएनएल) से उसके विजाग इस्पात संयंत्र में प्रति वर्ष 6.3 मिलियन टन की क्षमता बढ़ाने की चालू विस्तार परियोजना के भाग के रूप में टर्बो ब्लोअर पैकेज की संस्थापना के लिए 106 करोड़ रुपए मूल्य का एक ऑर्डर

भी प्राप्त किया है। ''भेल'' ने मैथन दांयातर ताप विद्युत परियोजना, झारखंड में स्टीम जेनरेटर और टर्बाइन पैकेज की आपूर्ति और संस्थापना के लिए 2108 करोड़ मूल्य का एक ऑर्डर भी प्राप्त किया है।

2.20 ''भेल'' ने प्रत्येक 422 मेगावाट की 2 गैस-टर्बाइन उत्पादक यूनिटों के लिए अल-घैल विद्युत एलएलसी, संयुक्त अरब अमीरात से 1500 मिलियन रुपए की निर्यात संविदा प्राप्त की है।

2.21 ''भेल'' ने वर्ष 2006-07 के लिए अब तक का सर्वाधिक इक्विटी के 245% का 600 करोड़ रुपए का लाभांश अदा किया है।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ''भेल'' केन्द्रीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री श्री संतोष मोहन देव को 198.9 करोड़ रुपए के अंतिम लाभांश का चेक प्रदान करते हुए

2.22 ''भेल'' ने ईआईडी पैरी (इंडिया) लिमिटेड के 18.5 मेगावाट के पुडुकोट्टई चीनी संयंत्र के स्टीम टर्बाइन जेनरेटर (एसटीजी) सेट को चालू करने पर ऑर्डर मूल्य के 6.5% का बोनस प्राप्त किया है। इसने ग्राहक को मूल्यह्रास और कराधान लाभों के लिए पात्र होने में समर्थ बनाया है।

2.23 एक वैश्विक सम्मेलन-फ्लोटेक-जी, 2007 का दिनांक 26 से 28 सितम्बर, 2007 तक एफसीआरआई द्वारा

केंद्रीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री, श्री संतोष मोहन देव सम्मेलन के विदाई समारोह में फ्लोटेक-जी के आगन्तुकों को संबोधित करते हुए

सफलतापूर्वक संचालन किया गया, जिसमें संपूर्ण विश्व से 350 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

2.24 9वां ऑटो एक्सपो नई दिल्ली में दिनांक 10 से 17 जनवरी, 2008 तक आयोजित किया गया था। इस प्रदर्शनी में लगभग 2000 प्रदर्शकों ने भाग लिया और टाटा की नेनो-एक लाख की कार सहित चार वैश्विक शुभारंभ सहित 25 शुभारंभ को एक्सपो में प्रदर्शित किया गया। 9वें ऑटो एक्सपो का कुल प्रदर्शन क्षेत्र 1,25,000 वर्ग फुट था, जिसने इसे शंघाई मोटरशो के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो बनाया। इस ऑटो एक्सपो ने 18 लाख से अधिक आगन्तुकों को आकर्षित किया।

2.25 श्री संतोष मोहन देव, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री ने 13 से 23 सितम्बर, 2007 तक आयोजित 62वें अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल ऑसेटलंग (आईएए-विश्व की सबसे बड़ी यात्री कार प्रदर्शनी) में मुख्य भाषण दिया। आईएए प्रदर्शनी के साथ भारत दिवस आयोजित किया गया था। मंत्री (भा.उ. और लो.उ.) के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल ने भारत दिवस संगोष्ठि में भाग लिया, जिसमें अन्य लोगों के अतिरिक्त डॉ. सुरजित मित्रा, तत्कालीन संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग और इस समय अपर सचिव, भारी उद्योग विभाग, अध्यक्ष, एसआईएएम; एसीएमए आदि शामिल थे। इसमें 300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस भ्रमण के दौरान वीडीए और एसीएमए के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था।

2.26 डॉ. सुरजित मित्रा, तत्कालीन संयुक्त सचिव और इस समय अपर सचिव, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय ने ड्रेस्डन, जर्मनी में दिनांक 19/20 नवम्बर, 2007 को आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय अनुकूल वाहन सम्मेलन में भाग लिया। डॉ. सुरजित मित्रा ने वर्ष 2009 में भारत में आगामी ईएफवी सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए बैटन प्राप्त किया। यह पहली बार है जब ईएफवी सम्मेलन जी-8 देशों से बाहर किसी अन्य देश में आयोजित होगा।

2.27 ऑटो संघटक उद्योग ने अपना उत्पादन वर्ष 2003-04 में लगभग 30,000 करोड़ रुपए के स्तर से दुगुना करते हुए वर्ष 2006-07 में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक किया ।

2.28 ऑटो संघटकों के निर्यात में वर्ष 2003-04 में पिछले चार वर्षों में लगभग 6000 करोड़ रुपए के स्तर से दुगुना होते हुए वर्ष 2006-07 में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक करते हुए वर्ष 2006-07 में 15% की वृद्धि हुई।

2.29 सरकार द्वारा नवम्बर, 2006 में 552.44 करोड़ रुपए की नकद राशि देकर एनपीपीसी का पुररूद्धार और उन्नयन अनुमोदित किया गया था। दिनांक 29 मई, 2007 को अपनी सुनवाई में बीआईएफआर ने एनपीपीसी को अपने अधिकार क्षेत्र से निर्मुक्त करने का निर्णय लिया, जिससे 27 महीने के भीतर अनुमोदित पुनरूद्धार और उन्नयन स्कीम के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

2.30 भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड को इलाहाबाद में न्याय क्षेत्राधिकार के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बेच दिया गया है। और उक्त कंपनी की चल और अचल परिसंपत्तियों का कब्ज़ा मई, 2007 माह में नीलामी क्रेता को सौंप दिया गया है। ऋणदाताओं को लाभांश के वितरण की कार्रवाई चल रही है।

2.31 सरकार ने इस निर्देश के साथ कि बीएचपीवी का मूल्यांकन स्थापित सिद्धांतों के आधार पर किया जाए और अगर अधिग्रहण व्यवहार्य नहीं पाया जाता तो मामले को वापस सरकार के पास लाया जाए। मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी) का ''सिद्धांतत:'' अधिग्रहण अनुमोदित किया गया है।

2.32 सरकार ने एक धारक कंपनी भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल) की बंदी/समापन को अनुमोदित कर दिया है।

2.33 ईपीआई ने वर्ष 2006-07 के लिए सरकार को 7.08 करोड़ रुपए का लाभांश अदा किया है। ईपीआई ने वर्ष 2007-08 के लिए अंतरिम लाभांश भी अदा किया है।

श्री संतोष मोहन देव, केंद्रीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईपीआई से लाभांश का चैक प्राप्त करते हुए

2.34 हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2006-07 के लिए 15.20 करोड़ रुपए का लाभांश अदा किया तथा सरकार को अधिमान शेयरों के लिए 10 करोड़ रुपए प्रेषित किया गया।

श्री संतोष मोहन देव, केंद्रीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री को लाभांश का चैक प्रदान करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एचपीसी

2.35 सरकार ने 3100 करोड़ रुपए की पूर्णता लागत पर जगदीशपुर में तीन लाख टन प्रति वर्ष वाली उत्तर प्रदेश पेपर मिल परियोजना की स्थापना के लिए हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है।

2.36 नेपा (स्वामित्व का विनिवेश) विधेयक, 2007 दिनांक 22.11.2007 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और उसे स्थायी समिति को भेजा गया है।

2.37 सरकार ने भारी उद्योग विभाग के अधीन के रूग्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यम टीसीआईएल में विनिवेश का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है, जो सरकारी क्षेत्र के उद्यम को निजी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम गठित करने की अनुमति देगा। संसद ने तत्पश्चात टीसीआईएल (स्वामित्व का विनिवेश) विधेयक, 2007 पारित किया है।

2.38 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए नैगम अधिशासन पर दिशानिर्देश वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 22 जून, 2007 को जारी किए गए। इस समारोह की अध्यक्षता भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री द्वारा की गई।

2.39 इसी समारोह के दौरान दिनांक 22 जून, 2007 को वित्तमंत्री द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और पावर फाइनेंस कारपोरेशन को नवरत्न का स्तर प्रदान करने के लिए दिनांक 22 जून, 2007 को आयोजित नवरत्न अधिष्ठापन समारोह में उपस्थित प्रतिष्ठित व्यक्तिगण

लिमिटेड और पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड को भी नवरत्न का स्तर प्रदान किया गया।

2.40 समझौता ज्ञापन पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने वर्ष 2006-07 से आगे के लिए समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए नए सिद्धांत अनुमोदित किए। नई प्रणाली के अधीन 12 समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार (समझौता ज्ञापन के मिश्रित अंकों के आधार पर प्रत्येक 10 सिंडिकेट में से एक, स्टॉक बाजार में सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन के लिए सूचीबद्ध केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में से एक और रूग्ण/घाटा उठा रहे सर्वोत्तम आमूल-चूल परिवर्तन करने वाले उद्यमों में से एक) होंगे।

2.41 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उद्यमों का आमूल-चूल परिवर्तन करने के दक्ष निदेशक मंडल स्तर के कार्यपालकों को आकर्षित करने और उन्हें पुनरूद्धार पैकेज को सफल बनाने के लिए कार्यकाल की निरंतरता प्रदान करने हेतु जुलाई, 2007 में अनुदेश जारी किए गए हैं, जिसके अधीन उनका कार्यकाल कतिपय शर्तों के अधीन उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बढ़ाया जा सकता है।

2.42 अपने प्रारंभ से लेकर अब तक सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) ने 54 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रस्तावों पर विचार किया है और दिसम्बर, 2007 तक 48 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं। सिफारिश किए गए 48 मामलों में से सरकार ने दिसम्बर, 2007 तक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 27 उद्यमों के पुररूत्थान और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 2 उद्यमों को बंद करने का अनुमोदन किया है।

भारी उद्योग विभाग
(डीएचआई)

		पृष्ठ संख्या
1.	एक रूपरेखा	17
2.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम	22
3.	भारी विद्युत, भारी इंजीनियरिंग और मशीन टूल उद्योग	33
4.	ऑटोमोटिव उद्योग	39
5.	प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास	46
6.	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./विकलांग/अल्पसंख्यकों का कल्याण	56
7.	महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण	57
8.	सतर्कता	58
9.	हिंदी का प्रगामी प्रयोग	59
	अनुबंध (I-XII)	60–71
	संकेताक्षर	72

अध्याय 1

एक रूपरेखा

1.1 उद्योग का कार्यनिष्पादन

वर्ष 2006-07 में प्राप्त 11.6% की वृद्धि की तुलना में उद्योग क्षेत्र ने अप्रैल-नवम्बर, 2007-08 की अवधि के दौरान 9.2% की वृद्धि (औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के रूप में मापित) दर्ज की। पूंजीगत सामग्री क्षेत्र, जिसने अप्रैल-नवम्बर, 2006-07 में 17.4% की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की, ने चालू वर्ष के दौरान भी अपनी वृद्धि की गति बनाई रखी। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अनुसार, पूंजीगत सामग्री क्षेत्र ने अप्रैल-नवम्बर, 2007-08 के दौरान 20.8% की वृद्धि दर्ज की। अप्रैल-नवम्बर, 2006-07 की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2007-08 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्तियां नीचे सारणी में दी गई हैं:

क्षेत्रवार वृद्धि दरें (% में)

	भार	2006-07 (अप्रैल-नवम्बर)	2006-07 (अप्रैल-नवम्बर)	2007-08 (अप्रैल-नवम्बर)
सामान्य	100.0	11.6	10.9	9.2
खनन और उत्खनन	10.5	5.4	4.2	4.9
विनिर्माण	79.4	12.5	11.8	9.8
विद्युत	10.2	7.2	7.3	7.0
प्रयोग-आधारित वर्गीकरण				
सामान्य	100.0	11.6	10.9	9.2
बुनियादी सामग्रियां	35.6	10.3	9.4	8.4
पूंजीगत सामग्रियां	9.3	18.2	17.4	20.8
मध्यवर्ती सामग्रियां	26.5	12.0	11.1	10.1
उपभोक्ता सामग्रियां	28.7	10.1	9.9	5.2
(i) टिकाऊ वस्तुएं	5.4	9.2	12.4	-1.7
(ii) गैर-टिकाऊ वस्तुएं	23.3	10.4	8.9	7.8

स्त्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

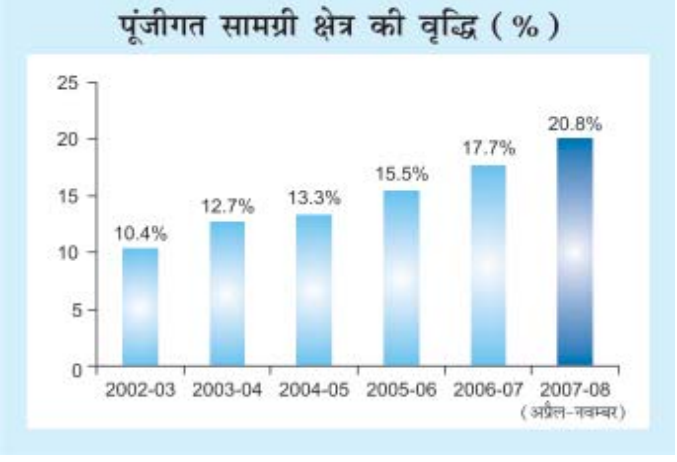

1.3 भारी उद्योग विभाग निम्नलिखित 19 औद्योगिक उप-क्षेत्रों से संबंधित कार्य करता है:

(i) बॉयलर
(ii) सीमेंट मशीनरी
(iii) डेयरी मशीनरी
(iv) विद्युत भट्ठी
(v) माल कन्टेनर
(vi) सामग्री प्रहस्तन उपस्कर
(vii) धातुकर्म मशीनरी
(viii) खनन मशीनरी
(ix) मशीन टूल
(x) तेल क्षेत्र उपस्कर
(xi) मुद्रण मशीनरी
(xii) लुगदी और कागज मशीनरी
(xiii) रबड़ मशीनरी
(xiv) स्विचगियर और कंट्रोल गियर
(xv) शंटिंग लोकोमोटिव
(xvi) चीनी मशीनरी
(xvii) टर्बाइन और जेनरेटर सेट
(xviii) ट्रांसफॉर्मर
(xix) वस्त्र मशीनरी

1.4 भारी उद्योग विभाग के अधीन कुछ उद्योगों का अप्रैल-नवम्बर, 2006-07 की अवधि की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2007-08 की अवधि के लिए उत्पादन और वृद्धि दरें नीचे दी गई हैं:

उद्योग	ईकाई	2006-07 (अप्रैल-नवम्बर)	2007-08 (अप्रैल-नवम्बर)	वृद्धि दर (%)
औद्योगिक मशीनरी	लाख रुपए	165758.67	227031.52	36.97
मशीन टूल	लाख रुपए	173127.12	178830.14	3.29
बॉयलर	लाख रुपए	302659.04	444265.17	46.79
टर्बाइन	लाख रुपए	66959.39	115110.98	71.91
विद्युत जेनरेटर	लाख रुपए	69130.34	79597.60	15.14
पावर वितरण ट्रांसफॉर्मर	मिलियन केवीए	44.14	42.32	-4.13
दूरसंचार केबल	मिलियन मीटर	5276.85	4567.64	-13.44
वाणिज्यिक वाहन	संख्या	325475	339458	4.30
यात्री कार	संख्या	793765	917343	15.57

स्त्रोत : औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

1.5 भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम

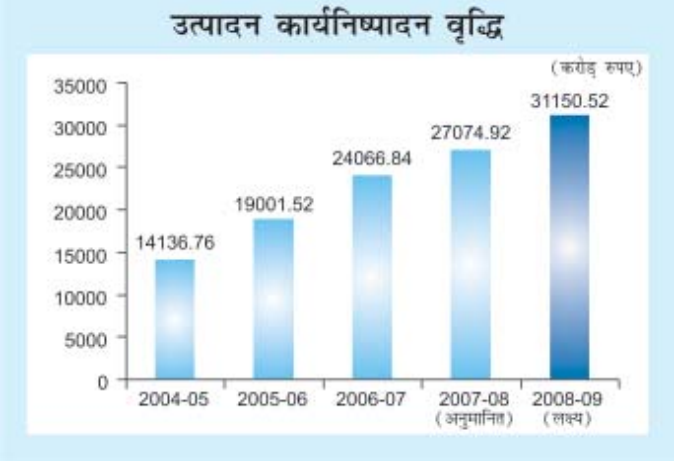

1.5.1 विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम विनिर्माण, परामर्श और संविदा सेवाओं में लगे हैं। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों में से केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 14 उद्यम या तो बंद हो गए हैं अथवा प्रचालनरत नहीं हैं, इस प्रकार विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 34 उद्यम रह जाते हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान केंद्रीय सरकारी क्षेत्र की 15 उद्यमों ने लाभ अर्जित किया और शेष 19 ने घाटा उठाया। वर्ष 2006-07 और 2007-08 (पूर्वानुमानित) में कुल कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

	2006-07	2007-08 (पूर्वानुमानित)
उत्पादन	24066.84	27074.92
लाभ(+)/हानि(-)	(+)2332.28	(+)2494.59

(सरकारी क्षेत्र उद्यम-वार ब्यौरे क्रमश: अनुबंध V और VI में उपलब्ध हैं)

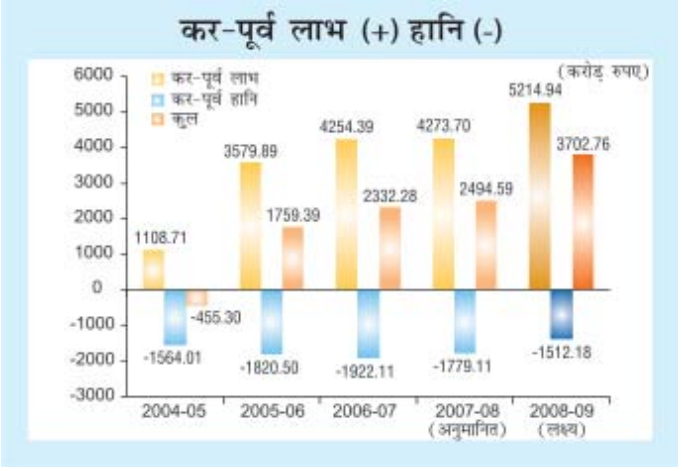

1.5.2 विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 14 उद्यमों, जो या तो बंद हो गए अथवा प्रचालनरत नहीं हैं, को छोड़कर केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों में कुल निवेश (सकल ब्लॉक) दिनांक 31 मार्च, 2007 की यथास्थिति लगभग 9589.30 करोड़ रुपए था। (अनुबंध-III)

1.5.3 विभाग नियमित आधार पर अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन का अनुवीक्षण करता है। विभाग इन उद्यमों और सरकार की अन्य एजेंसियों के बीच उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और उनकी ऑर्डर बुकिंग सुधारने के लिए दीर्घावधिक संपर्क स्थापित करने और मुख्य क्षेत्र के ग्राहकों को सामयिक आपूर्तियां सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

1.5.4 घाटा उठाने वाले उद्यम निविष्टियों की लागत आदि में वृद्धि के अतिरिक्त खराब ऑर्डर बुकिंग, कार्यशील पूंजी की कमी, अधिशेष मानवशक्ति और अप्रचलित संयंत्र और मशीनरी सहित कई कारकों से प्रभावित होते हैं। घाटा उठा रहे इन कई सरकारी उद्यमों की बड़े कार्यबल और उद्योग के मानदंडों से बहुत अधिक उपरिव्यय की समस्याएं हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, कुल कारोबार की प्रतिशतता के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय अनुबंध-VII में दिए गए हैं

1.5.5 अधिकांश सरकारी उद्यमों में ऑर्डर बुकिंग धीरे-धीरे, विशेषकर ''भेल'' के मामले में सुधर रहे हैं, जिसकी ऑर्डर बुकिंग लगभग 15,000 करोड़ रुपए से काफी सुधरकर पिछले चार वर्षों के दौरान लगभग 55,000 करोड़ रुपए हो गई है। प्रत्येक केंद्रीय सरकारी उद्यमों में ऑर्डर बुकिंग की स्थिति का ब्यौरा अनुबंध-VIII में दिया गया है।

1.5.6 निर्यात करने वाले मुख्य केंद्रीय सरकारी उद्यम ''भेल'' आईएल, एचपीसी और एचएमटी लिमिटेड है। भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी उद्यमों का निर्यात निष्पादन अनुबंध-IX में दिया गया है

1.5.7 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में इक्विटी के रूप में सरकार का निवेश 5034 करोड़ रुपए है। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के कई उद्यम अपना निवल मूल्य पार करते हुए पिछले कुछ वर्षों से घाटा उठा रहे हैं। सरकारी इक्विटी, निवल मूल्य और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों का संचयी घाटा/लाभ अनुबंध-X में दिया गया है

1.6 केंद्रीय सरकारी उद्यमों का पुनर्गठन

1.6.1 विभाग सरकार की सरकारी क्षेत्र की समग्र नीति के अनुरूप अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन करता है और उसे प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में रेखांकित सरकारी क्षेत्र की नीति के अनुसार लाभ अर्जित कर रही कम्पनियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करके सुदृढ़ किया जा रहा है और घाटा उठा रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर पुनरूद्धार/बंदी के लिए विचार किया जा रहा हैं। तदनुसार, सलाहकारों/केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के साथ परामर्श से विभाग के अधीन उन कंपनियों, जिसका पुनर्गठन और पुनरूद्धार किया जा सकता है, का पता लगाने के लिए नए सिरे से गौर किया गया है। सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) उन्हें भेजे गए भारी उद्योग विभाग के सभी 25 मामलों में अपनी सिफारिशें दे चुका है।

सरकार ने 1498 करोड़ रुपए की नई नकद राशि शामिल करते हुए वर्ष 2004-07 के दौरान भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 12 उद्यमों की पुनरूद्धार/पुनर्गठन योजना के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है। इन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में लगभग 30,000 व्यक्ति नियोजित हैं।

केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 12 उद्यम, जिनका पुनरूद्धार/पुनर्गठन सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, निम्नानुसार है:

(i) भारत पम्प एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल)

(ii) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लिमिटेड (बीएण्डआर)

(iii) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल)

(iv) ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)

(v) हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचईसी)

(vi) प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल)

(vii) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल)

(viii) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई)

(ix) एचएमटी (बेयरिंग) लिमिटेड [एचएमटी(बी)]

(x) एचएमटी मशीन टूल्स [एचएमटी (एमटी)]

(xi) एन्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

(xii) नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी)

सरकारी क्षेत्र के दो उद्यमों नामत: भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल) और भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल) के मामले में सरकार द्वारा बंदी अनुमोदित की गई है। एनआईएल के मामले में, सरकार ने परिसंपत्तियों और देयताओं का जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को हस्तांतरण अनुमोदित किया है।

सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज का ब्यौरा अनुबंध-XI में दिया गया है।

1.6.2 विभाग केंद्रीय सरकारी उद्यमों को उनकी निवेश संबंधी आवयकताओं की पूर्त करने और सरकारी/बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत रूग्ण/घाटा उठा रहे केंद्रीय सरकारी उद्यमों की पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2008-09 के लिए पुनरूद्धार योजना पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु वार्षिक योजना में 21 करोड़ रुपए के एकमुश्त प्रावधान किया गया है।

1.6.3 पहले किए गए कुछ पुनर्गठन प्रयासों में निम्नलिखित शामिल है:

- वर्ष 1999 में एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) के बोल्टिंग डिवीजन का 74% इक्विटी धारित करते हुए और शेष 26% एवाईसीएल के पास रखते हुए भागीदार के रूप में मैसर्स फीनिक्स, जर्मनी के साथ संयुक्त उपक्रम कंपनी (फीनिक्स यूल एंड कंपनी) में रूपान्तरण।
- बीबीयूएनएल की एक सहायक कंपनी लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड (एलजेएमसी) का संयुक्त उपक्रम के रूप में रूपान्तरण और कंपनी के प्रबन्धन का जुलाई, 2000 में संयुक्त उपक्रम भागीदार को हस्तांतरण
- बीबीयूएनएल की एक सहायक कंपनी जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसप) का संयुक्त उपक्रम के रूप में रूपान्तरण और कंपनी के प्रबन्धन का अगस्त, 2003 में संयुक्त उपक्रम भागीदार को हस्तांतरण।
- मारुति उद्योग लिमिटेड (एमयूएल) में अधिकांश हिस्से का विनिवेश।

1.6.4 निम्नलिखित केंद्रीय सरकारी उद्यमों को बंद कर दिया गया है/प्रचालनाधीन नहीं हैं:

(i) भारत प्रोसेस मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमई)

(ii) भारत ब्रेक्स एंड वाल्ब्स लिमिटेड (बीबीवीएल)

(iii) साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)

(iv) नेशनल बाइसाइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनबीसीआईएल)

(v) माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड (एमएएमसी)

(vi) रिहेबिलिटेशन इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन (आरआईसी)

(vii) आरबीएल लिमिटेड (आरबीएल)

(viii) टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन लिमिटेड (टेफ्को)

(ix) वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल)

(x) भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड (बीएलसी)

(xi) नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनआईडीसी)

(xii) भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल)

(xiii) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (एनआईएल)

(xiv) नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एनपीपीसी)*

*(पुनरूद्धार पैकेज नवम्बर, 2006 में अनुमोदित की गई है)

1.6.5 उपरोल्लिखित केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के चौदह उद्यमों के अतिरिक्त, एचएमटी लिमिटेड की चार अव्यवहार्य इकाईयां (वाच केस डिवीजन, लैम्प डिवीजन, सेंट्रल मेटल फॉर्मिंग इंस्टीट्यूट, सभी हैदराबाद में और गुवाहाटी में मिनेच्योर बैटरी इकाई), घाटा उठा रही रिफ्रैक्टरी इकाईयां, बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) का जेलिंघम यार्ड, टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) की टांगड़ा इकाई को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई अनुमति के फलस्वरूप बंद कर दिया गया है।

1.7 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/नवरत्न और मिनीरत्न को स्वायत्तता

1.7.1 'भेल' केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों में से एक है। कंपनी के बोर्ड को योग्य बाहरी व्यावसायिकविदों को शामिल करके सुदृढ़ किया गया है। पूंजीगत व्यय, कार्यनीतिक सहयोग के गठन और मानव संसाधन विकास संबंधी नीतियां बनाने आदि के संबंध में सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को अधिक स्वायत्तता दी गई है।

1.7.2 'भेल', जो एक नवरत्न है, के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के चार उद्यम नामत: आरईआईएल, एचएनएल, ईपीआई और एचएमटी (आई) को मिनीरत्न के रूप में श्रेणीकृत किया गया है। मिनीरत्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को वर्धित प्रत्यायोजन के साथ अधिकार भी दिया गया है।

1.8 समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)

1.8.1 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता देने और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें जिम्मेवार बनाने की दृष्टि से विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों ने 2007-2008 के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

विभाग के मुख्य केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम नामत: भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन (एचपीसी), राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्ट्रूमेंटस लि. (आरईआइएल) और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. (ईपीआई) ने वर्ष 2006-07 में अपने कार्यनिष्पादन के आधार पर समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया।

1.9 पूर्वोत्तर क्षेत्र

1.9.1 भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों में से सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यम/इकाईयां पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हैं:-

(i) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) (नौगांव और कछार पेपर मिल्स), असम

(ii) नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी), नागालैंड

(iii) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) (बोकाजन ईकाई), असम

(iv) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) (चाय बागान), असम

1.9.2 सरकारी क्षेत्र के ये उद्यम/इकाइयां कागज, सीमेंट और चाय के विनिर्माण में लगी हैं। सरकार की नीति के अनुसार, इस विभाग के बजट का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित किया जा रहा है। पूर्व वर्षों के दौरान प्रारंभ की गई कुछ मुख्य योजनाओं में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की कागज इकाइयों का आधुनिकीकरण, विद्युत उत्पादन के लिए डीजी सेट और सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) की बोकाजन इकाई में

ओवरहेड क्रेन की संस्थापना और असम में एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) के चाय की खेती का पुनरूद्धार शामिल है। 570 करोड़ रुपए की कुल लागत से एनपीपीसी की पुनर्गठन/पुनरूद्धार योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है और इस पर आगे कार्रवाई चल रही है। एनपीपीसी अब बीआईएफआर के सीमा क्षेत्र से उनके दिनांक 27 जून, 2007 के आदेश द्वारा एनपीपीसी के पुनरूद्धार का पैकेज अनुमोदित करते हुए बाहर हो गया है। सरकार ने इन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में किए गए निवेश के लिए 10वीं योजनावधि के दौरान 55.83 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान की है। 11वीं योजना अवधि के लिए आनुमानिक बजटीय सहायता 314.33 करोड़ रुपए है।

1.10 नागरिक चार्टर

भारी उद्योग विभाग प्रभावी और प्रत्युत्तरदायी प्रशासन के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) लोक शिकायतों और कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करने की प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के प्रयास में, इस विभाग में क्रमश: एक संयुक्त सचिव और निदेशक संयुक्त सचिव (लोक शिकायत) और निदेशक (कर्मचारी शिकायत) के रूप में कार्यरत हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतों का समय पर निपटारा हो जाए।

(ii) विभाग के सभी कार्यों के कम्प्यूटरीकरण के लिए किए गए प्रयास में एक संयुक्त सचिव को सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक के रूप में नामोदिष्ट किया गया है, जो आवधिक रूप से विभाग की वेबसाइट को अद्यतन करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(iii) विभाग में निदेशक के स्तर के एक नोडल अधिकारी को पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए नामोदिष्ट किया गया है।

(iv) लोक अदालत में विवादों के निपटारे के प्रयोजनार्थ, निदेशक रैंक के एक नोडल अधिकारी को विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में विभाग में नामोदिष्ट किया गया है।

(v) विशेषकर महिला कर्मचारियों के मानवाधिकारों से संबंधित पर्याप्त जागरूकता सृजित करने के लिए भारी उद्योग विभाग ने लिंग समानता और कामकाजी महिला कर्मचारियों को न्याय के अधिकारों के संरक्षण तथा उन्हें लागू करने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार महिलाओं के यौन शोषण से संबंद्ध शिकायतों के निपटारे के लिए इस विभाग में एक शिकायत समिति गठित की है।

(vi) इसके अतिरिक्त, यह विभाग सक्रियतापूर्वक महिला कर्मचारियों को बैठकों, सेमिनारों, प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण आदि जैसे सभी कार्यपालकों में मुक्त रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह मुख्य धारा के कार्यबल में उनका एकीकरण सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

(vii) पहलों और नई नीतियों सहित विभाग की वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिंदी दोनों में) और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं विभाग की वेबसाइट www.dhi.nic.in पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

(viii) उप-सचिव रैंक के एक अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना करने के लिए मुख्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

(ix) विभाग में निदेशक रैंक के एक अधिकारी को विभाग और इसके नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित मामलों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(x) सरकारी क्षेत्र के उद्यम भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 और लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अधीन कार्य करते हैं।

(xi) केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के संवर्धन के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का पालन करने का प्रयास किया जाता है। विकलांग व्यक्तियों को विशेष वाहन भत्ता, जहां भी संभव हो, अधिमान्य रिहायशी आवास, और उन्हें अपना कर्त्तव्य निर्वहन करने में समर्थ बनाने और मुख्य धारा के कार्यकाल में उनका एकीकरण सुविधाजनक बनाने के लिए अतिरिक्त साधन और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

1.11 भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक (सीएजी) की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षानुसार, भारी उद्योग विभाग के कार्यकरण पर भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां अनुबंध-XII में दी गई हैं।

अध्याय 2

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम

2.0 विभाग के अधीन 48 केंद्रीय सरकारी उद्यमों में से इस समय 34 उद्यम प्रचालनाधीन हैं, 2 केंद्रीय सरकारी उद्यम प्रचालनाधीन नहीं हैं और 12 केंद्रीय सरकारी उद्यम बंद हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, दो गैर-विनिर्माता धारक कंपनियां हैं। इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों पर संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है।

2.1 एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

कंपनी औद्योगिक पंखे, चाय कारखानों की मशीनरी, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, स्विचगियर, सर्किट ब्रेकर सहित विद्युत उपकरणों आदि जैसे विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री और अनुरक्षण के कार्य में लगी हुई है। वर्ष 1986 में पश्चिम बंगाल और असम में 12 चाय बागानों के जरिए चाय की खेती, विनिर्माण और प्रसंस्करण करने वाली 6 चाय कंपनियां एवाईसीएल का हिस्सा हो गई। ट्रांसफामर्स एंड स्विचगियर्स लिमिटेड, मद्रास और ब्रेंटफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था तथा एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड में शामिल किया गया था। एंड्रयू यूल समूह में एक सहायक कंपनी मैसर्स हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड और दो बड़ी सहायक कंपनियां अर्थात दिशेरगढ़ पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड (अब डीपीएससी लिमिटेड के रूप में पुन: नामित) और टाइड वाटर ऑयल कंपनी भी शामिल है। कंपनी के बेल्टिंग प्रभाग को फरवरी 1999 में एक सयुक्त उद्यम कंपनी में बदल दिया गया है और नई कंपनी की 74% इक्विटी मैसर्स फीनिक्स एजी जर्मनी और 26% इक्विटी एवाईसीएल के पास है। कंपनी रूग्ण हो गई है और उसे बीआईएफआर को सौंप दिया गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई है; कंपनी के पुनर्गठन के लिए बीआरपीएसई की सिफारिशों पर विचार किया गया है और सरकार द्वारा पुनरूद्धार / पुनर्गठन योजना अनुमोदित की गई है। कंपनी द्वारा वर्ष 2007-08 में 165.76 करोड़ रुपए का उत्पादन करना संभावित है।

2.2 हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड

कंपनी की स्थापना एंड्रयू यूल समूह के अधीन कंपनियों की मुदण और लेखन-सामग्री संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्ष 1922 में की गई थी। यह एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व में लाभ अर्जित करने वाली सहायक कंपनी है। वर्ष 2007-2008 में कंपनी का कुल कारोबार 6.50 करोड़ रुपए होना प्रत्याशित है।

2.3 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

कंपनी की स्थापना विशेष रूप से देश के विद्युत उत्पादन और पारेषण उपस्करों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई थी। 'भेल' आज भारत में अपने किस्म का सबसे बड़ा इंजीनियरी और विनिर्माण उद्यम है और यह विद्युत उपकरण विनिर्माण के क्षेत्र में शीर्षस्थ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों

में से एक है। संपूर्ण भारत और विदेश में फैले परियोजना कार्यस्थलों और क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त इसके 14 विनिर्माण संयंत्र, 8 सेवा केंद्र और 4 विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रीय केंद्र हैं। कंपनी को एक 'नवरत्न' केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में अभिज्ञात किया गया है। समझौता

ज्ञापन के लक्ष्य की तुलना में 'भेल' के वर्ष 2006-2007 में कार्यनिष्पादन के लिए इसे 'उत्कृष्ट' की श्रेणी में रखा गया है।

कम्पनी ने क्रमश: थर्मल संयंत्रों की सर्विसिंग/नवीकरण

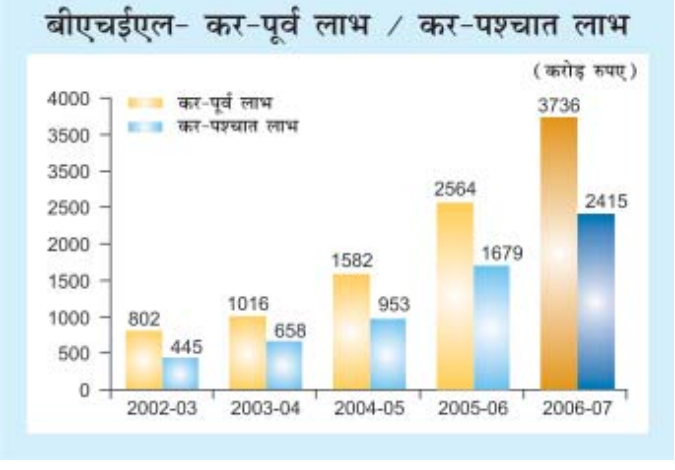

और गैस टर्बाइन की सर्विसिंग के क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम, एक जर्मनी के मैसर्स सीमेन्स के साथ और दूसरा मैसर्स जनरल इलेक्ट्रिक, सं.रा.अ. के साथ गठित किया है।

कंपनी ने वर्ष 2012 तक 45,000 करोड़ रूपए के कुल कारोबार के स्तर तक पहुंचने के उद्देश्य से अगले पांच वर्षों में सतत लाभदायी विकास सुनिश्चित करने के लिए एक "कार्यनीतिक योजना, 2012" तैयार की है। इसमें वर्ष 2012 तक 15,000 मेगावाट प्रतिवर्ष तक पहुंचने के लिए वर्तमान 6000 मेगावाट प्रतिवर्ष से विद्युत उत्पादन उपकरणों के लिए विनिर्माण क्षमता का विस्तार शामिल है। थर्मल, गैस, हाइड्रो और न्यूक्लियर के क्षेत्रों में क्षमता वृद्धि के अतिरिक्त निवेश के अन्य मुख्य क्षेत्रों में 700/1000 मेगावाट तक के न्यूक्लियर टर्बाइन, उन्नत श्रेणी गैस टर्बाइन, 765 केवी ट्रांसफार्मरों के लिए सुविधाएं और 20500 एमवीए से 38500 एमवीए तक ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि शामिल हैं।

वर्ष के दौरान "भेल" ने अपनी ऑर्डर बुकिंग में काफी सुधार प्रदर्शित किया है। कंपनी ने वर्ष 2006-07 के दौरान 33,000 करोड़ रुपये से अधिक और उसके बाद वर्ष 2007-08 के पहले 6 माह के दौरान 23,000 करोड़ रुपये से अधिक का आर्डर प्राप्त किया, जिनमे से कुछ निम्नानुसार हैं :

- फरक्का, मेजिया, दादरी, खापरखेड़ा, कोठागुडम, एन्नोर, डीएसपी, उकई, झज्जर आदि में 500 मेगावाट सेट के लिए ऑर्डर;
- पारस, संथालडीह, सिक्का, सूरतगढ़, ट्रॉम्बे, परीछा आदि के लिए 250 मेगावाट सेट के लिए आर्डर;
- पार्वती, पोचमपेड, नागार्जुनसागर, चुतक, महेश्वर, निम्मू बाज्गो आदि के लिए विभिन्न क्षमता के हाइड्रो सेट के लिए आर्डर;
- कलपक्कम में 1 X 500 मेगावाट न्यूक्लियर विद्युत सेट के लिए ऑर्डर
- पावरग्रिड से +/- 500 केवी बलिया-भिवाडी एचवीडीसी परियोजना के लिए ऑर्डर
- "महाट्रांसको" से कराड में 1 X 80 एमवीएआर नियंत्रित शंट रिएक्टर के लिए पहला वाणिज्यिक ऑर्डर

कंपनी द्वारा वर्ष 2007-08 में 21,000 करोड़ रुपये का उत्पादन करना संभावित है।

2.4 भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

निम्नलिखित सहायक कंपनियों के साथ धारक कंपनी के रूप में भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) को वर्ष 1986 में निगमित किया गया था ;

(i) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल)

सहायक कंपनियां :

(क) भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस लिमिटेड (बीबीवीएल) (अब बंद हो गई है)

(ख) आरबीएल लिमिटेड (अब बंद हो गई है)

(ii) भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल)

(iii) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल)

(iv) भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (अब बंद हो गई है)

सहायक कंपनी :

(v) वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल) (अब बंद हो गई है)

(vi) ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)

(vii) जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (अगस्त, 2003 में अधिकांश हिस्सा से विनिवेश किया गया)

2.5 बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड

पूर्ववर्ती बर्न एंड कंपनी लिमिटेड और इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कंपनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण होने के फलस्वरूप बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड को वर्ष 1976 में समामेलित किया गया था। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्यप्रदेश में स्थित कंपनी की आठ रिफैक्ट्री और सिरामिक इकाइयों के अलावा पश्चिम बंगाल के हावड़ा और बर्नपुर में दो बड़ी इंजीनियरिंग इकाइयाँ है। बीएससीएल द्वारा विनिर्मित किए जा रहे मुख्य उत्पादों में बैगन, स्ट्रक्चरल्स, प्वाइंट्स एंड क्रासिंग, बोगियां, राख प्रहस्तन संयत्र, कोयला प्रहस्तन संयंत्र आदि शामिल हैं। कंपनी रुग्ण है और यह बीआईएफआर को संदर्भाधीन है। कंपनी की घाटा उठा रही 7 रिफ्रैक्टरी इकाइयां और जेलिंघम यार्ड को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान करने के बाद बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के अलोक में कंपनी के भविष्य की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2007-2008 के दौरान कंपनी का उत्पादन 306.40 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.6 ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप, सरकार ने वर्ष 1976 मे ब्रेथवेट एंड कंपनी (बीसीएल) का अधिग्रहण कर लिया था। कंपनी की तीन विनिर्माण इकाइयां अर्थात (i) क्लाइव वर्क्स, (ii) विक्टोरिया वर्क्स और (iii) एंगस वर्क्स हैं, जो प्राथमिक तौर पर रेलवे वैगनों, स्टील स्ट्रक्चरल्स, और सामान्य तथा विशेष कार्यो के लिए क्रेन, जिसमें कन्टेनर प्रहस्तन क्रेन, रेल-माउंटेड डीजल लोको ब्रेकडाउन क्रेन, जूट उद्योग के लिए जूट कार्डिंग मशीन और रोल फीडर्स आदि शमिल हैं, के विनिर्माण में लगी है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा एक पूनरुद्धार/पुनर्गठन योजना अनुमोदित की गई है। तत्पपश्चात, बीआईएफआर ने दिनांक 29.06.2006 के आदेश द्वारा बीसीएल को बीआईएफआर के सीमाक्षेत्र से निर्मुक्त कर दिया और बीसीएल रूग्ण औद्योगिक कंपनी नहीं रह गई है। वर्ष 2007-2008 के दौरान कंपनी का उत्पादन 135.29 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.7 भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड

भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) की स्थापना वर्ष 1979 में ब्रिटेनिया, मोकामा, बिहार और आर्थर बटलर, मुजफ्फरपुर, बिहार के राष्ट्रीयकरण के बाद की गई थी। कंपनी के मुख्य उत्पादों में रेलवे वैगन स्क्रू पाइल ब्रिज, इस्पात ढांचे, ग्रे आयरन कास्टिंग आदि शामिल हैं। कंपनी को बीआईएफआर भेजा गया था। क्योंकि कंपनी रूग्ण हो गई थी। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में पुनरुद्धार/पुनर्गठन के लिए कंपनी के भविष्य की समीक्षा की जा रही है। कंपनी के पुनर्गठन के लिए बीआरपीएसई की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। वर्ष 2007-2008 के दौरान कंपनी का उत्पादन 53.64 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.8 ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) की स्थापना ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप द्वारा वर्ष 1935 में हावड़ा पुल के निर्माण के लिए की गई थी। बीबीजे 1987 में एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम हो गया जब यह भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की सहायक कंपनी बन गई। कंपनी इस्पात पुलों, समुद्री ढांचों और जेट्टी आदि के निर्माण का कार्य करती है। कंपनी ने समुद्री कार्यकलापों में विविधीकरण किया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा कंपनी के लिए एक पुनर्गठन योजना अनुमोदित की गई है। वर्ष 2007-2008 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 85.22 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.9 भारत यंत्र निगम लिमिटेड

भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल) को निम्नलिखित सहायक कंपनियों के साथ धारक कंपनी के रूप में वर्ष 1986 में समामेलित किया गया था।

1. भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम
2. भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद
3. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकात्ता
4. रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुम्बई
5. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हॉसपेट, कर्नाटक
6. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी इलाहाबाद

सरकार ने कंपनी बीवाईएनएल को बंद / समाप्त करने का अनुमोदन किया है और आगे अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

2.10 भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड

भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी) की स्थापना वर्ष 1966 में उर्वरक, तेलशोधक संयंत्र, पेट्रोरसायन आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उपकरणों की आवश्यकता पूरी करने के लिए की गई थी। कंपनी के तीन उत्पाद प्रभाग नामत: प्रोसेस प्लांट डिवीजन, क्रायोजेनिक्स और बॉयलर डिवीजन हैं। कंपनी पिछले कुछ वर्षों से घाटा उठाती रही है और इसकी राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में समीक्षा की गई थी। सरकार ने कतिपय शर्तों के अधीन "भेल" द्वारा "बीएचपीवी" के अधिग्रहण को "सिद्धांतत:" अनुमोदित किया है। तदनुसार आगे की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। वर्ष 2007-08 के लिए कंपनी का उत्पादन 180 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.11 भारत पम्पस एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड

भारत पम्प्स एंड कंप्रसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) नैनी, इलाहाबाद में वर्ष 1970 में समामेलित किया गया था। कंपनी तेल, उर्वरक, रसायन आदि जैसे क्षेत्रो की विभिन्न

बीपीसीएल द्वारा आपूरित आईओसी की पानीपत तेल शोधनशाला के लिए 4 एचएफ / 3 कंप्रेसर

किस्म के पंपों और कंप्रेसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। कंपनी रूग्ण हो गई और इसे बीआईएफआर को भेजा गया था। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और कंपनी के लिए एक पुनर्गठन योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। वर्ष 2007-2008 में कंपनी का उत्पादन 185 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.12 ब्रिंज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बीएंडआर) प्रारंभ में बामेर लारी एंड कंपनी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी थी। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा वर्ष 1978 में 1.74 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इक्विटी पूंजी के निवेश के माध्यम से बीएंडआर एक सरकारी कंपनी बन गई। इस कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण जून, 1986 में पेट्रोलियम मंत्रालय से इस विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया था। कंपनी के प्रचालन में मझोले और बड़े ढांचों का निर्माण, भवनों, कंक्रीट पुलों, सिविल निर्माण परियोजनाओं, प्रशीतन टावरों के संबंध में सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्य, तेल शोधनशालाओं, उर्वरक, रसायन, इस्पात, एल्युमीनियम आदि के लिए संपूर्ण संयंत्रों का यांत्रिक निर्माण करना है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी। और सरकार द्वारा एक पुनर्गठन योजना अनुमोदित की

गई है। वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 700 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.13 रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड

रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड (आरएंडसी) को निजी क्षेत्र से वर्ष 1973 में अधिग्रहित किया गया था। इसकी चार इकाइयां हैं, जिनमें से दो मुम्बई में और एक एक चेन्नई और नागपुर में हैं। कपनी वर्ष 1987 में बीवाईएनएल की एक सहायक कंपनी बन गई। कंपनी रूग्ण है और यह बीआईएफआर के संदर्भधीन है। जुलाई, 2003 में बीआईएफआर ने आरएण्डसी को बंद करने का आदेश पारित किया। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा गई थी वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी का उत्पादन 70 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.14 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल) को वर्ष 1965 में समामेलित किया गया था। कंपनी के पास इस्पात के भारी ढांचों जैसे विद्युत पारेषण, संचार और टेलीविजन प्रसारण के लिए ऊंचे टावरों और मास्ट, हाइड्रोमेकैनिकल उपकरणों, प्रेशर वेसल्स आदि के विनिर्माण की सुविधा है। कंपनी अप्रैल, 1987 में बीवाईएनएल की सहायक कंपनी बन गई। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। कंपनी के पुनर्गठन के लिए बीआरपीएसई की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी का उत्पादन 10.39 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.15 तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

कंपनी की स्थापना कर्नाटक और आंध्रप्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में वर्ष 1960 में की गई थी। तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपी) अप्रैल, 1987 में बीवाईएनएल की एक सहायक कंपनी बनी। कंपनी के पास हाइड्रॉलिक ढांचों, जलकपाटों (पेनस्टॉक), इमारतों के ढ़ांचे, ट्रांसमिशन लाइन टावरों, ईओटी तथा गैन्ट्री क्रेनों आदि की डिजाइन, विनिर्माण और स्थापना की सुविधा है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी का उत्पादन 5.50 करोड़ होना पूर्वानुमानित है।

2.16 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) की स्थापना वर्ष 1952 में देश की पहली दूरसंचार केबल विनिर्माता इकाई के रूप में की गई थी। कंपनी की इकाइयां रूपनारायणपुर, पश्चिम बंगाल, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद, आंध्रप्रदेश में हैं। कंपनी के पास व्यापक मात्रा में दूरसंचार केबल और तारों के विनिर्माण की सुविधा है और यह रेलवे, रक्षा संचार आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती रही है। एचसीएल रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी कों समीक्षा की जा रही है। बीआरवीएसई की सिफारिशें प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

2.17 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) रांची को लोहा और इस्पात उद्योग और खनन, धातुकर्म आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र के लिए उपकरणों और मशीनरी की डिजाइन तथा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्राथमिक उदेश्य से दिसम्बर, 1958 मे समामेलित किया गया था। इसकी तीन विनिर्माण इकाइंया है, यथा हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट (एचएमबीपी), हैवी मशीन टूल प्लांट (एचएमटीपी) और फाउंड्री फोर्ज प्लांट (एफएफपी)। कंपनी इस्पात संयंत्रों के लिए बड़े पैमाने पर उपस्कर, वैगन टिप्स्लर्स और इओटी क्रेनों जैसे सामग्री प्रहस्तन उपस्कर, सीएनसी मशीन टूल्स और विशेष प्रयोजन मशीन टूल्स, विभिन्न प्रकार के कास्टिंग, फोर्जिंग और रोल्स आदि संहित हैवी मशीन टूल्स का विनिर्माण करती है। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा एक पुनरूद्धार/पुनर्गठन योजना दिसम्बर 2005 में अनुमोदित की गई है। वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी का उत्पादन 342.40 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.18 एचएमटी लिमिटेड (ट्रैक्टर डिवीजन सहित धारक कंपनी)

एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर की स्थापना मशीन टूल्स, घड़ियों, ट्रैक्टरों, छपाई मशीनों, विशेष प्रयोजन मशीनों, प्रेस और डेयरी मशीनरी के विनिर्माण की सुविधाओं के साथ वर्ष 1953 में की गई थी। सरकार द्वारा जुलाई, 2000 में अनुमोदित कंपनी की आमूल-चूल परिवर्तन की योजना में व्यवसाय समूहों को चार नई अलग-अलग सहायक कंपनियों में बदलकर संगठनात्मक पुनर्गठन की संकल्पना की गई है।

एचएमटी (एमटी) उत्पादन क्षमता

कंपनी को ट्रैक्टर व्यवसाय अपने पास रखते हुए एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी), एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी वाचेज लिमिटेड और एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड के रूप में पुनर्गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां यथा एचएमटी (इंटरनेशनल) और एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड और एक आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी प्रागा टूल्स लिमिटेड हैं। एचएमटी के ट्रैक्टर प्रभाग ने पिंजोर, हरियाणा में स्थापित विनिर्माण संयंत्र में ट्रैक्टर के विनिर्माण से अपना प्रचालन वर्ष 1971 में प्रारम्भ किया। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। बीआरपीएसई ने कंपनी के पुनर्गठन/पुनरुद्धार के लिए अपनी सिफारिशे दी हैं, जो सरकार के विचाराधीन हैं। एचएमटी धारक कंपनी (ट्रेक्टर प्रभाग) का उत्पादन वर्ष 2007-08 के दौरान 275.09 करोड़ रूपए होना पूर्वानुमानित है।

2.19 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

भारत में मशीन टूल्स उद्योग में अग्रणी और विविध प्रकार के उत्पादों के विनिर्माता एमएमटी लिमिटेड ने ''एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड'' नामक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को वर्ष 1999 में समामेलित किया है। इसकी विभिन्न स्थानों पर विनिर्माण इकाइयां हैं। एचएमटी (एमटी) लिमिटेड की सभी विनिर्माण इकांइयां आईएसओ-9001 प्रमाणित हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई है और सरकार ने कंपनी के पुनर्गठन/पुनरूद्धार के लिए अपना अनुमोदन दिया है। वर्ष 2007-2008 में कंपनी का उत्पादन 320 करोड़ रूपए होना पूर्वानुमानित है।

2.20 एचएमटी वाचेज लिमिटेड

एचएमटी वाचेज लिमिटेड मैकेनिकल और क्वार्ट्ज घड़ियों का विनिर्माण करती है। कंपनी की बंगलौर, तुमकुर और रानीबाग में 3 विनिर्माण इकाइयां हैं। इसकी सभी विनिर्माण इकाइयों को आईएसओ-9001 प्रमाणीकरण प्राप्त है। एचएमटी वाचेज लिमिटेड की उत्पाद श्रृंखला बाजार के विभिन्न वर्गों की मांग पूरी करती है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है । कंपनी के पुनर्गठन/पुनरूद्धार के बीआरपीएसई की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी का उत्पादन 36 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.21 एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड

एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड मैकेनिकल घड़िया बनाती है। कंपनी की श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में एक विनिर्माण इकाई और जम्मू में एकत्रण (असेम्बली) इकाई है। कंपनी का पंजीकृत कार्यलय जम्मू में स्थित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2007-08 में कंपनी का उत्पादन 2.5 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.22 प्रागा टूल्स लिमिटेड

प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल), सिकन्दराबाद को मूलत: एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में वर्ष 1943 मे समामेलित किया गया था। यह कंपनी वर्ष 1959 में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम बनी। वर्ष 1988 में जब इसकी 51% शेयर पूजी एचएमटी लिमिटेड के नाम हस्तांतरित की गई तब यह उसकी सहायक कंपनी बन गई। कंपनी विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स अर्थात सीएनसी कटर और

टूल ग्राइंडर, सरफेस ग्राइंडर, सीएनसी मिलिंग मशीन, थ्रेड रोलिंग मशीन, जिग बोरिंग मशीन और सीएनसी जिग बोरिंग मशीन आदि का विनिर्माण करती है। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और पीटीएल के लिए एक पुनरुद्धार/ पुनर्गठन योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी का उत्पादन 26.36 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.23 एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड

एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड (भूतपूर्व इंडो-निपॉन प्रेसिजन बियरिंग्स) की स्थापना वर्ष 1964 में सरकारी क्षेत्र की कंपनी के रूप में की गई थी। वर्ष 1981 में यह एचएमटी लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम बनी। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और एचएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड के लिए एक पुनरुद्धार/पुनर्गठन योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी का उत्पादन 20.79 करोड़ रुपये होना पूर्वानुमानित है।

2.24 एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड की स्थापना दिसम्बर, 1974 में मूल कंपनी, एचएमटी लिमिटेड के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उदेश्य से एक व्यापारिक कंपनी के रूप में की गई थी। इसके द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में मशीन टूल, घड़िया और उनसे संबंधित अन्य उत्पाद शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न देशों को निर्यात किया जा रहा है। वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 34.06 करोड रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.25 इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (आईएल) की स्थापना 1964 में गयी थी। इसकी उत्पादन इकाइयां हैं, जो कोटा (राजस्थान) और पलक्कड़ (केरल) में स्थित हैं। जयपुर में इसकी एक सहायक कंपनी मैसर्स राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड भी कार्य कर रही है। कंपनी माइक्रो प्रोसेसर आधरित डिजीटल वितरित-नियंत्रण प्रणाली, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटरों, दोष सहय नियंत्रण प्रणालियों, रेलवे संकेंत प्रणालियों और दूरसंचार उपस्करों आदि के विनिर्माण कार्य में लगी है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। कंपनी के पुनर्गठन के लिए बीआरपीएस की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है। वर्ष 2007-08 में आईएल का उत्पादन 280.00 करोड़ रुपए पूर्वानुमानित है।

2.26 राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एवं इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एवं इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) का गठन इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा और रीको के सयुक्त उद्यम के रूप में इलेक्ट्रानिक मिल्क टेस्टर (ई.एम.टी) का विभिन्न दुग्ध संयंत्रों/डेरियों, दुग्ध शीतलन संयंत्रों और गांवों की सहकारी समितियों के लिए निर्माण और आपूर्ति करने के लिए 1981 में किया गया था। कंपनी सौर फोटो वोल्टिक माडयूल्स/ प्रणाली, इलेक्ट्रालिक ऊर्जा मीटरों और सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए अपने उत्पाद रेंज का विविधीकरण किया है। कंपनी आईएल की एक सहायक कंपनी हैं, जो इसकी इक्विटी का 51% धारित करती है। इक्विटी का शेष 49% रिको, राजस्थान सरकार द्वारा धारित किया जा रहा है। अपने वित्तीय कार्यनिष्पादन के कारण केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम ने ''मिनीरत्न'' का स्तर प्राप्त किया है। वर्ष

श्रीमती सोनिया गांधी, अध्यक्ष, यूपीए आंध्र प्रदेश की पश्चिम गोदावरी जिले में इलुरू स्थित मंडल महिला सामख्या में आरईआईएल के एक उत्पाद स्मार्ट डीपीएमसीयू का अवलोकन करते हुए

2007-08 के दौरान कंपनी का उत्पादन 61.80 करोड़ रुपए पूर्वानुमानित है।

2.27 नेशनल इन्सट्रूमेंट्स लिमिटेड

नेशनल इन्सट्रूमेंट्स लिमिटेड (एनआईएल) को तत्कालीन उत्पादन और आपूर्ति मंत्रालय के अधीन एक विभागीय कर्मशाला नेशनल इन्सट्रूमेंट्स फैक्टरी की परिसम्पत्तियों

और देयताओं के अधिग्रहण के बाद सरकारी उद्यम के रूप में 1957 में समामेलित किया गया था। कंपनी रात में देखने में काम आने वाले उपकरणों सहित सर्वेक्षण के लिए कई प्रकार के आप्टिकल और आप्टो इलेक्ट्रानिक उपकरणों का विनिर्माण करने में लगी थी। कंपनी रूग्ण हो गई और उसे बीआईएफआर को भेजा गया था, जिसने दिनांक 30.09.2002 को कंपनी बंद करने का अपना आदेश पारित किया। इस बीच, सरकार ने परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ कंपनी को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया है और इस संबंध में उपयुक्त आदेश के लिए बीआईएफआर से अनुरोध किया है।

2.28 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

भारत सरकार के उपक्रम के रूप में स्कूटर्स (इंडिया) लिमिटेड (एसआईएल) को 1972 में समामेलित किया गया था। वर्तमान में, लखनऊ स्थित इसके कारखाने में तिपहिये वाहनों का विनिर्माण होता है। कंपनी रूग्ण हो गई और वह बीआईएफआर को भेजी गई थी। कंपनी ने अपने निष्पादन में आमूल-चूल परिवर्तन किया है और लगातार वर्ष 2005-06 तक कंपनी ने लाभ दर्शाया है। कंपनी अप्रैल, 2006 से बीआईएफआर के अधिकार क्षेत्र से बाहर आ गई है। यह मानते हुए कि कंपनी का कार्य निष्पादन ऑटो क्षेत्र में विकास की प्रवृत्तियों के अनुरूप नहीं हैं, सरकार ने एसआईएल में 18.63 करोड़ रुपए की कुल लागत पर उत्पादन सुधार, मानवशक्ति प्रशिक्षण और परीक्षण तथा मूल्यांकन सुविधाओं के उन्नयन की एक परियोजना स्वीकृत की है। वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी द्वारा 194.72 करोड़ रुपए का उत्पादन प्राप्त कना संभावित है।

2.29 भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड

भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल) की स्थापना नेशनल इन्स्ट्रूमेंन्टस लिमिटेड से दुर्गापुर स्थित ऑप्थाल्मिक ग्लास संयंत्र का अधिग्रहण कर, 1972 में की गई थी। कंपनी के पास ऑप्थाल्मिक ब्लैंक, फ्लिंट बटन, आप्टिकल ग्लास, खिड़कियों के लिए विकिरण रोकने वाले शीशे और अन्य विशेष किस्म के ऑप्टिकल ग्लास के विनिर्माण की सुविधाएं है। कंपनी रूग्ण हो गई थी और बीआईएफआर को भेजी गई थी। बीआईएफआर ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की है। कंपनी का प्रचालन मार्च, 2003 से बंद हो गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और बीआरपीएसई की सिफारिश पर सरकार ने कंपनी को बंद करने और कंपनी को बंद करने के लिए बीआईएफआर की सिफारिश स्वीकार करने का निर्णय लिया। कोलकाता उच्च न्यायलय ने कंपनी को बंद करने के लिए दिनांक 9.07.2007 को आदेश पारित किया।

2.30 सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) का गठन सीमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और

सीसीआई-तांदूर संयंत्र का एक दृश्य

क्षेत्रीय असंतुलन हटाने के लिए सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के मुख्य उदेश्य से, 1965 में किया गया था। 8 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में इसकी 10 इकाइयां हैं, जो छतीसगढ़ में मांढर, अकलतरा, मध्य प्रदेश में नयागांव; कर्नाटका में कुरकुंटा ; असम में बोकाजन ; हिमाचल प्रदेश में राजबन ; आंध्र प्रदेश में अदिलाबाद और तांदुर ; तथा हरियाणा में चरखी दादरी में है तथा दिल्ली में इसकी पिसाई इकाई कार्य कर रही है। इसकी 10 मे से 7 इकाइयां विभिन्न करणों से प्रचालन में नही हैं। कंपनी रूग्ण हो गई और उसे बीआईएफआर को भेजा गया था। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी पुनर्गठन/पुनरुद्धार योजना कार्यान्वयन होना है। वर्ष 2007-2008 के लिए चालू इकाइयों में उत्पादन 348.39 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.31 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड

1970 में समामेलित हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) कागज़, गत्ता, क्राफ्ट पेपर और अखबारी कागज के उत्पादन में लगी हुई है। एचपीसी एक धारक कंपनी है और इसके नियंत्रणाधीन नीचे दिए अनुसार 2 सहायक कंपनियां और 2 बड़ी एकीकृत कागज व लुगदी मिलें हैं।

एचपीसी की सहायक कंपनियां

क) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)

ख) नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी)

एचपीसी की इकाईयां

i) नौगांव पेपर मिल्स (एनपीएम)

ii) कछार पेपर मिल्स (सीपीएम)

एचपीसी के मिलों (सीपीएम और एनपीएम एक साथ) का क्षमता उपयोग वर्ष 2006-07 के दौरान 104% था और वर्ष 2007-08 में यह और सुधरकर 105% होना प्रत्याशित है। वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी (एनपीएम और सीपीएम) का उत्पादन 738.12 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष सरकार को 15.20 करोड़ रुपए का लाभांश अदा किया है और 10 करोड़ रुपए के शोध्य तरजीही शेयरों का शोधन भी किया है। सरकार ने 3100 करोड़ रुपए की पूर्णता लागत पर जगदीशपुर में 3 लाख टन प्रति वर्ष की यूपी पेपर मिल परियोजना स्थापित करने के लिए एचपीसी का प्रस्ताव नवम्बर, 2007 में अनुमोदित किया है।

2.32 नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड

नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी) हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन (एचपीसी) की एक सहायक कंपनी है। एचपीसी के पास कंपनी के 94.78 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं, जबकि नागालैंड सरकार शेष 5.22 प्रतिशत शेयर धारित करती है। संयंत्र में कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। बीआईएफआर ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा 552.44 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अनुमोदित एक पुनर्गठन/पुनरूद्धार योजना अब कार्यान्वयनाधीन है।

2.33 हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल) को मूलत: एचपीसी की एक इकाई के रूप में आरम्भ किया गया था बाद में, इस इकाई को अगस्त, 1983 में एचपीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में बदल दिया गया। यह मिल केरल में स्थित है तथा अखबारी कागज के उत्पादन में लगी हुई है और इसकी वार्षिक क्षमता 1 लाख मी. टन है। एचएनएल ने 718.80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 170,000 टन कागज की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए अखबारी कागज में अंतरित होने की नमनीयता के साथ लेखन और मुद्रण कागज के उत्पादन की अपनी विस्तार-सह-विविधीकरण योजना प्रारंभ की है। वर्ष 2007-08 के दौरान मिल का उत्पादन 289.79 करोड़ रुपए का होना पूर्वानुमानित है।

2.34 हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

वर्ष 1960 में स्थापित यह कंपनी फोटोसुग्राही फिल्म, सिने पाजिटिव (श्वेत-श्याम), सिने फिल्म्स साउंड निगेटिव, मेडिकल एक्स-रे फिल्म्स आदि के विनिर्माण में लगी है। कंपनी को वर्ष 1995 में बीआईएफआर को भेजा गया था। बीआईएफआर ने 30 जनवरी, 2003 को इसे बंद करने की सिफारिश की । एएआईएफआर के समक्ष विभिन्न एजेंसियों द्वारा बीआईएफआर के बंद करने के आदेश के विरूद्ध अपील दाखिल की गई थी। एएआईएफआर ने इन अपीलो को खारिज कर दिया। तथापि, मद्रास उच्च न्यायालय ने ट्रेड यूनियनों द्वारा दाखिल अपील के आधार पर एएआईएफआर और बीआईएफआर की कार्यवाहियों पर अंतरिम स्थगन प्रदान किया है। मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग को उद्योग पर विभाग संबद्ध संसदीय स्थायी समिति (राज्य सभा) की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की व्यवहार्यता पर आगे अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया है। परामर्शदाताओं की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और वह विचाराधीन है। वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी का उत्पादन 17.50 करोड़ रुपए पूर्वानुमानित है।

2.35 हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड

वर्ष 1959 में स्थापित हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) अपनी इकाइयों खारागोडा, गुजरात और मंडी,

हिमाचल प्रदेश में साधारण नमक और नमक से बनने वाले रसायनों का उत्पादन करती है। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और एक पुनर्गठन/पुनरुद्धार योजना सरकार द्वारा मई 2005 में अनुमोदित की गई है। कंपनी का पुनरूद्धार पैकेज कार्यान्वयनाधीन है। वर्ष 2007-08 के दौरान इसका उत्पादन 17.02 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.36 सांभर साल्ट्स लिमिटेड

सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। इसकी चुकता पूंजी 1 करोड़ रुपए है, जिसका 60 प्रतिशत हिन्दुस्तान साल्ट्स

सांभर साल्ट के क्षेत्र में नवा क्यार में नमक का निष्कर्षण और ढुलाई

लिमिटेड और शेष 40 प्रतिशत राजस्थान सरकार द्वारा अभिदत्ता है। कंपनी खाने और औद्योगिक इस्तेमाल के नमक का उत्पादन कर रही है। वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी का उत्पादन 16.51 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.37 नेपा लिमिटेड

भूतपूर्व नेशनल न्यूजप्रिंट एवं पेपर मिल्स लिमिटेड के नाम से ज्ञात नेपा लिमिटेड (एनईपीए) प्रारंभ में 1947 में निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। बाद में अक्तूबर, 1949 में राज्य रकार ने इसका प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। वर्ष 1959 में केन्द्र सरकार ने इसके ऋणों को इक्विटी में बदल कर इसका नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और यह केंन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम बन गया। कंपनी कागज और अखबारी कागज का उत्पादन करती है। कंपनी रूग्ण हो गई और उसे बीआईएफआर को भेजा गया है। कंपनी की समीक्षा राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में की जा रही है। कंपनी के पुनर्गठन के लिए बीआरपीएसई की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी का उत्पादन 85 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.38 टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को दो रूग्ण कंपनियों यथा मैसर्स इन्चेक टायर्स लिमिटेड और मैसर्स नेशनल रबड़ मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण के बाद वर्ष 1984 में समामेलित किया गया था। कंपनी की काकीनाड़ा मे ही एक इकाई है और यह आटोमोबाईल के टायरों का विनिर्माण करती है। कंपनी रूग्ण हो गई है और यह बीआईएफआर के विचाराधीन है। सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति के बाद कंपनी की टांगड़ा इकाई बंद कर दी गई है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएसपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। विनिवेश के माध्यम से कंपनी के पुनर्गठन के लिए बीआरपीएसई की सिफारिशें सरकार द्वारा अनुमोदित की गई हैं। संसद ने टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेट (स्वामित्व का विनिवेश) विधेयक, 2007 पारित कर दिया है। वर्ष 2007-08 के दौरान उत्पादन 213.75 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.39 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड परियोजनाओं के ठेके पूरे करके देने वाली प्रमुख कंपनी है, जिसे 1970 में समामेलित किया गया था। कंपनी का प्रचालन क्षेत्र व्यापक है और इसके दायरे में सिविल और संरचनात्मक इंजीनियरी,

ईपीआई द्वारा निष्पादित कर्नाटक आवास बोर्ड के लिए सूर्यनगर, बंगलौर में आवास परियोजना

सामग्री प्रहस्तन, धातुकर्म, पेट्रोरसायन, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण आदि से संबंधित परियोजनाएं शामिल है। वर्ष 2001 में कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन के बाद कंपनी मे आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है और इसने लाभ अर्जित किया है। कंपनी ने 26 वर्ष के अंतराल के बाद वित्तीय वर्ष 2003-04 से लाभांश अदा करना प्रारंभ किया। कंपनी ने वर्ष 2006-07 के लिए 20% का लाभांश घोषित किया। वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 850 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.40 सरकारी क्षेत्र के 12 उद्यम नामतः माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड (एमएमएसी), भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमई), वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल), साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल), टेनरी एंड फुट वियर कारपोरेशन लिमिटेड (टेफ्को), भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड (बीएलसी), नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनआईडीसी), रिहेबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (आरआईसी), भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड (बीबीवीएल), रेरॉल बर्न लिमिटेड (आरबीएल), भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल) और नेशनल बाइसाइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनबीसीआईएल) बंद हो गए है।

अध्याय 3

भारी उद्योग, भारी इंजीनियरिंग और मशीन टूल उद्योग

3.1 भारी विद्युत उद्योग

भारी विद्युत उद्योग विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण उपस्करों सहित महत्त्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र शामिल करता है। यह टर्बो जेनरेटर, बॉयलर, टर्बाइन, ट्रांसफार्मर, स्विचगियर और रिले भी शामिल करता है। इस उद्योग का कार्यनिष्पादन देश के विद्युत कार्यक्रम से घनिष्ठापूर्वक जुड़ा है। भारत सरकार का "वर्ष 2012 तक सभी के लिए विद्युत" का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। 11वीं योजना के लिए विद्युत पर कार्य दल के अनुसार 72,000 मेगावाट की क्षमता वृद्धि अपेक्षित है। चक्रण (व्हील) विद्युत तक पहुंचने के लिए विद्युत के पारेषण हेतु क्षेत्रीय पारेषण नेटवर्क और अन्त:क्षेत्रीय क्षमता का विस्तार अनिवार्य होगा। इससे भारी विद्युत उपस्करों के लिए काफी मांग को बढ़ावा मिलेगा। देश में भारी विद्युत उपस्कर के विनिर्माण के लिए एक सुदृढ़ विनिर्माण आधार है। भारत में उपलब्ध प्रौद्योगिकी उच्च वोल्टता लाइन के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप है। तथापि, निम्न हानि ट्रांसफॉर्मरों के लिए सीआरजीओ इस्पात और एमॉरफस कोर का आयात किया जा रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान उछाल औद्योगिक विकास और सामान्य आर्थिक विकास के माध्यम से विद्युत उत्पादों की मांग सृजित करेगी। भारत की उत्पादनशील अर्थव्यवस्था को अवसंचना में समतुल्य सुधारों की आवश्यकता है। विद्युत क्षेत्र आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसलिए इस पर ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है। विद्युत क्षेत्र का सुधार विद्युत क्षेत्र के उपस्कर विनिर्माताओं और सेवा प्रदायकों के लिए बड़ा व्यवसाय सृजित करेगा। वर्तमान अनुकूल बाजार परिदृश्य में विद्युत उद्योग निश्चित रूप से विकास कर सकता है।

3.1.1 टर्बाइन और जेनरेटर सेट

औद्योगिक टर्बाइनों सहित स्टीम और हाइड्रो टर्बाइन जैसे विभिन्न किस्म के टर्बाइनों के विनिर्माण के लिए स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 7000 मेगावाट से अधिक है। "भेल" जिसकी सर्वाधिक संस्थापित क्षमता है, के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में अन्य इकाइयां हैं, जो विद्युत उत्पादन और औद्योगिक प्रयोग के लिए टर्बाइनों का विनिर्माण कर रही हैं। "भेल" की विनिर्माण सीमा में संगठनों और वाणिज्यिक चक्र अनुप्रयोग के लिए 500 मेगावाट तक के स्टीम टर्बाइन, बॉयलर, जेनरेटर शामिल हैं और यह सुपर क्रिटिकल स्टीम साइकिल पैरामीटरों के साथ स्टीम टर्बाइन और 660 मेगावाट तक के आकार वाले समतुल्य जेनरेटरों का विनिर्माण करने में दक्ष है। 1000 मेगावाट यूनिट आकार के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। "भेल" के पास 260 मेगावाट तक के गैस टर्बाइनों के विनिर्माण की दक्षता है। भारत में ए.सी. जेनरेटर उद्योग बड़े और छोटे उद्योगों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और घरेलू क्षेत्र की वैकल्पिक विद्युत आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। भारत में घरेलू विनिर्माता निर्दिष्ट वोल्टता रेटिंग के साथ 0.5 केवीए से लेकर 25,000 केवीए और उससे अधिक के एसी जेनरेटर का विनिर्माण करने में सक्षम हैं। वर्ष 2006-07 के लिए निर्यात और आयात के आंकड़े क्रमश: लगभग 2100 करोड़ रुपए और 3069 करोड़ रुपए के थे।

3.1.2 बॉयलर

बॉयलर एक दाबकृत प्रणाली है, जिससे जल को वाष्प में वाष्पीकृत किया जाता है, जो प्राय: ज्वलनशील ईंधनों से दहन के उत्पादों के उच्चतर तापक्रम के स्रोत से स्थानान्तरित उष्मा द्वारा प्राप्त वांछित अंत उत्पाद होता है। इस प्रकार

उत्पादित वाष्प का प्रयोग प्रत्यक्षत: उष्मन माध्यम के रूप में अथवा तापीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने के लिए मुख्य चालक में कार्यशील द्रव के रूप में किया जा सकता है, जिसे इसके बाद विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यद्यपि, इन प्रयोजनों के लिए कभी-कभी अन्य द्रवों का प्रयोग किया जाता है, फिर भी जल सबसे आम प्रयोग में लाया जाने वाला द्रव है। "भेल" बाजार के हिस्से में लगभग दो-तिहाई हिस्सा रखने वाला देश में बॉयलर का सबसे बड़ा विनिर्माता है। इसके पास सुपर थर्मल बॉयलर, यूटीलिटी बॉयलर और अन्य औद्योगिक बॉयलरों सहित विभिन्न किस्मों के बॉयलर विनिर्मित करने की क्षमता है। वर्ष 2006-07 के लिए निर्यात और आयात के आंकड़े क्रमश: 395 करोड़ रुपए और 98 करोड़ रुपए के थे।

3.1.3 ट्रांसफॉर्मर

ट्रांसफॉर्मर वोल्टता परिवर्तक है। ट्रांसफॉर्मर उद्योग की सुदृढ़ता मोटे तौर पर विद्युत उत्पादन और पारेषण क्षेत्र पर निर्भर करती है। इस उद्योग के मुख्य प्रयोक्ता राज्य विद्युत बोर्ड और उद्योग हैं। भारत में ट्रांसफॉर्मर उद्योग पिछले 50 वर्षों में विकसित हुआ है और इसके पास सुपरिपक्व प्रौद्योगिकी आधार है। इसके पास वेल्डिंग, कर्षण और भट्ठियों आदि के लिए विद्युत ट्रांसफॉर्मर, वितरण ट्रांसफॉर्मर और विशेष ट्रांसफॉर्मर की व्यापक रेंज विनिर्मित करने की प्रौद्योगिकी है। अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्न हानियों और निम्न ध्वनि स्तर वाले ऊर्जा वाले ऊर्जा सक्षम ट्रांसफॉर्मर भी विकसित किए जा रहे हैं। यद्यपि ट्रांसफॉर्मरों के विनिर्माण के लिए 420 केवी श्रेणी तक की वांइडिंग कंडक्टर बुशिंग उपलब्ध है, फिर भी सीआरजीओ शीट का देश में विनिर्माण नहीं किया जाता, जो विनिर्माताओं के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करता है। वर्ष 2007 के लिए निर्यात और आयात के आंकडे क्रमश: 2923 करोड़ रुपए और 2523 करोड़ रुपए के थे।

3.1.4 स्विचगियर और कंट्रोल गियर

विद्युत की निरंतर आपूर्ति न केवल उद्योग बल्कि विद्युत के प्रत्येक अन्य प्रयोग के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। स्विचगियर और कंट्रोलगियर विद्युत पारेषण और वितरण दोनों में अनिवार्य हैं। भारतीय स्विचगियर उद्योग बल्क ऑयल, न्यूनतम ऑयल, एयर ब्लास्ट, वेक्यूम से लेकर सल्फर हेक्सफ्लोराइड तक संपूर्ण रेंज के सर्किट बेकरों का मानक विशिष्टियों के अनुसार विनिर्माण कर रहा है। यह अनुमानित है कि स्विचगियर बाजार का वर्तमान आकार 4000 करोड़ रुपए से अधिक का है। वर्ष 2006-07 के लिए निर्यात और आयात के आंकड़े क्रमश: 1464 करोड़ रुपए और 2322 करोड़ रुपए के थे।

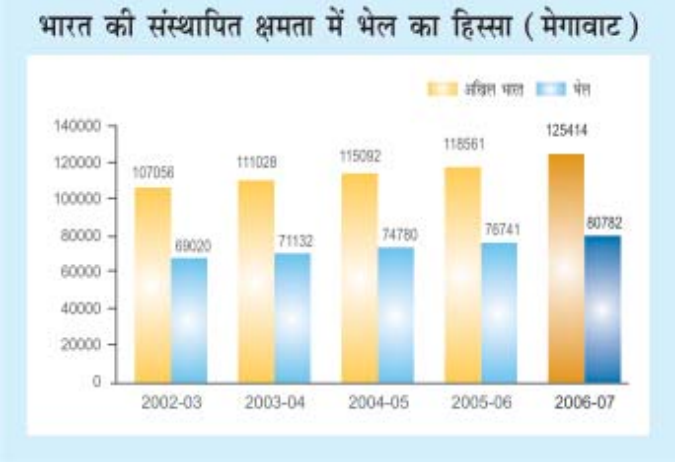

3.2 भारी इंजीनियरी उद्योग

3.2.1 टेक्सटाइल मशीनरी

टेक्सटाइल मशीनरी, उनके संघटकों, सहायक उपकरणों और अतिरिक्त पुर्जों के विनिर्माण में 600 से अधिक इकाइयां कार्यरत हैं और इनमें से लगभग 100 इकाइयां सम्पूर्ण टेक्सटाइल मशीनरी का विनिर्माण कर रही हैं। इनकी रेंज में छंटाई, रस्सी निर्माण, धागों / फैब्रिक्स का प्रसंस्करण और बुनाई शामिल है। यह उद्योग बदु-फाइबर करार (एमएफए) वस्त्र विनिर्माताओं के निर्यात लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपेक्षित मशीनों की आपूर्ति करने के अवसर

उच्च गति शटल बुनाई मशीन

प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। प्रति वर्ष कुल 1500 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश और 3050 करोड़

रुपए की संस्थापित क्षमता से उनका वर्तमान उत्पादन तथा साथ ही निर्यात और आयात निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात	आयात
2004-2005	1685	457	3299
2005-2006	2212	476	6768
2006-2007	2733	500	9434

3.2.2 सीमेंट मशीनरी

देश में 7500 टीपीडी क्षमता तक ड्राई प्रोसेसिंग और प्रि-कैलसिनेशन प्रौद्योगिकी के आधार पर सीमेंट संयंत्रों का विनिर्माण किया जा रहा है। आधुनिक सीमेंट संयंत्रों की डिजाइन यह ध्यान में रखकर तैयार की जाती है कि उत्पादन शुरू करने में बिल्कुल समय नहीं लगे, उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाला हो और सीमेंट उत्पादन की प्रति इकाई कम से कम ऊर्जा की खपत के साथ बेहतर उत्पादन हो। इस समय संपूर्ण सीमेंट संयंत्र मशीनरी के विनिर्माण के लिए संगठित क्षेत्र में 18 इकाइयां हैं। लगभग 600 करोड़ रुपए/प्रतिवर्ष की संस्थापित क्षमता से उद्योग घरेलू मांग पूरा करने में पूर्णत: सक्षम है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उद्योग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई आयात अथवा निर्यात नहीं किया है।

3.2.3 चीनी मशीनरी

घरेलू विनिर्माता वैश्विक परिदृश्य में प्रमुख स्थान रखते हैं और वे 10,000 टीसीडी (टन क्रशिंग प्रतिदिन) तक की क्षमता के लिए अद्यतन डिजाइन के संकल्पना से चालू करने के चरण तक चीनी के संयंत्रों का विनिर्माण करने की दक्षता रखते हैं। इस समय प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपए की संस्थापित क्षमता से संपूर्ण चीनी संयंत्रों और संघटकों के विनिर्माण के लिए संगठित क्षेत्र में 27 इकाइयां हैं।

(लाख रुपए)

	2004-2005	2005-2006	2006-2007
आयात	1259	905	2511
निर्यात	2682	3767	1252

3.2.4 रबड़ मशीनरी

मुख्यत: टायर/ट्यूब उद्योग के लिए अपेक्षित रबड़ मशीनरी के विनिर्माण में संगठित क्षेत्र के तहत 19 इकाइयां कार्यरत हैं। देश में विनिर्माण उपकरणों में इंटर-मिक्सर, टायर-क्योरिंग प्रेसेज, ट्यूब स्पिलिसर्स ब्लेडर क्योरिंग प्रेसेज, टायर, माउल्डस, टायर बिल्डिंग मशीन, टर्नेट सर्विसर, बायस कटर्स, रबड़ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, बीड वायर आदि शामिल हैं। तथापि, विशेषकर मिट्टी हटाने के भारी उपस्कर आदि के लिए उच्च गति कैलेंडरिंग लाइन के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी में कमी है। उद्योग के लिए आयात/निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपए)

	2004-2005	2005-2006	2006-2007
आयात	36.75	12.02	34.79
निर्यात	46.15	50.32	98.16

3.2.5 सामग्री प्रहस्तन उपस्कर

विनिर्मित उपस्करों की रेंज में क्रशिंग और स्क्रीनिंग संयंत्र, कोयला/अयस्क/राख प्रहस्तन संयंत्र और स्टेकर्स, रिक्लेमर्स, शिप लोडर्स/अनलोडर्स, वैगन टिप्लर्स, फीडर्स आदि जैसे संबद्ध उपस्कर शामिल हैं, जो कोयला, सीमेंट, विद्युत, पत्तन, खनन, उर्वरक और इस्पात संयंत्रों जैसे मुख्य उद्योगों की बढ़ती हुई और तीव्र परिवर्तनशील आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के विनिर्माण के लिए संगठित क्षेत्र में 50 इकाइयां हैं। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग क्षेत्र में प्रचालनरत कई इकाइयां हैं। यह उद्योग घरेलू मांग की पूर्ति करने में आत्मनिर्भर है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पूरी करने में भी सक्षम है। तथापि, जैसा नीचे सारणी में दिया गया है, आयात का स्तर निर्यात की अपेक्षा बहुत अधिक है:

(करोड़ रुपए)

	2004-2005	2005-2006	2006-2007
आयात	261.44	545.54	1552.97
निर्यात	80.16	77.91	124.27

3.2.6 ऑयल फील्ड उपस्कर

भारत में पेट्रोलियम उद्योग में भारी परिवर्तन हो रहा है। उदारीकरण की चालू प्रक्रिया से उद्योग को तेल की खोज, उत्पादन, तेलशोधन और विपणन के सभी मुख्य क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है और इसके परिणाम स्वरूप ऑयल फील्ड और संबद्ध उपस्करों की मांग में वृद्धि हुई है। घरेलू उत्पादन मुख्यत: तटीय ड्रिलिंग उपस्कर शामिल करते हैं। अपतटीय ड्रिलिंग के अधीन केवल अपतटीय प्लेटफॉर्म और कुछ अन्य

प्रौद्योगिकीय संरचनाओं का भी स्थानीय रूप से उत्पादन किया जा रहा है। इन उपस्करों के मुख्य उत्पादन ''भेल'', हिन्दुस्तान शिपयार्ड, मझगांव गोदी और लार्सन एण्ड टूब्रो हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान आयात/निर्यात का स्तर निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

	2004-2005	2005-2006	2006-2007
आयात	638.20	352.84	411.73
निर्यात	300.47	71.87	72.51

3.2.7 धातुकर्म मशीनरी

धातुकर्म मशीनरी में मिनरल बेनिफिकेशन, अयस्क ड्रेसिंग, साइज रिडक्शन, इस्पात संयंत्र उपस्कर, फाउन्ड्री उपस्कर और भट्ठियां शामिल हैं। वर्तमान में विभिन्न किस्मों की धातुकर्म मशीनरी के विनिर्माण में संगठित क्षेत्र में 39 इकाइयां कार्यरत हैं। देश में उन उपस्करों की मांग पूरी करने के लिए देश में उत्पादन क्षमता पर्याप्त हैं।

देशी विनिर्माता इस्पात संयंत्रों के लिए अधिकांश उपस्कर अर्थात ब्लास्ट फर्नेस, सिन्टर संयंत्र, कोक ओवन, स्टील मेल्टिंग शॉप उपस्कर, निरंतर कास्टिंग उपस्कर, रोलिंग मिल्स और फिनिशिंग लाइन की आपूर्ति करने की स्थिति में हैं। तथापि, लौह और अलौह क्षेत्र में अपेक्षित संयंत्रों और उपस्करों के लिए बुनियादी डिजाइन और इंजीनियरी में प्रौद्योगिकीय कमी हैं, जिसके लिए घरेलू विनिर्माता आयातित जानकारी पर निर्भर हैं। चूंकि लौह और अलौह धातु निर्माण की प्रक्रिया उपस्कर की डिजाइन से संबद्ध है इसलिए प्रक्रिया जानकारी, डिजाइनकर्ताओं और उपस्कर विनिर्माताओं के बीच घनिष्ठ संपर्क की आवश्यकता है। नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों के कारण आयात स्थिर रूप से बढ़ता रहा है:

(करोड़ रुपए)

	2004-2005	2005-2006	2006-2007
आयात	454.40	1200.65	1843.27
निर्यात	370.70	535.04	643.68

3.2.8 खनन मशीनरी

प्रमुख खनन उपस्करों में लांगवाल खनन उपस्कर, रोड हैडर, साइड डिस्चार्ज लोडर (एसडीएल), होलेज वाइंडर, वेंटिलेशन फैन, लोड हौल डम्पर (एलएचडी), कोल कटर, कन्वेयर्स, बैटरी लोको, पंप्स, फ्रिक्शन प्रोप आदि शामिल हैं।

वर्तमान में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के अंतर्गत संगठित क्षेत्र में 32 विनिर्माता हैं, जो विभिन्न प्रकार के भूमिगत और सतह पर काम आने वाले खनन उपस्करों के निर्माण में लगे हैं। इनमें से 17 इकाइयां भूमिगत खनन उपस्कर का विनिर्माण करती हैं। खनन उद्योग की अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति देशी विनिर्माताओं द्वारा की जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान आयात/निर्यात का स्तर निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

	2004-2005	2005-2006	2006-2007
आयात	39.01	41.99	76.71
निर्यात	1.55	5.90	48.47

3.2.9 डेयरी मशीनरी

वर्तमान में इवेपेरेटर, मिल्क रेफ्रिजेरेटर और भंडारण टंकी, मिल्क एण्ड क्रीम डिओडोराइजर्स, सेंट्रिफ्यूजेज, क्लेरिफायर्स, एजिटेटर्स, होमोजेनाइजर्स, स्प्रे डायर्स और हीट एक्सचेंजर जैसे डेयरी मशीनरी उपस्करों का विनिर्माण कर रही संगठित क्षेत्र में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र की 16 इकाइयां हैं। लघु उद्योग इकाइयां भी देशी उत्पादन में योगदान दे रही हैं। मिल्क पाउडर संयंत्रों के लिए स्प्रे-ड्रायर्स, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर और अन्य महत्वपूर्ण उपस्करों पर उच्च कोटि की पॉलिश की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि अपर्याप्त पॉलिश के परिणामस्वरूप किसी भी माइक्रो क्रेविसेज के बचे रहने से जीवाणु को सांस लेने और प्रजनन का आधार मिल सकता है। सेल्फ क्लिनिंग क्रीम, सेपरेटर, एसेप्टिक प्रोसेसिंग सिस्टम जैसे प्रहस्तन उपस्करों और दही तथा परम्परागत भारतीय मिष्ठान बनाने के लिए अपेक्षित उपस्कर के लिए प्रौद्योगिकी की कमी मौजूद है। पिछले 3 वर्षों के दौरान आयात/निर्यात का स्तर निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

	2004-2005	2005-2006	2006-2007
आयात	21.05	52.36	68.97
निर्यात	8.08	9.95	10.27

3.3 मशीन टूल

मशीन टूल उद्योग यहां तक कि औद्योगिक रूप से उन्नत देशों को भी सामान्य प्रयोजन और मानक मशीन टूल का निर्यात करने की स्थिति में हैं। पिछले चार दशकों से भारत में मशीन टूल उद्योग ने एक सुदृढ़ आधार स्थापित

किया है और संगठित क्षेत्र में लगभग 200 मशीन टूल विनिर्माता तथा साथ ही लघु क्षेत्र में भी लगभग 400 इकाइयां हैं। भारतीय उद्योगों में अच्छी डिजाइन दक्षता है और सीएनसी मशीनों का उत्पादन बढ़कर प्रतिवर्ष लगभग 4000 हो गया है। तथापि, इस उद्योग में बहुत उच्च सूक्ष्मता वाली सीएनसी मशीनों का विनिर्माण करने की डिजाइन और इंजीनियरी दक्षता की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी का आयात प्रोत्साहित किया जाता है। भारतीय मशीन टूल गुणवत्ता/प्रिसीजन और विश्वसनीयता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक विनिर्मित किए जाते हैं। आधुनिक मशीन टूल के इस क्षेत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकी लाने के लिए कई सहयोग भी अनुमोदित किए गए हैं और उद्योग अब परम्परागत तथा साथ ही एनसी/सीएनसी उच्च-प्रौद्योगिकी मशीन टूल का निर्यात कर रहा है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान अधिक उपयुक्त डिजाइनयुक्त मशीन टूल के लिए अनुसंधान कर रहा है। तथापि, निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार, देश में आ रही पुरानी मशीन टूलों के कारण पिछले 3 वर्षों के दौरान आयात में वृद्धि हो रही है:-

(करोड़ रुपए)

	2004-2005	2005-2006	2006-2007
उत्पादन	1089.04	1342.00	1719.00
आयात	1820.83	2899.00	4656.00
निर्यात	52.61	50.00	73.00

3.4 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

3.4.1 विभाग भारी मशीनरी, भारी उद्योग, पूंजीगत सामग्रियों और ऑटो क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संवर्धन के लिए प्रयास करता है और डब्ल्यूटीआ के मामलों, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय करारों तथा विभाग से संबंधित अन्य मुद्दों से स्वयं को अवगत रखता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, वरिष्ठ अधिकारी/मंत्री स्तरीय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

3.4.2 भारत का एसियान, बिमस्टेक, सिंगापुर, थाइलैंड और यूरोपीय संघ आदि जैसे विभिन्न संगठनों/देशों के साथ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) है। विभाग नकारात्मक सूची में संगत मदों को प्रतिधारित करने का सुझाव देकर संबंधित उद्योग का हित संरक्षण करता है। हाल ही में, यूरोपीय संघ; एसियान; भारत-थाइलैंड एफटीए; और भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीए) के लिए भारत की नकारात्मक सूची को अंतिम रूप देने में ऑटो और मशीन टूल से संबंधित संगत मदों को प्रतिधारित करने का सुझाव दिया गया था। डब्ल्यूटीओ, जेनेवा में उत्पत्ति के नियम (आरओओ) पर समिति की बैठक के लिए मशीनरी और ऑटो क्षेत्र के विचार भी वाणिज्य विभाग को सूचित किए गए हैं।

3.4.3 वाणिज्य विभाग की भारत-चेकोस्लोवाकिया संयुक्त समिति की बैठक के नयाचार और भारतीय पक्ष से भारत-चेकोस्लोवाकिया संयुक्त कार्य दल (जेडब्यूजी) के सह-अध्यक्ष के रूप में संयुक्त सचिव, भारी उद्योग के अनुसार एक औपचारिक भारत-चेकोस्लोवाकिया संयुक्त कार्य दल गठित किया गया है। भारी उद्योग पर भारत-चेकोस्लोवाकिया संयुक्त कार्य दल की दूसरी बैठक दिनांक 24 जून, 2007 को बंगलौर में आयोजित की गई थी। यह बैठक बहुत फलदायी सिद्ध हुई और भारतीय पक्ष अपने दिलचस्पी के क्षेत्रों में सफल प्रगति करने में समर्थ था। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में "भेल" ने वाहन कंट्रोल और रेलगाड़ी प्रबंध प्रणाली का व्यावसाय प्राप्त करने के लिए यूनिकंट्रोल्स के साथ दो वर्षों की अवधि के लिए समझोता ज्ञापन बढ़ाया है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और ईएमयू के लिए आईजीबीटी ड्राइव्स के क्षेत्र में यूनिकंट्रोल्स से एक प्रस्ताव भी रेलवे खण्ड में सहयोग बढ़ाने के लिए सक्रिय विचारधीन है। "भेल" ने मैसर्स एमटीएच प्राहा के साथ सहयोग से भारतीय रेलवे से 2 बेलास्ट क्लिनिंग मशीनों का ऑर्डर भी प्राप्त किया है। एक बड़ी उल्लेखनीय सफलता के रूप में जेडब्ल्यूजी की आगामी बैठक के दौरान ऑटो उद्योग पर एक उप-दल गठित करने का निर्णय लिया गया था।

3.4.4 एक शुरूआत की गई है और हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची ने बोकारो इस्पात संयंत्र को 8 लेडल कार के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए निविदा के बदले प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मैसर्स विक्टोवाइस हेवी मशीनरी, प्राग से सहायता मांगी है। एचईसी प्रौद्योगिकी और चेकोस्लोवाकिया गणराज्य की कंपनियों यथा मैसर्स स्कोडा मशीन टूल्स, मैसर्स टीओएस वांसडॉर्फ और मैसर्स यूनेक्सन के सहयोग के आधार पर विभिन्न निविदाओं में मामला-दर-मामला आधार पर भारत में विभिन्न निविदाओं में भी भाग लेगा और बोलियां प्रस्तुत करने के पूर्व उनका सहयोग मांगा जाएगा।

3.4.5 दिनांक 12 जुलाई, 2007 को आयोजित भारत–लीबिया संयुक्त आयोग के 10वें सत्र के सहमत्य कार्यवृत्त के अनुसार, "भेल" के प्रस्ताव के आधार पर, लीबिया की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (जीईएफओएल) ने ईसीसीओ (भारतीय–लीबियाई संयुक्त उपक्रम) के साथ माउन्टेन एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लिए संविदा पर हस्ताक्षर किया है और इसके बाद ईसीसीओ और "भेल" ने भी "भेल" द्वारा परियोजना के निष्पादन के लिए संविदा पर हस्ताक्षर किया है।

अध्याय 4

ऑटोमोटिव उद्योग

4.1 ऑटोमोटिव उद्योग की रूपरेखा

4.1.1 ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक रूप से सबसे बड़े उद्योगों में से एक और अर्थव्यवस्था का एक चालक है। अर्थव्यवस्था के कई मुख्य खण्डों के साथ इसके गहरे अग्रगामी और पश्चगामी संपर्कों के कारण ऑटोमोटिव उद्योग का अर्थव्यवस्था पर सुदृढ़ गुणक प्रभाव है। देश के तीव्र आर्थिक और औद्योगिक विकास में एक सुदृढ़ परिवहन प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुविकसित भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग व्यापक किस्म के वाहनों जैसे यात्री कार, हल्के, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन, बहुउपयोगी वाहनों, स्कूटरों, मोटरसाइकिलों, मोपेड, तिपहिए आदि का उत्पादन करते हुए इस उत्प्रेरक भूमिका को समर्थतापूर्वक पूरा करता है।

4.1.2 नई औद्योगिक नीति की घोषणा से ऑटोमोबाइल उद्योग में जुलाई, 1991 में लाइसेंसीकरण समाप्त हो गया। तथापि, यात्री कार को वर्ष 1993 में लाइसेंसमुक्त किया गया। कुछ विशेष मामलों को छोड़कर ऑटोमोबाइल के विनिर्माण के लिए कोई इकाई स्थापित करने हेतु किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इस क्षेत्र को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए यात्री कारों सहित वाहनों के विनिर्माण के लिए पिछले वर्षों से प्रौद्योगिकी के आयात और विदेशी निवेश के मानदंडों को भी प्रगामी रूप से उदारीकृत बनाया गया है। इस समय यात्री कार खण्ड सहित इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अधीन 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत्य है। इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अधीन किसी अवधि की सीमा के बिना 5% के रॉयल्टी और 2 मिलियन अमरीकी डॉलर के एकमुश्त भुगतान पर प्रौद्योगिकी/प्रौद्योगिकी उन्नयन का आयात भी अनुमत्य है। वर्ष 1991 से ऑटोमोबाइल क्षेत्र का धीरे-धीरे उदारीकरण किए जाने से भारत में विनिर्माण सुविधाओं की संख्या प्रगामी रूप से बढ़ी है। इस समय यात्री कार और बहुउपयोगी वाहनों के 15 विनिर्माता, वाणिज्यिक वाहनों के 9 विनिर्माता, दोपहिए / तिपहिए के 14 और इंजन के 5 विनिर्माताओं सहित ट्रैक्टर के 14 विनिर्माता हैं।

4.1.3 ऑटोमोबाइल और ऑटो संघटक क्षेत्र वाले ऑटोमोटिव उद्योग ने वर्ष 1991 में लाइसेंसीकरण समाप्त होने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए क्षेत्र को मुक्त कर देने से तीव्र प्रगति की है। वर्ष 2002-03 में इस उद्योग में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश था, जिसके वर्ष 2007 तक बढ़कर 80,000 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग 1,65,000 करोड़ रुपए (34 बिलियन अमरीकी डॉलर) का कुल कारोबार प्राप्त कर चुका है। यह उद्योग 1.31 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान करता है। सकल घरेलू उत्पाद में ऑटोमोटिव उद्योग का अंशदान वर्ष 1992-93 में 2.77% से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 5% हो गया है। यह उद्योग सरकार के अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण में भी 17% का योगदान कर रहा है।

4.1.4 आज भारत विश्व में दोपहिए का दूसरा सबसे बड़ा और वाणिज्यिक वाहनों का पांचवां सबसे बड़ा विनिर्माता है; विश्व में सबसे अधिक संख्या में ट्रैक्टर का विनिर्माण करता है और एशिया में यात्री कारों का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। विश्व में दोपहिए का सबसे बड़ा विनिर्माता भारत में है। दो दशक पूर्व वाहनों के कुछेक मॉडलों वाले आपूर्तिकर्ता चालित बाजार के पास ग्राहकों के विकल्पों के अनुरूप अब 150 से अधिक मॉडल हैं।

4.2 उत्पादन

4.2.1 भारत में सबसे बड़े उद्योगों में से एक ऑटोमोटिव उद्योग पिछले दो दशकों के दौरान प्रभावशाली वृद्धि देखता रहा है। यह उद्योग अपना पुनर्गठन करने, नई प्रौद्योगिकियां अपनाने, वैश्विक विकास के अनुरूप होने और अपनी क्षमता प्राप्त करने में समर्थ रहा है। इसने देश में समग्र औद्योगिक विकास में उद्योग के योगदान मे काफी वृद्धि की है।

ऑटोमोबाइल क्षेत्र ने वर्ष 2006-07 में 13.56% की वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान उद्योग में 3.49% की कमी हुई है। वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(हजार में)

श्रेणी	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर)
यात्री कार	513	564	609	843	128	1113	1323	1012
उपयोगी वाहन	128	106	114	146	182	197	222	175
कुल सीवी	157	163	204	275	354	391	520	388
कुल दोपहिए	3,759	4,271	5,076	5,623	5,530	7,609	3,444	6029
तिपहिए	203	213	277	356	374	434	556	382
कुल जोड	4,759	5,316	6,280	7,244	8,468	9,744	11,065	8057
वृद्धि %	(-) 1.74	11.70	18.13	15.34	16.90	15.06	13.56	(- 2.6)

4.2.2 निर्यात

भारत के ऑटोमोटिव उद्योग को अब संपूर्ण विश्व में वृद्धिकारी मान्यता मिल रही है और वाहनों तथा साथ ही संघटकों के निर्यात में शुरूआत की गई है। वर्ष 2003-04 के दौरान ऑटोमोबाइल उद्योग के निर्यात ने 55.98% की वृद्धि दर की है जबकि यह वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान क्रमश: 31.25%, 28.03% और 25.43% थी। वर्ष 2003-04 में ऑटोमोबाइल का निर्यात 1 बिलियन अमरीकी डालर को पार कर गया और वर्ष 2006-07 में 2.76 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ गया। इस उद्योग ने वर्ष 2006-07 में अपने यात्री कार उत्पादन के 15%, वाणिज्यिक वाहन के उत्पादन के 10%, तिपहिए के उत्पादन के 26% का और दोपहिए के उत्पादन के 7% का निर्यात किया। निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(हजार में)

श्रेणी	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर)
यात्री कार	23	50	71	126	162	171	194	148
उपयोगी वाहन	4	3	1	3	5	4	4	4
कुल सीवी	14	12	12	17	30	41	50	42
कुल दोपहिए	111	104	180	265	366	513	619	604
तिपहिए	16	15	43	68	67	77	144	105
कुल जोड़	168	185	307	480	630	806	1011	906
वृद्धि %	20.81	9.74	66.49	56.17	31.18	28.05	25.43	17.37

4.2.3 वाहन प्रदूषण नियंत्रण सरकार द्वारा किए गए उपाय

सरकार ने वर्ष 1992 से उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों, जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम के अधीन अप्रैल, 1996 में और संशोधित किया गया था, को अधिसूचित करके प्रदूषण और सुरक्षा जांच प्रारंभ की। भारत चरण-1 (यूरो-I के समतुल्य) उत्सर्जन मानदंड देश भर में लागू किया जा चुका है। यूरो-II के समतुल्य भारत चरण-II मानदंड दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता के 4 महानगरों में वर्ष 2001 से लागू है। ये मानदंड संपूर्ण देश में दिनांक 1.4.2005 से विस्तारित किए गए हैं। भारत यूरोपीय विनियमन के साथ चार पहियों के वाहन के लिए अपने उत्सर्जन मानदंड सुसंगत बना रहा है और अप्रैल, 2005 से 11 महानगरों में यूरो-III के समतुल्य मानदंड अपनाए है।

4.3 ऑटो संघटक उद्योग

4.3.1 रूपरेखा

नब्बे के दशक से ऑटोमोबाइल उद्योग में उछाल से देश में ऑटो संघटक क्षेत्र का सुदृढ़ विकास हुआ है। उभरते हुए परिदृश्य का प्रत्युत्तर देते हुए भारतीय ऑटो संघटक क्षेत्र ने वृद्धि, विस्तार, नई प्रौद्योगिकियों के आमेलन और लचीलेपन के रूप में प्रौद्योगिकी मंच की बहुतायतता और कम मात्रा के बावजूद हाल के वर्षों में अत्यधिक उन्नति दर्शाई है। भारत के उचित रूप से मूल्यनिर्धारित कुशल कार्य बल; देश द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्राप्त सुदृढ़ता के साथ प्रौद्योगिकी कामगारों की बड़ी संख्या ने संघटक उद्योग में महत्त्वपूर्ण विकास के वातावरण में योगदान दिया है। भारतीय ऑटो संघटक क्षेत्र को सॉफ्टवेयर क्षेत्र के बाद ऐसा

क्षेत्र माना जा रहा है, जिससे वैरिवक रूप से प्रतिस्पर्धा बनने क्षेत्र माना जा रहा है, जिसमें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने की क्षमता है। वर्ष 2006-07 में 64,500 करोड़ रुपए से अधिक के कुल कारोबार सहित और वाहन विनिर्माण के लिए अपेक्षित सभी मुख्य संघटकों का विनिर्माण कर रहे भारतीय ऑटो संघटक उद्योग ने देश के ऑटोमोटिव उद्योग की वृद्धि और विकास में मुख्य भूमिका निभाई है। 1980 के दशक में पालन किए गए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) को समाप्त कर दिया है। ऑटो संघटकों पर सीमा शुल्क भी प्रगामी रूप से प्रत्येक वर्ष घटाते हुए वर्ष 2007 में 7.5-10% के स्तर पर लाया गया। आज, ऑटो संघटक उद्योग विनिर्माण क्षेत्र के एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी खण्ड के रूप में उभरा है।

4.3.2 भारतीय ऑटो संघटक उद्योग व्यापक (व्यावहारिक रूप से सभी पुर्जों का उत्पादन करने वाला संगठित क्षेत्र में 400 से अधिक फर्म और स्तरीकृत प्रारूप में लघु असंगठित क्षेत्र में 10,000 से अधिक फर्म) है और यह ऑटो उद्योग के तेजी से विकास कर रहे खण्डों में से एक है। वर्ष 2006-07 के दौरान ऑटो संघटक उद्योग ने अपना उच्च वृद्धि का मार्ग प्रशस्त रखा तथा वर्ष के दौरान उत्पादन में 21% की वृद्धि दर्ज करते हुए भारतीय इंजीनियरी उद्योग में तीव्रतम वृद्धिकारी क्षेत्र में से एक के रूप में उभरा। इस उद्योग ने वर्ष के दौरान 2.9 बिलियन अमरीकी डालर (12,643 करोड़ रुपए) के निर्यात सहित 15 बिलियन अमरीकी डालर (64,500 करोड़ रुपए) के कुल कारोबार को पार कर लिया। उद्योग में निवेश भी वर्ष के दौरान 45,000 करोड़ रुपए से अधिक तक बढ़ गया क्योंकि उद्योग ने बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्षमता वृद्धि और नए ग्रीनफील्ड कार्यस्थलों में निवेश करना जारी रखा।

4.3.3 गुणवत्ता और उत्पादकता के मोर्चे पर ऑटो संघटक उद्योग ने 95% से अधिक कंपनियों को आईएसओ-9000 प्रणाली मानकों और 70% से अधिक कंपनियों को आईएसओ/टीएस 16949 मानकों के अनुसार प्रमाणित किए जाने के कारण अपनी अग्रता बनाई रखी है। इस उद्योग को 11 अधिकतम डेमिग पुरस्कार विजेता कंपनियां होने का श्रेय प्राप्त है। कुल कारोबार, निर्यात और रोजगार के रूप में पिछले 4 वर्षों के दौरान ऑटोसंघटक क्षेत्र का कार्य निष्पादन निम्नानुसार है:-

संकेतक	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
करोड़ रुपए में कुल कारोबार	30,640	38,500	53,400	64,500
करोड़ रुपए में निर्यात	5,795	7,615	10,863	12,643
करोड़ रुपए में आयात	6,499	8,560	10,922	14,644
रोजगार (प्रत्यक्ष)	2,50,000	2,50,000	2,70,000	2,85,000

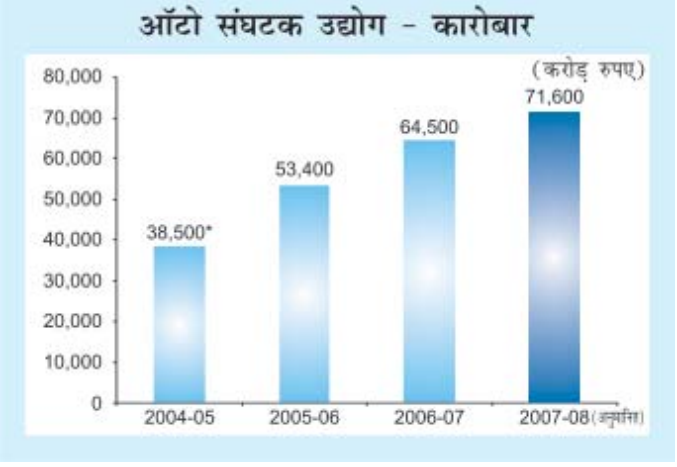

4.3.4 निर्यात और आयात

चूंकि वैश्विक ओईएम/स्तर-1 कंपनियों ने भारत को उनके वैश्विक उत्पादन के लिए ऑटो संघटकों के स्रोत के लिए अग्रणी प्रतिस्पर्धी देश के रूप में अभिज्ञात किया है इसलिए भारतीय ऑटो संघटक उद्योग के निर्यात का परिदृश्य बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है; ऑटो संघटक उद्योग के निर्यात की वृद्धि वर्ष 2006-07 में 15% थी। तथापि, भारत निर्यात की अपेक्षा अधिक कुल आयात सहित ऑटो-संघटकों का भी मुख्य आयातक बना हुआ है। वर्ष 2006-07 के दौरान ऑटो संघटकों का कुल आयात 3.3 बिलियन अमरीकी डालर (14,644 करोड़ रुपए) का था। आज ऑटो संघटक उद्योग को वृहद विकास की संभावनाओं सहित उभरता हुआ मुख्य उद्योग माना जाता है। इस उद्योग के इसके कच्ची सामग्रियों, पूंजीगत सामग्रियों, मध्यस्थ उत्पादों आदि जैसे इंजीनियरी क्षेत्र के कई अन्य खण्डों के साथ सुदृढ़ उधोप्रवाह और उर्ध्वप्रवाह संप्रकों के दृष्टिगत इंजीनियरी क्षेत्र के विकास को चालित करने की प्रत्याशा है। इस क्षेत्र की क्षमता का भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा बनाई गई ऑटोमोटिव मिशन योजना में पर्याप्त रूप से विशेष उल्लेख किया गया है। ऑटोमोटिव मिशन योजना का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जनवरी, 2007 में किया गया था और यह दस्तावेज ऑटोमोटिव उद्योग के लिए वर्ष 2016 हेतु उद्योग और सरकार की सामूहिक कल्पनादृष्टि निर्धारित करता है।

- सहायक उपकरण/कार सडजा पैवेलियन
- वैकल्पिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियां

प्रदर्शनी के दौरान हुए मुख्य आयोजनों में टाटा की 1 लाख रुपए वाली कार का शुभारंभ शामिल था। मारुति सुजुकी ने अपने ए-स्टार हैचबैक कंसेप्ट कार का अनावरण किया और अपनी 1.1 लिटर स्पलैश जिसका उत्पादन संपूर्ण यूरोपीय बाजार के लिए भारत में किया जाएगा, का भी प्रदर्शन किया। जनरल मोटर्स इंडिया ने अपने सर्वोत्तम बिकने वाली कार एसयूवी कैप्टिवा का भारत में शुभारंभ किया। होण्डा मोटर ने अपने प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत फ्यूल सेल कार एफसीएक्स और जाज प्रोटोटाइप के अतिरिक्त मिश्रित सिविक का भी प्रदर्शन किया, जिसका शुभारंभ भारत में वर्ष 2009 में किया जाएगा।

4.3.7 तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय अनुकूल वाहन सम्मेलन, जर्मन

तत्कालीन संयुक्त सचिव और इस समय अपर सचिव, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, डॉ. सुरजित मित्रा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने ड्रेसडन, जर्मनी में दिनांक

श्री उलरिच कास्पारिक, पालियामेन्ट्री स्टेट सेक्रेटरी, फैडरल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग एवं अर्बन एफेयर्स, जर्मनी द्वारा अगली पर्यावरण हितैषी वाहन सम्मेलन भारत में आयोजित करने के उपलक्ष्य में डॉ. सुरजित मित्रा, अपर सचिव, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय को बैटन प्रदान करते हुए

19/20 नवम्बर, 2007 को आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय अनुकूल वाहन सम्मेलन में भाग लिया।

इस सम्मेलन का लक्ष्य अभिनव प्रौद्योगिकियों और वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों के साथ भविष्य में पर्यावरणीय अनुकूल वाहनों के संबंध में समझ की प्रक्रिया जारी और बनाए रखना है। इस सम्मेलन में अद्यतन हुए विकास की विशेषता का वर्णन करते हुए एक प्रदर्शनी शामिल थी। संपूर्ण विश्व से सरकार, उद्योग, विज्ञान और उपभोक्ता संगठनों से प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया।

तत्कालीन संयुक्त सचिव और इस समय अपर सचिव, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, डॉ. सुरजित मित्रा ने वर्ष 2009 में भारत में अगले ईएफवी सम्मेलन की मेजबानी के लिए बैटन प्राप्त किया। यह पहली बार है कि ईएफवी सम्मेलन जी-8 देशों से बाहर किसी देश में आयोजित होने जा रहा है।

4.4 कृषि मशीनरी

कृषि मशीनरी में मुख्यत: कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर्स, कम्बाइन हारवेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी और उपकरण शामिल होते हैं। पावर टिलर, कम्बाइन हारवेस्ट और अन्य कृषि मशीनरी के नगण्य उत्पादन के कारण इस क्षेत्र पर मुख्यत: कृषि ट्रैक्टर का प्रभुत्व है।

4.4.1 उत्पादन

इस उद्योग ने वर्ष 1961 में शुरूआत की और तब से इसने लंबी दूरी तय की है। पिछले 4 दशकों में मात्रा की वृद्धि मौसमी अनियमितताओं, ट्रैक्टर की घटती मांग और इसके फलस्वरूप उद्योग की मात्रा में कमी क बावजूद 10% का सीएजीआर दर्शाती है। वर्ष 2006-07 के दौरान उद्योग में 3,52,827 ट्रैक्टरों के स्तर तक कुल उत्पादन पहुंचने से 19.5% की वृद्धि हुई। चालू वर्ष (2007-08) के दौरान अक्टूबर, 2007 तक 2,02,708 ट्रैक्टरों की बिक्री की गई है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अक्टूबर, 2007 तक ट्रैक्टरों का उत्पादन आंकड़ा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	संख्या
2004-2005	2,48,976
2005-2006	2,92,908
2006-2007	3,52,827
2007-2008 (अप्रैल-अक्तूबर)	2,02,708

4.4.2 निर्यात

भारतीय ट्रैक्टरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी स्वीकृति मिल रही है। पिछले 3 वर्षों में भारतीय ट्रैक्टरों के निर्यात में 55% से अधिक सीएजीआर पर वृद्धि हुई है। वर्ष 2005-06 के

ऑटोमोटिव मिशन योजना (एएमपी) 169000 करोड़ रुपए के वर्तमान स्तर से ऑटोमोटिव उद्योग के उत्पादन में वर्ष 2016 तक 60,0000 करोड़ रुपए तक वृद्धि की संकल्पना करती है।

4.3.5 अंतर्राष्ट्रीय मोटर प्रदर्शनी, जर्मनी

दिनांक 13 से 23 सितम्बर, 2007 तक हुई 62वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल ऑस्टेलंग (आईएए-विश्व की सबसे बड़ी यात्री कार प्रदर्शनी) एसीएमए के जर्मनी में सहयोगी वरबैंड-डेर-ऑटोमोबाइलइंडस्ट्रीज (वीडीए) द्वारा आयोजित की गई थी। आईएए प्रदर्शनी का अधिकारिक उद्घाटन जर्मन चांसलर डॉ. एन्जेला मर्केल द्वारा श्री संतोष मोहन देव, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री की उपस्थिति में 13 सितम्बर, 2007 को किया गया था। श्री संतोष मोहन देव, मंत्री (भा.उ. और लो.उ.) ने मुख्य भाषण दिया। आईएए के साथ भारत दिवस भी आयोजित किया गया था। मंत्री (भा.उ. और लो.उ.) के नेतृत्व में भारत से एक उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल ने भारत दिवस संगोष्ठि में भाग लिया जिसमें अन्य लोगों के अतिरिक्त तत्कालीन संयुक्त सचिव, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय और इस समय अपर सचिव, भारी उद्योग विभाग, अध्यक्ष, एसआईएएम एसीएमए आदि भी शामिल थे। वीडीए और एसीएमए के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया। 90 से अधिक देशों से लगभग 14,000 मीडियाकर्मियों ने प्रदर्शनी के कवरेज के लिए भाग लिया।

श्री संतोष मोहन देव, माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मोटर शो को सम्बोधित करते हुए

4.3.6 ऑटो एक्सपो, 2008

9वां ऑटो एक्सपो नई दिल्ली में दिनांक 10 से 17 जनवरी, 2008 तक आयोजित किया गया था। इस प्रदर्शनी में लगभग 2000 प्रदर्शकों ने भाग लिया और चार वैश्विक शुभारंभ सहित 25 शुभारंभों को प्रदर्शित किया गया था। 9वें ऑटो एक्सपो का कुल प्रदर्शन क्षेत्र 1,25,000 वर्ग फुट था जिसने इसे शंघाई मोटरशो के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो बनाया। इस ऑटो एक्सपो ने 18 लाख से अधिक आगन्तुकों को आकर्षित किया। अंतर्राष्ट्रीय मोटर वाहन विनिर्माता संगठन (ओआईसीए) द्वारा मान्यताप्राप्त इस प्रदर्शनी में ब्राजील, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान,

श्री संतोष मोहन देव, माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री 9वें ऑटो एक्सपो 2008 में भाषण देते हुए

कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि सहित 25 देशों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

केन्द्रीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री, श्री संतोष मोहन देव ने अपने उद्घाटन भाषण में भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को बधाई दी और आने वाले दिनों में उद्योग की अत्यधिक सफलता की कामना की। ऑटो एक्सपो के मुख्य क्षेत्र निम्नानुसार थे-

- डिजाइन पैवेलियन - डीजल सिटी
- इन्फोट्रॉनिक्स
- गैरेज उपस्कर

श्री संतोष मोहन देव, माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री ऑटो एक्सपो शो 2008 के दौरान

दौरान भारत से ट्रैक्टरों के निर्यात में लगभग 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें से संयुक्त राज्य अमरीका का बड़ा हिस्सा है। दक्षिण एशियाई देशों, मलेशिया और टर्की जैसे अन्य देशों को भी निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय संगठनों ने तेजी से अफ्रीकी देशों को निर्यात करना प्रारंभ किया है। वर्ष 2006-07 में उद्योग ने 33813 ट्रैक्टरों का निर्यात किया। वर्ष 2007-08 में उद्योग ने 24024 ट्रैक्टरों (अक्टूबर तक) का निर्यात किया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान उद्योग का निर्यात कार्यनिष्पादन निम्नानुसार था:-

वर्ष	निर्यात किए गए ट्रैक्टरों की संख्या
2000-01	7345
2001-02	8144
2002-03	13,511
2003-04	16,100
2004-05	20,000
2005-06	29,366
2006-07	33,813
2007-08 (अप्रैल-अक्तूबर)	24,024

4.4.3 बाजार

पारम्परिक रूप से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ट्रैक्टर के बाजार के लिए मुख्य राज्य हैं। मध्य प्रदेश, आंध प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात राज्यों में ट्रैक्टरों के लिए नए बाजार तेज गति से विकसित हो रहे हैं। ट्रैक्टर उद्योग का 93 प्रतिशत बाहर राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में संकेंद्रित हैं, इनमें से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है जहां वर्ष 2005-06 में 44308 ट्रैक्टरों की बिक्री की गई थी। वर्ष 2006-07 में शीर्ष दस राज्य, जहां ट्रैक्टरों की बिक्री की गई थी, में से उत्तर प्रदेश 17% से अग्रणी है जिसके बाद आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 13%, गुजराज में 11%, महाराष्ट्र में 10%, कर्नाटक और तमिलनाडु में 8%, हरियाणा और मध्य प्रदेश में 7% की बिक्री दर्ज की गई। कृषि संबंधी सकल घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर बल दिए जाने के कारण, घरेलू उद्योग के प्रति वर्ष 4% से 6% की दर से वृद्धि करना प्रत्याशित है और इसे प्रति वर्ष लगभग 3.5 से 4.0 लाख ट्रैक्टरों तक स्थिर हो जाना चाहिए।

4.5 मिट्टी हटाने वाली तथा भवन निर्माण मशीनरी

4.5.1 मिट्टी हटाने के उपकरण और भवन निर्माण मशीनरी उद्योग हमारे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग कोयला और खनिज खनन, सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं, पत्तन, इस्पात उर्वरक आदि जैसी मुख्य विकास तथा अवसंरचनात्मक योजनाओं से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। ऐसी मशीनों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी पहले उपलब्ध नहीं थी। इसलिए कोमात्सु, केटरपिलर, पोक्लेन, ड्रेसर, डेमग और हिताची जैसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात विनिर्माताओं से उनके विकास के लिए प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति देना आवश्यक था। केस, केटरपिलर, हिताची, इंगरसोल-रैंड, जेसीबी, जॉन डिरे, जॉय माइनिंग मशीनरी, कोमाप्सु, पोक्लेन, टेरेक्स और वोल्वो जैसे अधिकांश प्रौद्योगिकी अग्रणी या तो भारत में संयुक्त उपक्रम कंपनियों के रूप में मौजूद है अथवा उन्होंने स्वयं अपनी विनिर्माण सुविधाएं और/अथवा विपणन कंपनियां स्थापित की हैं। इस समय विनिर्मित किए जा रहे मिट्टी हटाने के उपकरण में 10 घनमीटर क्षमता तक के शोवेल, 770 अश्वशक्ति तक के बुल्डोजर, 120 अश्वशक्ति तक के डम्पर्स, 8.5 घनमीटर क्षमता तक के एक्सकेवेटर्स, 280 अश्वशक्ति तक के स्क्रैपर और मोटर ग्रेडर और वाकिंग ड्रेगलाइन्स, चल क्रेन आदि शामिल हैं। ग्रेडर, लोडर, एक्सकेवेटर, वाईब्रेटरी कम्पैक्टर्स; हॉट मिक्स प्लांट आदि जैसे निर्माण उपस्कर, मुख्यत: सड़क निर्माण उपस्करों का देश में ही विनिर्माण किया जा रहा है। ये मशीनें सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं, कोयला और लौह अयस्क खनन, में विकास तेज करने, सीमेंट के लिए चूने के पत्थर की खुदाई, भूमि के बड़े क्षेत्र के विकास और पुनरूद्धार, सड़क निर्माण नहर बनाने औद्योगिकी कार्यस्थलों को तैयार करने और क्षेत्र के विकास कार्यकलाप के सभी पहलुओं में सहायता करती हैं। ये मशीने श्रमिकों पर भी निर्भरता कम करती हैं और निर्माण कार्य में स्वचालन प्रदान करती हैं।

4.5.2 मिट्टी हटाने और निर्माण की मशीनरी का देश में उत्पादन 1960 के दशक में आरंभ हुआ। आज कुल मिलाकर इन मदों के संबंध में देश पूर्णत: आत्मनिर्भर है। वास्तव में पिछले दशक के दौरान उद्योग ने अत्यधिक प्रगति की है

और इसके आकार और विविधता दोनों में वृद्धि हुई है। मिट्टी हटाने वाले और निर्माण उपस्कर उद्योग में उपलब्ध क्षमता लगभग 6000 इकाईयां हैं । भारत में कई मध्यम आकार की इकाईयों के अतिरिक्त संगठित क्षेत्र में 60 से अधिक उपस्कर विनिर्माता हैं। इस उद्योग पर प्रत्येक उत्पाद खण्ड में कुछ बड़े विनिर्माताओं का प्रमुत्व है। बीईएमएल कुल बाजार के लगभग आधे की आपूर्ति करता है। बीईएमएल और कैटरपिलर डम्पर और डोजर्स में जबकि एल एंड टी, कोमात्सु और टेलीकॉन खुदाई उपकरणों में और एस्कार्टस जेसीबी बेकहो लोडर्स में अग्रणी हैं।

4.5.3 इस उद्योग ने वर्ष 2005-06 में 33% की अभूतपूर्व वृद्धि देखी और यह 40 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक दर पर मात्रा का विस्तार करता रहा है जिससे यह वर्ष 2006-07 में 2.3 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है। यह वृद्धि सामान्यत: और विशेषत: अवसंरचना में हुई तीव्र आर्थिक वृद्धि के अनुरूप रही है।

अध्याय 5

प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास

5.1 भारत ने भारी विद्युत, विद्युत उत्पादन और पारेषण उद्योग, प्रक्रिया उपस्कर, ऑटोमोबाइल, जहाज, विमान, खनन, रसायन, पेट्रोलियम आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए व्यापक किस्म के बुनियादी और पूंजीगत सामग्रियों के उत्पादन के लिए सुदृढ़ और विविधीकृत विनिर्माण आधार स्थापित किया है। तथापि, भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा बहुत कम है। विकास की काफी संभावनाएं हैं, जिसे वैश्वीकृत विश्व अर्थव्यवस्था में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारने पर आधारित होना होगा। अभिनव परिवर्तन और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना प्रतिस्पध र्त्मकता में मुख्य कारक हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, अर्थव्यवस्था से मुक्त होने और इसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रवेश ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सामग्रियों और सेवाओं के उत्पादना की आवश्यकता काफी बढ़ा दी है। भारतीय उद्योग ने तेजी से परिवर्तनशील वातावरण में ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई उपाए किए हैं। विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम भी सहयोग और आंतरिक अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियां अपनाने और लागू करने की अपनी योजनाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में की गई कुछ पहलों का विवरण नीचे दिया गया है:

5.1.1 एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्र (आईजीसीसी) परियोजना

राष्ट्र की ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकता पूरी करने के लिए अधिक सक्षम और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियां विकसित करना आवश्यक है ताकि पर्यावरण पर कोयला-आधारित विद्युत संयंत्रों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। कोयले का गैसीकरण कोयले के उपयोग का स्वच्छतम तरीका है जबकि संयुक्त चक्र विद्युत उत्पादन उच्चतम क्षमता प्रदान करता है। विद्युत उत्पादन के लिए इन दोनों

एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्र प्रदर्शन संयंत्र, त्रिचिरापल्ली

प्रौद्योगिकियों का एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्र (आईजीसीसी) विद्युत संयंत्रों में एकीकरण बहुत कम उत्सर्जन, उच्चतर क्षमता का लाभ प्रदान करता है और इसमें विद्युत उत्पादन की निम्न लागत की क्षमता है।

''भेल'' पिछले दो दशमों से आईजीसीसी प्रौद्योगिकी के विकास में लगा हुआ है। इस अवधि के दौरान इसने अंतत: तिरूचि में 6.2 मेगावाट के संयुक्त चक्र प्रदर्शन संयंत्र स्थापित करते हुए विभिन्न परीक्षण सुविधाओं की डिजाइन तैयार की है, उन्हें स्थापित और प्रचलित किया है। यह संयंत्र दाबयुक्त द्रवीकृत अस्तर गैसीकरण (पीएफबीजी) प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जिसे विशेषज्ञों द्वारा राख की उच्च मात्रा वाले भारतीय कोयले के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त गैसीकरण प्रौद्योगिकी माना गया है।

विद्युत मंत्रालय द्वारा सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में और ''भेल'', योजना आयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, सीएसआईआर, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण आदि से सदस्यों को शामिल करते हुए स्थापित प्रधान वैज्ञानिक संचालन समूह ने निष्कर्ष निकाला है कि एनटीपीसी के कार्यस्थलों में से किसी एक में एनटीपीसी के लिए ''भेल'' द्वारा 125 मेगावाट आईजीसीसी प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किया जाना होगा। यह 125 मेगावाट का आईजीसीसी प्रदर्शन संयंत्र 350 मेगावाट से अधिक के वाणिज्यिक

आकार वाले आईजीसीसी संयंत्र तक और बढ़ाने के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। ''भेल'' ने एनटीपीसी को उनके सुझावों और टिप्पणियों के लिए जनवरी, 2006 में 125 मेगावाट आईजीसीसी प्रदर्शन परियोजना पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 700 करोड़ रुपए है और यह 36 महीनों में पूरी होगी। परियोजना प्रस्ताव ''भेल'' और एनटीपीसी के विचाराधीन है और इसे संबंधित निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदन पर कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जाएगा।

5.1.2 ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना

अंतर्राष्ट्रीय स्तरों तक पहुंचने के लिए ऑटोमोटिव उद्योग की वृद्धि और विकास के प्रयासों को समर्थन देने के लिए देश में अत्याधुनिक परीक्षण वैधीकरण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना सृजित करने के लिए सरकार ने जुलाई, 2005 में एक राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेंट्रिप) की स्थापना करने का अनुमोदन दिया। ''नेट्रिप'' प्रत्येक तीन वर्षों के दो चरणों में 1,718 करोड़ रुपए के कुल निवेश से भारत में विश्व-स्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसमर्थन सुविधाएं स्थापित करने की संकल्पना करता है। प्रमुख सुविधाएं देश के तीन ऑटोमोटिव केंद्रों; दक्षिण, उत्तर और पश्चिम में स्थापित की जाएंगी। इस परियोजना का लक्ष्य (i) वैश्विक वाहन सुरक्षा, उत्सर्जन और कार्यनिष्पादन मानक स्थापित करने में साकार को समर्थ बनाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक ऑटोमोटिव परीक्षण अवसंरचना सृजित करना, (ii) भारत में विनिर्माण गहन करना, रोज़गार की संभावना की महत्वपूर्ण वृद्धि करते और ऑटोमोटिव इंजीनियरी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स में अभिसरण सुविधाजनक बनाते हुए अधिक मूल्यवर्धन का संवर्धन करना; (iii) निर्यातों में बाधाएं हटाकर इस क्षेत्र में भारत की अधिक निम्न वैश्विक पहुंच बढ़ाना और (iv) ऑटोमोटिव उद्योग के लिए बुनियादी उत्पाद परीक्षण, वैधीकरण और विकास अवसरंचना के अभाव को हटाना है।

यह परियोजना निम्नलिखित सुविधाएं स्थापित करने की संकल्पना करती है:-

(i) हरियाणा राज्य के मनेसर में ऑटोमोटिव उद्योग के उत्तरी केंद्र के भीतर एक पूर्ण विकसित परीक्षण और अनुसमर्थन केंद्र।

(ii) तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के समीप किसी स्थान में ऑटोमोटिव उद्योग के दक्षिणी केंद्र के भीतर एक पूर्ण विकसित परीक्षण और अनुसमर्थन केंद्र।

(iii) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे और वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (वीआरडीई), अहमदनगर में मौजूदा परीक्षण और अनुसमर्थन सुविधाओं का उन्नयन।

(iv) ग्रीष्म और शीतकालीन पैड सहित लगभग 4,000 एकड़ भूमि पर विश्व-स्तरीय सिद्धकरण स्थल अथवा परीक्षण ट्रैक, जिनके स्थान का निर्णय वैश्विक निविदा देने की प्रक्रिया के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले विख्यात वैश्विक परामर्शदाता की तकनीकी सहायता से लिया जाएगा।

(v) उत्तर प्रदेश राज्य में राय बरेली में देश के उत्तरी भाग में दुर्घटना आंकड़ा विश्लेषण और विशिष्ट ड्राइविंग प्रशिक्षण की राष्ट्रीय सुविधा के साथ ट्रैक्टरों और सड़क से अलग रहने वाले वाहनों के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय केंद्र।

(vi) असम राज्य में धोलचोरा (सिल्चर) में राष्ट्रीय विशिष्ट पर्वतीय क्षेत्र ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र तथा क्षेत्रीय प्रयोगरत वाहन प्रबंध केंद्र।

पिछले एक वर्ष के दौरान प्राप्त कुछ मुख्य मानदंडों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:-

- सचिव, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के नेतृत्व में नेट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नेटिस) गठित की और दिनांक 27 जुलाई, 2005 को पंजीकृत की गई थी। नेटिस में सभी मुख्य हितधारकों को शामिल करते हुए एक व्यापक आधार वाला शासी परिषद है। परिषद परियोजना कार्यान्वयन का मार्गनिर्देशन करते हुए नियमित रूप से बैठक करती रही है।
- कार्यात्मक कर्मचारियों सहित केंद्रीय और कार्यस्थल कार्यालय स्थापित किए गए हैं।
- स्पेन के इडियाडा के नेतृत्वाधीन परिसंघ को जनवरी में वैश्विक परामर्शदाता नियुक्त किया गया है और उन्होंने सहमत्य समय-अनुसूची के अनुसार अगस्त, 2006 में विस्तृत परियोजना कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।
- वीआरडीई को छोड़कर सभी कार्यस्थलों में परियोजना स्थलों का भू-तकनीकी और स्थलाकृतिक सर्वेक्षण पूरा किया गया है।

- एआरएआई के उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र (आरसीएन) को ''नेटिस'' को स्थानान्तरण पूरा कर लिया गया है और केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (आईसीएटी) के रूप में नया नाम दिया गया है। नीर्विहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सीएमवीआर (केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली) के नियम 126 के अधीन स्वतंत्र किस्म में अनुमोदित एजेंसी के रूप में आईसीएटी के मान्यताकरण के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है।
- सरकार ने ''नेटिस'' के अधीन सभी परियोजना आयातों के लिए परियोजना आयात विनियमन के अधीन पूर्ण सीमाशुल्क छूट दिनांक 24 मई, 2006 को अधिसूचित की है।
- नेट्रिप की पहली सुविधा-नेट्रिप के अधीन एआरएआई में एक अत्याधुनिक उत्सर्जन प्रयोगशाला स्थापित की गई है। एआरएआई के उन्नयन का उद्घाटन माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री द्वारा पुणे में दिनांक 17 जुलाई, 2006 को किया गया।
- नेट्रिप की पहली सुविधा- नेट्रिप के अधीन एआरएआई में एक अत्याधुनिक उत्सर्जन प्रयोगशाला स्थापित की गई। एआरएआई के उन्नयन का उद्घाटन माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री द्वारा पुणे में दिनांक 17 जुलाई, 2006 को किया गया।
- नेट्रिप ने स्थापित होने वाले नेट्रिप केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुसमर्थन सेवाओं के लिए ऑटोमोटिव निर्यातों के अंतर्राष्ट्रीय रूप से वैध प्रमाणीकरण प्रदान करने हेतु दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 को यूनाइटेड किंगडम सरकार के वाहन प्रमाणीकरण प्राधिकरण(वीसीए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके एक साहसिक पहल की है।

बेजा-एसएई इंडिया-2007 नैट्रेक्स, इंदौर

- प्रत्येक केंन्द्र की विस्तृत ड्राइंग और डिजाइन सहित विस्तृत परियोजना कार्यान्वयन रिपोर्ट, प्रत्येक केंद्र में सुविधाओं के तकनीकी संरूपणों का प्राथमिक नियतन, कार्यस्थलों को अंतिम रूप देना, स्थलाकृतिक और भू-तकनीकी सर्वेक्षण सहित प्रारंभिक सर्वेक्षण आदि पूरे कर लिए गए हैं। मनेसर और इंदौर में भूमि अधिग्रहण का कार्य भली प्रकार चल रहा है जबकि सिल्चर, चेन्नई में और आंशिक रूप से इंदौर में कार्यस्थलों का कब्जा लिया जा चुका है। राय बरेली में भूमि का आवंटन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

5.1.3 पूंजी सामग्री क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन/अनुसंधान एवं विकास की व्यापक स्कीम

एक कार्यनीतिक क्षेत्र होने के कारण पूंजी सामग्री ने वर्ष 1951 से ही भारत की योजना निर्माण प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है। वर्षों से देश रक्षा, तेल और गैस, तेलशोधक संयंत्र, न्यूक्लियर, रसायन और पेट्रो-रसायन, उर्वरक, ऑटोमोबाइल आदि जैसे व्यापक उद्योग खण्डों की सेवा करने के लिए मशीनरी के संपूर्ण रेंज का विनिर्माण करने में सक्षम एक सुदृढ़ इंजीनियरी और पूंजी सामग्री आधार विकसित करने में समर्थ रहा है।

भारतीय पूंजी सामग्री उद्योग ने मंदी की दीर्घकालीन अवधि के बाद आमूल-चूल परिवर्तन देखा है। पूंजी सामग्री के विनिर्माता शीर्ष और निचले स्तर दोनों में उत्कृष्ट वृद्धि का अनुभव करते रहे हैं। उनकी ऑर्डर बुकिंग बहुत सुदृढ़ स्थिति में है।

बढ़ते हुए वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में उद्योग की स्थिर वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए पूंजी सामग्री उद्योग को अब अपने भविष्य को कार्यनीतिक बनाना आवश्यक है। इस संबंध में, भारी उद्योग विभाग ने सीआईआई द्वारा एक अध्ययन कराना अधिदेशित किया था और इसकी कई सिफारिशों पर एक आधुनिकीकरण स्कीम के माध्यम से कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। इस स्कीम का अभिप्राय इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ मुख्य नीतिगत पहल करना है। प्रारंभ में यह प्रयास मुख्य पूंजी सामग्री क्षेत्र, यथा भारी विद्युत उपस्कर, प्रक्रिया संयंत्र मशीनरी, खनन और निर्माण उपस्कर, टेक्सटाइल मशीनरी और मशीन टूल उद्योग, जो एक साथ मिलकर पूंजी सामग्री क्षेत्र में कुल उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत होते हैं, को शामिल करेगा।

5.2.1 ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे

एआरएआई एक सहकारी अनुसंधान संगठन है, जिसकी स्थापना भारतीय वाहन और ऑटोमोटिव सहायक विनिर्माताओं और भारत सरकार द्वारा वर्ष 1966 में की गई थी। एआरएआई भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबद्ध है और इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह एक आईएसओ- 9001- 2000, आईएसओ-14001-2004 और ओएचएसएएस-18001-1999 संगठन है और इसे राष्ट्रीय प्रयोगशाला मान्यताकरण बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा भी इसकी मुख्य प्रमाणीकरण सुविधाओं के लिए मान्यता दी गई है। इसके शासी परिषद में भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग से सदस्य तथा भारत सरकार से प्रतिनिधिगण शामिल हैं।

एआरएआई वैकल्पिक ईंधनों के इंजनों, एनवीएच-ध्वनि, कम्पन और सख्ती, कम्प्यूटर सहायता प्राप्त इंजीनियरी, संरचनात्मक गतिकी, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और सामग्रियों के विकास के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास की व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। एआरएआई में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास तथा परीक्षण सुविधाओं का वृद्धिकारी उपयोग प्रायोजित और आंतरिक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा साथ ही अनुसमर्थन कार्यकलापों के लिए किया जाता है।

एआरएआई पूर्ण वाहन इंजनों, प्रणालियों और संघटकों के परीक्षण, प्रमाणीकरण और अनुसमर्थन में विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करता है। यह वाहन मूल्यांकन, उत्सर्जन, सुरक्षा, सामग्री, ईएमआई/ईएमसी आदि के क्षेत्रों को शामिल करता है।

अनुसंधान और विकास कार्य से योगदान बढ़ाने और दक्षता सुदृढ़ करने के लिए एआरआई की कल्पना दृष्टि के अनुरूप, प्रौद्योगिकी की कमियों का पता लगाया गया था। उनकी संगतता और वर्तमान आवश्यकता के आधार पर निम्नलिखित 6 अनुसंधान और विकास परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं :

(i) उच्च निष्पादन वाले 3सिलिंडर वाला सीआरडीआई यूरो 4 डीजल इंजन की डिजाइन तैयार और विकसित करना।

(ii) यूरो-IV और यूरो-V मानदंड पूरा करने के लिए एचसीसीआई दहन संकल्पना का प्रयोग करते हुए डीज़ल इंजन का विकास।

(iii) 4-स्ट्रोक, एक सिलिंडर वाले गैसोलीन इंजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ईंधन क्षेपण (इंजेक्शन) प्रणाली विकसित करना।

(iv) यूरो-V मानदंडों के अनुपालनीय 6 सिलिंडर एचसीएनजी (एच2+सीएनजी) इंजन का विकास।

(v) ऑटोमोबाइल के नैनो विविक्त पदार्थ उत्सर्जन का मापन।

(vi) भारतीय सड़कों पर सड़क की रूपरेखा का मापन और वाहन के टिकाऊपन और उसकी सवारी पर उसके प्रभाव का अध्ययन।

5.2.2 फोर्जिंग उद्योग अनुसंधान संस्थान

फोर्जिंग उद्योग द्वारा सामना की जा रही बाधाओं को दूर करने और नवीन लागत-सक्षम प्रौद्योगिकियां विकसित करने हेतु अभिनव परिवर्तन करने की दृष्टि से एआरएआई-फोर्जिंग उद्योग प्रभाग (एआरएआई-एफआईडी) का सृजन भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, एआईएफआई और भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संघ (एआरएआई) के बीच दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन द्वारा किया गया था।

इस परियोजना की आधारशिला श्री पृथ्वीराज चव्हाण, राज्यमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय की सम्माननीय उपस्थिति में श्री संतोष मोहन देव, माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2006 को रखी गई थी।

इस अनुसंधान एवं विकास केंद्र तथा परीक्षण सुविधा के मुख्य उद्देश्य उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक अनुसंधान डिजाइन और विकास कार्य करने के लिए स्थापित और उभरती हुई पद्धतियों में सभी स्तरों पर निरंतर अनुसंधान और विकास की प्रणाली प्रदान करना और केंद्र उद्योग की परस्पर क्रिया को बढ़ाने तथा फोर्जिंग उद्योग को सभी क्षेत्र में मूल्य-आधारित अनुसंधान और विकास/परीक्षण की संकल्पना शामिल करने के लिए परामर्शी और औद्योगिक सेवाएं सुदृढ़ करने हेतु विकसित प्रौद्योगिकी उद्योगों को हस्तांतरित करना और तत्पश्चात कुशलता उन्नयन और अद्यतन फोर्जिंग प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है।

इस परियोजना की कुल अनुमोदित लागत अर्थात सहायता-अनुदान 22 करोड़ रुपए है, जिसमें से 11 करोड़ रुपए की पहली किस्त वर्ष 2005 में जारी की जा चुकी है। 11 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त शीघ्र ही जारी की जाने वाली है।

भवन निर्माण कार्यकलाप पूरा हो गया है और कुछ उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जहाज से भेजे जा चुके हैं। धातुकर्म परीक्षण उपस्करों की अधिप्राप्ति, अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षण अवसंरचना, आंतरिक कार्य, भूआरेखन, उपयोगी वस्तुओं की अधिप्राप्ति चल रही है। यह परियोजना को जून, 2008 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा है।

एआरएआई-एफआईडी जब एक बार पूर्णत: प्रचालनात्मक हो जाता है तब यह भारतीय फोर्जिंग उद्योग के लाभ के लिए अनुसंधान और विकास, उत्पाद परीक्षण, उत्पाद वैधीकरण और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करेगा। यह परियोजना

एसआईएटी 2007 के अवसर में 17 जनवरी, 2007 को माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री दीप प्रज्जवलित करते हुए

शीघ्र ही फोर्जिंग इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफआईआरआई) के रूप में शीघ्र ही इस नाम के अधीन नई सोसायटी के पंजीकृत होने के बाद पुन: नामित की जानी प्रत्याशित है।

5.3 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अनुसंधान एवं विकास की पहलें

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के कुछ कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

5.3.1 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)

''भेल'' ने वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों पर 252.50 करोड़ रुपए की राशि व्यय की हैं; इसमें से 244.40 करोड़ रुपए नए उत्पाद विकास और प्रणाली विकास तथा लागत प्रभावोत्पादकता और उच्चतट विश्वसनीयता, क्षमता, उपलब्धता, गुणवत्ता आदि के लिए मौजूदा उत्पादों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजस्व व्यय के रूप में किए गए थे। 8.40 करोड़ रुपए की शेष राशि अनुसंधान एवं विकास के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों की खरीद पर व्यय की गई थी।

- आंतरिक अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से विकसित उत्पादों और प्रणालियों के वाणिज्यीकरण द्वारा 2719 करोड़ रुपए का कुल कारोबार प्राप्त किया गया था।
- ''भेल'' ने सतह विलेपन और शोधन करने तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए सतह इंजीनियरी के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई-एसई) की सफलतापूर्वक स्थापना की है।
- ''भेल'' की देश में विकसित, विश्व में अपने किस्म का पहला नियंत्रित शंट रिएक्टर (सीएसआर) को महा ट्रांसको से पहले ऑर्डर के रूप में वाणिज्यिक सफलता प्राप्त हुई है; यह रिएक्टर प्रणाली हानि कम करना, विद्युत अंतरण दक्षता बढ़ाना और उच्च वोल्टता (400 केवी) पारेषण लाइनों का प्रणाली स्थायित्व सुधारना समर्थ बनाता है।
- ''भेल'' ने पहली बार पीडीओ, ओमान से प्राप्त निर्यात ऑर्डर के लिए स्लीव बियरिंग सहित 1100 केडब्ल्यू ज्वालारोधी स्क्विरेल केज इंडक्शन मोटर की डिजाइन तैयार की और उसे विकसित किया है। मोटर ने यूरोपीय सांविधिक परीक्षण एजेंसी, ''बसीफा'', यूनाइटेड किंगडम से विशेषज्ञों की उपस्थिति में सीएमआरआई, धनबाद में सफलतापूर्वक विस्फोट परीक्षण उत्तीर्ण किया है।
- इस्पात क्षेत्र में ग्राहकों का महत्व बढ़ाने की दृष्टि से ''भेल'' ने पहली बार ब्लास्ट फर्नेस में संस्थापन के लिए एक्सआरएस 943 बाउल मिल की डिजाइन तैयार की है, जिससे मंहगे कोच की बचत हुई है तथा साथ ही यह रोलर के टूट-फूट की दीर्घ अवधि भी सुविधाजनक बनाती है।
- सेपरेटर जेनरेटर कोच की आवश्यकता हटाते हुए और उसके द्वारा बेहतर मितव्यमिता करते हुए यात्री कर्षण क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य से ''भेल'' ने पहली बार भारतीय रेलवे के 3600 अश्वशक्ति वाले बीजी डीजल-विद्युत इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले टोटल लोड कम्पेनियन एल्टरनेटर के साथ नई पीढ़ी को 320 के.डब्ल्यू. ट्रैक्शन एल्टरनेटर की डिजाइन तैयार की और उसे विकसित किया है।
- अपनी ग्राहक-केंद्रित प्रौद्योगिकी उन्नयन प्रक्रिया के रूप में ''भेल'' अपने 250 मेगावाट स्टीम टर्बाइनों को अत्याधुनिक इलेक्ट्रो-हाइड्रॉलिक एक्टिवेटर (ईएचए) आधारित उच्च दाब नियंत्रण प्रणाली से सज्जित करेगा।

- ''भेल'' ने देश में विकसित सिलिकॉन कार्बाइड समर्थन और म्यूलाइट मेम्ब्रेन का प्रयोग करते हुए उष्म गैस फिल्टरेशन के लिए सिरामिक फिल्टर विकसित किया है। ये फिल्टर कोयला गैस में धूल के कण हटाते हैं और इनका एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्र (आईजीसीसी) विद्युत संयंत्रों में अनुप्रयोग होता है।
- ''भेल'' ने आंतरिक रूप से बीएबी2 श्रृंखला रेडियल फैन (एनडीवी-बीएबी2) विकसित और विनिर्मित

''भेल'' एल्स्टॉम के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करार पर हस्ताक्षर करते हुए

किया है तथा पारस 250 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र में सफलतापूर्वक चालू किया है।

- ''भेल'' ने ट्रेवलिंग वेव ट्यूब जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए भारतीय थल सेना की रणनीतिक परियोजना में प्रयोग के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, के लिए 15 वी प्रशीतन प्रणाली (1.5 करोड़ रुपए मूल्य) की डिजाइन तैयार की, विकसित की; विनिर्मित की और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है तथा उसकी आपूर्ति की है।

5.3.2 हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन (एचपीसी)

एचपीसी में किए अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल है :

- बांस का पूर्ण आधारित गैसीकरण संयंत्र
- गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण सामग्रियों के लिए टिशू-कल्चर आधारित उत्पादन सुविधा, टिशू कल्चर सीडलिंग को ठोस बनाना और उसका स्थानीय किसानों को वितरण।
- विभिन्न सांद्रण स्तरों पर ब्लैक लिकर के व्यवहार का अध्ययन।
- 90 प्रतिशत चमकीलापन प्राप्त करने के लिए ब्लीचिंग दशा इष्टतम बनाना।
- क्षारीय साइजिंग परीक्षण
- सोडा की हानि और भाग बनना कम करने के लिए घुलने की सहायता करने वाले रसायनों का परीक्षण।

5.3.3 हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)

प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप निम्नलिखित क्षेत्रों में किए जाते हैं :

- निम्न लागत वाले नन-मिस्ट चैम्बरों में जड़ वाली कटिंग्स, जिन्हें खेतों में ही स्थापित किया जा सकता है, का उत्पादन करने की विधि पर अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप।
- खेतों में प्रयोग, जैसे पौधरोपण में उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद बनाने के स्तरों, अन्त: उत्पाद प्रचालनों के स्थान अंतर के प्रभाव आदि पर परीक्षण करना।
- चयनित कृन्तकों की नई पैमाने पर बहुलीकरण और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निस्ट चैम्बरों में आधुनिकीकरण।

5.3.4 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल)

उत्पाद विकास

- समर्पित सीएनजी/एलपीजी ईंधन पर अग्र आरोहित 4-स्ट्रोक के गैसोलिन इंजन प्रचालन सहित तिपहिए का विकास
- ऑटोरिक्शा - 3 यात्री
- माल वाहक

प्रौद्योगिकी उन्नयन

- सीएनजी मोड पर बीएस-II उत्सर्जन मानदंड की पूर्ति के लिए 2-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का उन्नयन।
- डिजाइन में परिवर्तन और प्रक्रिया सुधार द्वारा शीट मेटल संघटक में लागत की कमी।

5.3.5 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल)

कृषि-डेयरी खण्ड के लिए निम्नलिखित नए उत्पादों का विकास प्रारंभ किया गया है। क्षेत्र परीक्षणों को पूरा होने के बाद वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2007-08 में प्रारंभ किया जाना प्रत्याशित है।

- ऑप्टिकल मिल्क एनेलाइजर की डिजाइन और विकास का कार्य प्रारंभ किया गया। यह उपकरण मापन उपकरण से होकर गुजरने वाले प्रकाश के

फोटोमीट्रिमापन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह उपकरण दुग्ध के पैरामीटर के शीघ्र मापन, प्रसंस्करण तथा उन्हें रिकार्ड में रखने के लिए स्वचालित दुग्ध संग्रहण इकाई के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

- आंकड़ा प्रसंस्करण इकाई एक समर्पित इकाई है, जो आंकड़े प्राप्त करती, प्रसंस्कृत करती और प्रेषित करती है और निम्नलिखित के साथ संप्रेषण करती है :
  - इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध परीक्षक/मिल्क एनेलाइजर
  - इलेक्ट्रॉनिक वजन पैमाना
  - दूरस्थ प्रदर्शन इकाई
  - प्रिंटर

5.3.6 प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल)

कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास में अपने प्रयास जारी रखे और बाजार की मांग की पूर्ति के लिए निम्नलिखित नए उत्पाद प्रारंभ किए :

(i) टेबल साइज 800X400 मि.मी. का मॉडल 456 सीएनसी सरफेस ग्राइन्डर

(ii) मॉडल-513 एस गाइड बार टाइप स्पिलिन रोलिंग मशीन

5.3.7 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी)

विशिष्ट क्षेत्र, जिनमें अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप किए गए थे, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

- वीएसएससी के लिए नरम लौह
  - वीएसएससी, तिरुअनंतपुरम को आपूर्ति किए जाने वाले नरम लौह के विनिर्माण के लिए प्रक्रिया विकसित की;
- बल्ब बार
  - बल्ब बार की बल्ब बार प्रौद्योगिकी विकसित और भारतीय नौसेना के लिए एफएफपी प्रयोगशाला में उसका यांत्रिक परीक्षण
- इसरो के लिए मोबाइल लांच पेडेस्टल (एमएलपी)
  - कंपनी ने इसरो द्वारा प्रदान की गई विशिष्टयों के आधार पर सफलतापूर्वक एमएलपी की डिजाइन तैयार किया। इसे वर्ष 2007-08 के दौरान विनिर्मित और आपूरित किया जाएगा। वाहन को वाहन असेम्बली भवन में एमएलपी पर ऐसम्बल किया जाता है और तब प्रक्षेपण स्थल तक रेल लाइनों पर ले जाया जाता है।
- ईओटी क्रेन
  - कंपनी ने सफलतापूर्वक (i) डीएसपी के लिए 25 टन रोटेटिंग ट्रॉली, (i) डीएसपी के लिए 50+15 टन चार गर्डर टनडिश हैंडलिंग क्रेन, (i) बीएसपी के लिए 20मी. स्पैन सहित 180+50/15 टन लेडल क्रेन (i) बीएसपी के लिए 34मी. स्पैन के 64/46 टन क्षमता का क्रैन टौंग विकसित किया।

5.3.8 एचएमटी लिमिटेड

एचएमटी ने उत्पाद प्रौद्योगिकी सुधारने और उत्पाद प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रण सहित विभिन्न उत्पादों के अनुसंधान और विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक विनिर्माण इकाई में अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया है। एचएमटी के सीमा क्षेत्र में विभिन्न उत्पाद क्षेत्र में किए गए योजनाबद्ध एवं विकास कार्यकलाप की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित है :

ईंजन

- 75 अश्वशक्ति टर्बो चार्जर इंजन का विकास
- सीएमवीआर के अधीन भारत (दल) चरण-II निकास उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन के लिए एचएमटी 2522, 3522, 4022, 4922, 6522 और एचएमटी 7522 टीसी ट्रैक्टर का विकास।
- उत्सर्जन परीक्षण लैब की स्थापना।

ट्रैक्टर

- एचएमटी के ट्रैक्टरों की सभी मॉडल का सीएमवीआर प्रमाणीकरण और भारत चरण-III के अनुपालन के लिए ट्रैक्टर 65 और 75 अश्वशक्ति।
- तड़ित उपकरण के लिए सीएमवीआर नियमों में अद्यतन संशोधन का अनुपालन।

मशीन टूल

- सीएनसी इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन, मॉडल जीआईएन 35/2ए
- 4 एक्सिस सीएनसी हाई स्पीड गियर हॉबर, मॉडल एल 200 सीएन/4ए
- प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन, मॉडल डीसी 415 सीएनसी ऑटो लेडल, ऑटो स्प्रे, ऑटो एक्सट्रैक्टर सहित

- हाई स्पीड होराइजेंटल मशीनिंग सेंटर, मॉडल एचएमसी 400 एच
- फ्लेक्सिबल टर्निंग सेल, मॉडल एफटीसी 20
- 9 एक्सेस सीएनसी क्रैंक साफ्ट पिन ग्राइडिंग मशीन, मॉडल सीएसजी 500
- 6 एक्सेस सीएनसी सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन, मॉडल जीसीएल 140 टीजी

5.3.9 बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल)

बीएससीएल में किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:

बर्नपुर वर्क्स

- उच्चतर वहन क्षमता सहित 25 टन एक्सेल लोड वैगन का विकास।

सेलम वर्क्स

- राऊरकेला इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मेटल जोन और नॉन-इम्पेक्ट जोन में प्रयुक्त लेडल्स के लिए निम्न लागत वाली मैग्नेशियम कार्बन ईंटों का विकास।
- सस्ती-कच्ची सामग्रियों का प्रयोग करते हुए बहुत अच्छी किस्म का मैग्नेशियम क्रोम/क्रोम मैग्नेशियम ईंटें विकसित।

5.3.10 ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)

- कंपनी ने रलिंग लाइन पर ब्लॉक अवधि के दौरान बहुत कम समय में मौजूदा पीएससी गर्डर्स (60 फुट) को इस्पात गर्डर्स से प्रतिस्थापित करने के लिए एक प्रभावी संरचना स्कीम विकसित की है। नव-विकसित स्कीम का अनुप्रयोग असम और उत्तर प्रदेश में उत्तरी सीमांत रेलवे और उत्तर-पूर्व रेलवे के अधीन गेज संरक्षण परियोजनाओं में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है।
- बीबीजे ने 60मी./450एमटी ट्रस्ट ब्रिज की फारवर्ड लॉचिंग विकसित की है, जिसका प्रयोग डीएमआरसी की परियोजनाओं में सफलतापूर्वक किया गया है।

5.3.11 एन्ड्रू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

कंपनी ने अपने अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में निम्नलिखित उत्पाद विकसित किए हैं :

- औद्योगिक पंखों के लिए 7 इंच ब्यास के दाब पोषित व्हाइट मेटल का अस्तर।
- ईडी फैन के लिए इनलेट साइलेन्सर आकार 3600* 1200* 2200 एचटी
- कैपेसिटर स्विच के लिए कम्बाइंड अंडर और ओवर वोल्टेज रिले

प्रणाली सुधार उत्पादों नामत: एसएफ 6 कैपेसिटर स्विच और ऑटोमेटिक सेमी-सेक्शनेलाइजर का पुन: वैधीकरण तथा यूल एचईएजी निर्मित 11केवी आउटडोर वीसीबी 20 केए, 630ए का परीक्षण सीपीआरआई, बंगलौर में सफलतापूर्वक किया गया था।

5.4.1 विगत में नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से पांच राष्ट्रीय स्तर के संस्थान स्थापित किए गए हैं। वे हैं: द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (एफसीआरआई), प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई), सेंटर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी (सीईटी), सिरामिक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (सीआईआई) और वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान (डब्ल्यूआरआई)। इनमें से केवल एफसीआरआई इस विभाग के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है जबकि शेष चार का प्रबंधन "भेल" द्वारा किया जाता है।

5.4.2 द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, पलक्कड़

द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (एफसीआरआई) प्रवाह ज्ञापन संबद्ध सेवाओं और समाधान में प्रमुख सुविधादाता संस्थान है। एफसीआरआई में प्रवाह केंद्र प्रवाह मापन के लिए पता लगाए गए योग्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर कार्य करता है। जो विश्व में प्रवाह सुविधाओं का सर्वाधिक व्यापक सेट है और भारत में उद्योग के लिए एक अद्वितीय संसाधन प्रदान करता है। सभी सुविधाएं वाणिज्यिक चिन्होकन, मूल्यांकन और अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के लिए प्रदान की जाती हैं।

संयुक्त उद्योग परियोजनाओं, नियमित सेमिनार, कार्यशालाओं के माध्यम से तेल और गैस क्षेत्र, जल उद्योग, विद्युत उद्योग, प्रक्रिया/विनिर्माण क्षेत्र, ऑटोमोटिव क्षेत्र, अनुसंधान एवं विकास संगठनों के साथ सुदृढ़ संपर्क स्थापित किए गए हैं और उद्योग/शैक्षणिक संस्थानों के लिए एफसीआरआई की सहायता से प्रवाह मापन से संबद्ध विशिष्ट मुद्दों पर सम्मेलन किए जाते हैं।

संस्थान प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं पूरी करता है और अभी तक उसने स्वयं को परामर्श, परीक्षण,

प्रमाणीकरण और निजी तथा सरकारी क्षेत्र के संगठनों के लिए प्रशिक्षण जैसी अनुमोदित प्रौद्योगिकीय सेवाओं के लिए समर्पित विशिष्ट द्रव इंजीनियरी अनुसंधान संस्थानों में से एक बनाते हुए 125 परियोजनाएं पूरी की हैं।

यह संस्थान प्रवाह मापन प्रणालियों / इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए राष्ट्रीय प्रमाणीकरण निकाय के रूप

डॉ. आर.सी. पांडा, भा.प्र.से., सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार द्वारा फ्लोटेक-जी, 2007 का उद्घाटन

कार्य करता है। यह आईएसओ 9000/आईएसओ 17025 श्रृंखलाओं के मानदंड के अनुसार गुणवत्ता अनुपालन प्राप्त करना और प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का निष्पादन सुविधाजनक बनाता है।

एफसीआरआई ने 26 से 28 सितम्बर, 2007 के दौरान वैश्विक सम्मेलन-फ्लोटेक-जी, 2007 सफलतापूर्वक संचालित किया। इस समारोह में संपूर्ण विश्व से 350 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उद्योग से विभिन्न प्रवाह उत्पादन विनिर्माताओं द्वारा लगाए गए 50 से अधिक स्टॉल में व्यापक भागीदारी भी देखी गई थी। निष्पादनाधीन/पूरी की गई परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- ट्रांजिएट वाष्प-जल मिश्रण प्रवाह मापन और इस तकनीक को तेल कूप निष्कर्षण कार्यक्रम को प्रदान करने के लिए वेन्टूरी के सहयोग से मल्टीफेज फ्लोमीटर के उच्च दाब, उच्चतापक्रम मॉड्यूल की डिजाइन तैयार और विकसित करना।
- मैसर्स ट्राइडेंट मेट्रोलॉजी इंक, सं.रा.अ. के लिए नाइट्रोजन, सल्फर, हैक्साफ्लोराइड और आर्गन के साथ मास फ्लोमीटर का परीक्षण और विशिष्टीकरण।
- किसी विद्युत संयंत्र में अनुरूपी दशाओं के लिए जीई एनर्जी हेतु चक्रण जल अन्तर्ग्रहण प्रणाली पर प्रायोगिक अध्ययन।
- एनपीसीआईएल, मुम्बई-टोंटी के स्तर पर नियंत्रण के प्रदर्शन के लिए प्रायोगिक ढांचे की डिज़ाइन, विकास और परीक्षण।
- एसआईएफएल, उत्तानी-टिटेनियम ट्यूब फिटिंग्स के परीक्षण के लिए सहायता परीक्षण बेंच की आपूर्ति।

5.4.3 सिरामिक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (सीटीआई), बंगलौर

इस परियोजना का विकासात्मक उद्देश्य भारतीय सिरामिक उद्योग को उनकी प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण में सहायता करना और उन्नत सिरामिक के नए उत्पाद विकसित करना है। सीटीआई में अनुसंधान के क्षेत्र नेनो-टेक्नोलॉजी, पृथक्करण टेक्नोलॉजी, माइक्रोवेव प्रोसेसिंग और संयंत्र संबद्ध अन्वेषणों और विशेष परियोजनाओं से संबंधित है। यह संस्थान कुछ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अर्थात मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, जर्मनी, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, सं.रा.अ. और एनआईएफएस जापान के घनिष्ठ संपर्क में कार्य करता रहा है। सीटीआई में मुख्य गतिविधियों में कॉडिएराइट क्लिन फर्नीचर, सिरामिक आर्मर, कैटेलिक कन्वर्टर के लिए सिरामिक हनीकॉम्ब, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर और सिरामिक ग्राइडिंग साधन है। चालू मुख्य अनुसंधान एवं विकास प्रयास औद्योगिक जल शोधन के लिए छिद्रदार सिरामिक्स, गैस पृथक्करण और पार्टिकुलेट फिल्टरेशन, नेनो एडिटिव के साथ कम्पोजिट इन्सुलेटर और सामग्री संश्लेषण आदि पर केंद्रित हैं।

5.4.4 सेंटर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन (सीईटी), भोपाल

विद्युत परिवहन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इस परियोजना को भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जुलाई, 1988 में अनुमोदित किया गया था। केंद्र में विद्युत चालित वाहनों की डिज़ाइन के सभी पहलुओं का विश्लेषण और परीक्षण करने के लिए क्षमता का विकास किया गया है ताकि उनका कार्यनिष्पादन, विश्वसनीयता और क्षमता में सुधार किया जा सके।

इसकी कुछ उपलब्धियों में अंगोला के लिए केप गेज डीईएमयू का संयुक्त प्रणाली परीक्षण, एसीईएमयू के लिए ऑजीबीटी आधारित 3-फेज के ड्राइव्स हेतु कर्षण मोटरों पर किस्म परीक्षण, एमजी डीईएमयू का संयुक्त प्रणाली परीक्षण, मध्य रेलवे के लिए 1500 वोल्ट डीसी/25 केवी एसी दोहरे वोल्टता ईएमयू के लिए जीटीओ आधारित 3-फेज ड्राइव प्रणाली का संयुक्त प्रणाली परीक्षण, आईजीबीटी आधारित 700 अश्वशक्ति के डीजल विद्युत

लोकोमोटिव का संयुक्त प्रणाली परीक्षण, भारतीय रेल के लिए 4000 अश्वशक्ति के डीजल विद्युत लोकोमोटिव हेतु आयात प्रतिस्थापन कर्षण एल्टरनेटर का परीक्षण शामिल है।

5.4.5 प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, (पीसीआरआई), हरिद्वार

प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई) की स्थापना भारी उद्योग विभाग द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के मुख्य एजेंसी बनाते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के अधीन की गई थी। पीसीआरआई का उद्देश्य पर्यावरणीय प्रबंध और जल, कोलाहल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण हैं। इस संस्थान को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार और कई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा पर्यावरणीय प्रयोगशाला के रूप में मान्यताप्राप्त है। संस्थान ने पौंधों की प्रजातियों के चयन के माध्यम से परिवात वायु से धूल के पादपप्रतिकार (फाइटोरिमिडेशन), भारत में धार्मिक स्थानों के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देश तैयार करने; हरिद्वार और उज्जैन में कुंभ मेले के दौरान गंगा और शिप्रानदी में सार्वजनिक स्नान के प्रभाव, चयनित क्षेत्रों में गंगा और पश्चिमी यमुना नहर के लिए नदी जल गुणवत्ता आकलन, ताप विद्युत संयंत्रों से भारी धातु उत्सर्जन का आकलन आदि जैसे औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए कई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं प्रारंभ की हैं। प्रारंभ किए गए मुख्य अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में ताप विद्युत संयंत्रों से निस्सारियों का विशिष्टिकरण और सूक्ष्म-जैव वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए उन्नत सुविधाओं का विकास; उत्तराखंड के कुमाऊ क्षेत्र में नदी के जल की गुणवत्ता आकलन, निकलने वाले उत्सर्जनों का आकलन और ताप विद्युत संयंत्रों में निकलने वाले उत्सर्जनों के नियंत्रण के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देशों का विकास करना शामिल है।

दक्षता निर्माण और संसाधन विकास के भाग के रूप में राज्य/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और मुख्य उद्योगों के अधिकारियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2007 में आयोजित ऐसे दो कार्यक्रम पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन और जल गुणवत्ता अनुवीक्षण नेटवर्क डिजाइन और गुणवत्ता आश्वासन हैं।

यह संस्थान ताप विद्युत संयंत्रों, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों और तेल टर्मिनलों आदि जैसी बड़े आकार वाली औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक वर्ष तक चलने वाला व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन निष्पादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस वर्ष पूरे किए गए ऐसे अध्ययनों में आनपाड़ा-डी, छाबरा और मारवा में प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति शामिल है।

5.4.6 वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई), तिरुचिरापल्ली

वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) देश में अपने किस्म का एकमात्र इंस्टीट्यूट है और यह पारम्परिक आर्क वेल्डिंग के लिए सुविधाओं के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और लेज बीम, फ्लैश बट, घर्षण और प्लाज़्मा वेल्डिंग जैसे अत्याधुनिक वेल्डिंग अनुसंधान सुविधाओं से सज्जित है।

इसके अतिरिक्त, यहां फेटिग टेस्टिंग, रेजीड्यूअल स्ट्रेस मापन, रेजीड्यूअल लाइफ ऐस्टिमेशन आदि के लिए उन्नत परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह इंस्टीट्यूट इसरो, भारतीय रेलवे, रूग्ण और सरकारी तथा निजी क्षेत्र में उद्योगों को सेवा प्रदान करता रहा है। इंस्टीट्यूट वेल्डिंग संबद्ध क्षेत्रों में हो रही गतिविधियों की भागीदारी और उसे प्रकाशित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संघों/संगठनों, मुख्य ग्राहकों और अनुसंधानकर्ताओं के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखता है। चालू मुख्य अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल बॉयलरों के लिए नई सामग्रियों में निर्माण कार्यनिधि का विकास, घर्षण सिस्टर वेल्डिंग प्रौद्योगिकी का विकास, वेल्डिंग धूम्र का अध्ययन, रोबोटिक टाइम ट्विन प्रौद्योगिकी का विकास, बॉयलर संघटकों के लिए एचवीओएफ और वायर स्प्रेइंग प्रौद्योगिकी का विकास आदि शामिल है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की सहायता से वेल्डरों के लिए कुशलता विकास कार्यक्रम भी संचालित करता है। यह इंस्टीट्यूट केंद्रीय बॉयलर बोर्ड, भारत सरकार के अनुसार वेल्डरों के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए एक अनुमोदित केंद्र है। इंस्टीट्यूट कार्यरत इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए नियमित आधार पर वेल्डिंग और गैर-नाश्वान परीक्षण में प्रशिक्षण/प्रमाणीकरण कार्यक्रम संचालित करता है।

अध्याय 6

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ विकलांगों/अल्पसंख्यकों का कल्याण

6.1 इस विषय पर सरकार के निर्देशों के आलोक में अल्पसंख्यकों के कल्याण का संवर्धन करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के दायित्व की देखरेख करना इस विभाग का प्रयास रहा है। अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व.; विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नियुक्ति/पदोन्नतियों में आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का इस विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा साधारणतया अनुपालन किया गया है।

6.2 भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का उचित अनुवीक्षण करने के लिए उप-सचिव के स्तर पर एक संपर्क अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष कार्यरत है। यह कक्ष सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आरक्षण रोस्टर का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए भी उज़रदायी है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कार्य बल में विभिन्न अल्पसंज़्यक समुदायों से बड़ी संज़्या में व्यक्ति शामिल होते हैं। कार्य बल की मुज़्य धारा में उनके एकीकरण पर सभी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में बल दिया जाता है और उनकी जाति, वर्ग अथवा धार्मिक मतों के कारण उनमें कोई विभेद नहीं किया जाता है। रिहायशी आवास जैसी सुविधाओं के रूप में सभी कर्मचारियों को समान माना जाता है।

6.3 हर वर्ष ''कौमी एकता/सद्भावना दिवस'' आयोजित किया जाता है; जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित समाज के सभी वर्गों के लोग एकजुटता, राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए भाग लेते हैं।

6.4 इस विभाग के अधीन सभी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को ''विकलांग व्यक्ति'' (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों का पालन करने का सुझाव दिया गया है। भारी उद्योग विभाग के अधीन अधिकांश केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम रूग्ण हैं और पुनर्गठनाधीन हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में बहुत सीमित भर्तियां हुई हैं। फिर भी, सरकारी क्षेत्र के उद्यम जब भी कोई भर्ती की जाती है इन अनुदेशों को ध्यान में रख रहे हैं। इस विभाग के अधीन एक मुख्य लाभ अर्जित करने वाला केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम ''भेल'' ने पिछले दस वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों में 172 विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति की है।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण का संवर्धन करने के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशो का पालन करने के प्रयास किए जाते हैं। विकलांग व्यक्तियों को विशेष वाहन भत्ता, जहां भी संभव हो, अधिमान्य रिहायशी आवास, जैसी सुविधाएं और अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने में समर्थ बनाने तथा मुख्य धारा के कार्य बल में उनका एकीकरण सुविधानजनक बनाने के लिए उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं और साधन प्रदान किए जाते हैं।

अध्याय 7

महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण

7.1 भारी उद्योग विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम यह सुनिश्चित करने का सतत प्रयास करते है कि महिलाओं के साथ किसी भी कारण भेदभाव नहीं किया जाए। सभी कर्मचारियों को भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित लिंग समानता और न्याय के सिद्धांतों के प्रति जागरूक बनाया जाता हैं।

7.2 विशेषकर महिला कर्मचारियों के मानव अधिकारों के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए भारी उद्योग विभाग ने लिंग समानता के अधिकारों के संरक्षण और उसे लागू करने तथा कामकाजी महिलाओं को न्याय देने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए महिला अधिकारी के नेतृत्व में एक शिकायत समिति गठित की है। विभाग महिला कर्मचारियों को बैठकों, संगोष्ठियों, प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण आदि जैसे सभी कार्यकलापों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह कार्य बल की मुज्य धारा में उनका एकीकरण सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

7.3 विज़ मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के अनुदेशानुसार जेंडर बजटिंग से संबंधित मामले की देख-रेख करने के लिए विभाग में जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

अध्याय 8

सतर्कता

8.1 सतर्कता कार्यकलाप किसी संगठन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। विभाग के कर्मचारियों तथा साथ ही सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर गौर करने के लिए विभाग में संयुक्त सचिव के रैंक का एक मुज़्य सतर्कता अधिकारी है। उसकी सहायता सतर्कता अनुभाग के साथ एक निदेशक और अवर सचिव द्वारा की जाती है।

8.2 सतर्कता अनुभाग के कार्य के मुज़्य क्षेत्र निज़्नानुसार हैं :

- सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों तथा साथ ही भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करना;
- सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर की नियुक्तियों और अन्य नियुक्तियों के संबंध में एसीसी अनुमोदन की अपेक्षा वाले पीएमईबी की सिफारिशों के आधार पर सतर्कता संबंधी स्वीकृति जारी करना;
- केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ज़्यूरो और भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुज़्य सतर्कता अधिकारियों के साथ सतर्कता मामलों से संबंधित सूचना के व्यवस्थित प्रवाह के लिए संपर्क बनाए रखना;
- विज़ीय अनियमितता तथा कार्यविधिक अनियमितता के मुद्दों पर सलाह देना;
- बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में आरोप पत्र की जांच करना।

8.3 सतर्कता संगठन निवारक सतर्कता पर भी बल देता है तथा यह अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है। यहां तक कि उपयुक्त मामलों में दंडात्मक उपाय किए जाते हैं और जहां भी अपेक्षा हो उनपर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

8.4 सतर्कता अनुभाग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों और मुज़्य सतर्कता अधिकारियों (सी.वी.ओ.) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के रख-रखाव के लिए उज़रदायी है।

8.5 सतर्कता अनुभाग भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा इसके अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुज़्य कार्यपालकों और निदेशकों द्वारा वार्षिक संपज़ि विवरणियों की प्रस्तुति का अनुवीक्षण भी करता है।

अध्याय 9

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

9.1 विभाग में राजभाषा अनुभाग विभाग में हिन्दी के प्रयोग के संवर्धन के लिए उपाय करता है। विभाग के सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग के संवर्धन के लिए प्रयास समीक्षाधीन अवधि के दौरान जारी रहे थे। राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से आवधिक बैठकें की और राजभाषा अधिनियम, 1963 और इसके अधीन बनाए नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों का सुझाव दिया।

9.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने (i) भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम; (ii) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, विद्युत क्षेत्र, कोलकाता; (iii) एच.एम.टी. मशीन टूल्स डिवीजन, कोची (कोचीन); (iv) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की एक इकाई, गुवाहाटी; (v) एच.एम.टी., नई दिल्ली इकाई और (vi) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, विद्युत क्षेत्र, चेन्नई के कार्यालयों का निरीक्षण किया और हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की है। विभाग के अधिकारियों ने हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए वर्ष के दौरान कुछ उद्यमों का निरीक्षण किया और इस प्रकार भ्रमण किए गए इन उद्यमों के अधिकारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति से अवगत कराया गया।

9.3 सभी अधिसूचनाएं, संकल्प, टिप्पणियों, और परिपत्रों तथा संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखे गए संसद प्रश्नोत्तर, वार्षिक रिपोर्टें, निष्पादन बजट , सामान्य आदेश और कागजात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए गए। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए गए। हिंदी का प्रयोग बढ़ाने तथा हिंदी पत्राचार में वृद्धि करने के लिए दिनांक 1 सितम्बर, 2007 से 15 सितम्बर, 2007 तक **''हिंदी पखवाड़ा''** आयोजित किया गया था, जिसके दौरान टिप्पण/प्रारूपण, अंग्रेजी से हिंदी और विलोमत: अनुवाद, कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण आदि सहित कई प्रतियोगिताएं संचालित की गई। विभाग के अधिकारियों ने इन गतिविधियों में गहरी दिलचस्पी से भाग लिया । विजेता उम्मीदवारों को माननीय राज्य मंत्री (भा.उ.) द्वारा नकद पुरस्कार दिए गए । हिंदी में टिप्पण/आलेखन तथा साथ ही हिंदी के प्रगामी प्रयोग की तिमाही रिपोर्ट सही तरीके से भरने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। उन्हें राजभाषा अधिनियम, 1963 से भी अवगत कराया गया।

9.4 वर्ष के दौरान सरकारी कार्य में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संवर्धन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए थे:

- राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों हेतु) नियम, 1976 के नियम 10(4), जिसके द्वारा केंद्रीय सरकार को उन कार्यालयों को अधिसूचित करना होता है, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीगण ने हिंदी का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, के अधीन विभाग द्वारा सभी 61 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और उनकी इकाईयों को अभी तक अधिसूचित किया गया है।
- **''आज का शब्द''** के माध्यम से हिंदी सीखने के कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

9.5 इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने भी राजभाषा अधिनियम और उसके प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए तीव्र प्रयास जारी रखा। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न संगोष्ठियां, प्रतियोगिताएं एवं कार्यशालाएं आयोजित की गईं। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में **''हिन्दी पखवाड़ा''**/**''हिन्दी सप्ताह''** बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।

भारी उद्योग विभाग को कार्य का आवंटन

भारी उद्योग विभाग उद्योग मंत्रालय के विभागों मे से एक हुआ करता था। दिनांक 15 अक्तूबर, 1999 से एक पृथक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय सृजित किया गया है। इस मंत्रालय में भारी उद्योग और लोक उद्यम विभाग शामिल हैं। भारी उद्योग विभाग को कार्य की निम्नलिखित मदें आवंटित की गई है:-

(क) भारी उद्योग विभाग

1. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
2. माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
3. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
4. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
5. एच.एम.टी. लिमिटेड

सहायक कंपनियां

(क) एच.एम.टी. (बेयरिंग) लिमिटेड
(ख) एच.एम.टी. इंटरनेशनल लिमिटेड
(ग) एच.एम.टी. (मशीन टूल्स) लिमिटेड
(घ) एच.एम.टी. (वाचेज) लिमिटेड
(ड.) एच.एम.टी. (चिनार वाचेज) लिमिटेड
(च) प्रागा टूल्स लिमिटेड

6. स्कूटर्स (इंडिया) लिमिटेड
7. एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
8. भारत ऑफथाल्मिक ग्लास लिमिटेड
9. भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड
10. सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11. साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
12. हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड
13. हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
14. हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
15. हिदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
16. हुगली प्रिटिंग कंपनी लिमिटेड
17. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
18. मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड
19. नागालेंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
20. नेशनल बाइसाइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
21. नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
22. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
23. नेपा लिमिटेड
24. राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
25. हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
26. टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
27. टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
28. रिहेबिलिटेशन इंडस्ट्रीज़ कारपारेशन लिमिटेड
29. सांभर साल्ट्स लिमिटेड
30. फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीटयूट
31. भारत भारी उद्योग-निगम लिमिटेड (धारक कंपनी)

सहायक कंपनियां

(क) भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड
(ख) भारत प्रोसेटस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
(ग) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
(घ) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड
(ड.) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड
(च) जेसप एंड कंपनी लिमिटेड
(छ) लगान जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड
(ज) ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
(झ) रेरॉल बर्न लिमिटेड
(ञ) वेबर्ड (इडिया) लिमिटेड

32. भारत यंत्र निगम लिमिटेड

सहायक कंपनियां

(क) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
(ख) तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड
(ग) भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड
(घ) भारत पम्पस एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड
(ड.) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड
(च) ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड

(ख) अन्य कंपनियां

33. सभी उद्योगों के लिए भारी इंजीनियरिंग उपस्करों का विनिर्माण
34. भारी विद्युत इंजीनियरी उद्योग
35. भारी विद्युत और संबद्ध उद्योग विकास परिषद
36. मशीन टूल और इस्पात संयंत्र उपस्कर विनिर्माण सहित मशीनरी उद्योग
37. टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग विकास परिषद
38. मशीन टूल विकास परिषद
39. ट्रैक्टर और मिट्टी हटाने के उपस्कर सहित ऑटो उद्योग
40. ऑटोमोबाइल और संबद्ध उद्योग विकास परिषद
41. ऑटोमोबाइल इंजन सहित सभी डीजल इंजन
42. ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया
43. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) और नेट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नेटिस)
44. फोर्जिंग इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया

भारी उद्योग विभाग का संगठन

03.03.2008

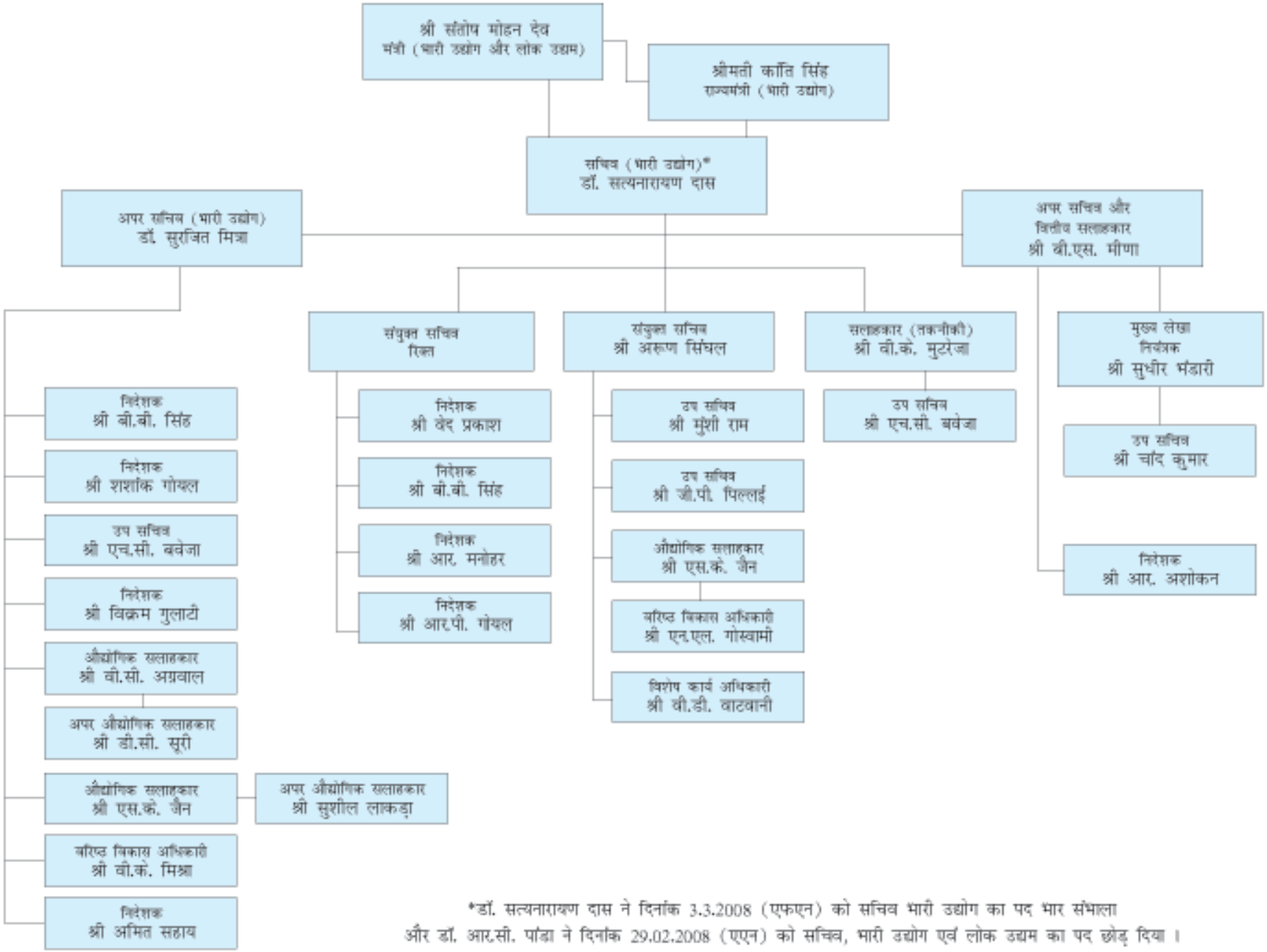

*डॉ. सत्यनारायण दास ने दिनांक 3.3.2008 (एफएन) को सचिव भारी उद्योग का पद भार संभाला और डॉ. आर.सी. पांडा ने दिनांक 29.02.2008 (एएन) को सचिव, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम का पद छोड़ दिया।

अनुबंध III

भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बारे में सामान्य सूचना

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का नाम व पंजीकृत कार्यालय का स्थान	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के स्थापना का वर्ष	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लॉक (करोड़ रुपए)
1	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल), कोलकाता	1979	110.92
2	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	1979	1.66
3	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	1956	4438.00
4	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), कोलकाता	1976	137.52
5	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल), कोलकाता	1976	50.39
6	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल), पटना	1978	16.98
7	ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे), कोलकाता	1987	7.41
8	भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी), विशाखापत्तनम	1966	79.21
9	भारत पंप्स एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल), इलाहाबाद	1970	33.03
10	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड (आरएण्डसी) (1972) लिमिटेड, मुम्बई	1972	30.81
11	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल), इलाहाबाद	1965	19.80
12	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड(टीएसपी) होसपेट, कर्नाटक	1967	21.22
13	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया)लिमिटेड (बीएण्डआर), कोलकाता	1972	138.44
14	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल), कोलकाता	1952	524.22
15	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची	1958	322.85
16	एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी), बंगलौर	1953	120.80
17	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी (एमटी), बंगलौर	2000	215.66
18	एचएमटी वाचेज लिमिटेड, बंगलौर	2000	200.70
19	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड, जम्मू	2000	11.00
20	प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल) सिकंदराबाद	1959	34.94
21	एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड, हैदराबाद	1981	29.15
22	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, बंगलोर	1974	7.60
23	इंस्ट्रमेंटशन लिमिटेड लिमिटेड (आईएल), कोटा	1964	67.82
24	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एण्ड इंस्ट्रमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल), जयपुर	1981	17.82
25	स्कूटर इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) लखनऊ	1972	52.86
26	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई), नई दिल्ली	1965	646.76
27	हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी), कोलकाता	1970	872.34
28	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएचएल) वेल्लोर, कोट्टायम	1983	392.99
29	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ), ऊटी	1960	721.00
30	हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल), जयपुर	1959	5.39
31	सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल), जयपुर	1964	10.47
32	नेपा लिमिटेड (नेपा), नेपानगर	1958	115.00
33	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल), कोलकाता	1984	118.04
34	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई), नई दिल्ली	1970	16.50
		कुल	9589.30

टिप्पणी : (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 12 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी, बीओजीएल और आरआईसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 2 उद्यम (एनपीपीसी और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) हैं।

अनुबंध IV

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार अनु. जाति, अनु. जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों सहित नियोजन की स्थिति

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या				अ.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. की संख्या		
		कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कामगार अन्य	कुल	अनु. जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एवाईसीएल	201	142	15454	15797	1042	4346	6068
2.	हुगली प्रिंटिंग	6	7	47	60	1	1	0
3.	बीएचईएल	9567	7479	25078	42124	7978	1869	3605
4.	बीएससीएल	138	168	1214	1520	160	11	276
5.	बीसीएल	67	42	416	525	53	1	1
6.	बीडब्ल्यूईएल	39	62	829	930	84	2	294
7.	बीबीजे	48	4	41	93	7	1	0
8.	बीएचपीवी	294	164	1054	1512	658	107	291
9.	बीपीसीएल	231	24	959	1214	194	3	377
10.	आरएण्डसी	22	14	37	73	8	0	7
11.	टीएसएल	71	34	199	304	33	0	108
12.	टीएसपी	18	15	76	109	27	3	30
13.	बीएण्डआर	610	0	839	1449	160	1	37
14.	एचसीएल	426	480	2199	3105	812	230	195
15.	एचईसी	1443	498	1389	3330	313	603	529
16.	एचएमटी (धारक कंपनी)	289	160	1891	2340	549	104	28
17.	एचएमटी (एमटी)	975	454	2807	4236	601	192	819
18.	एचएमटी (वाचेज)	255	220	1677	2152	377	96	306
19.	एचएमटी (चिनार वाचेज)	14	91	471	576	45	4	0
20.	पीटीएल	89	34	381	504	87	12	0
21.	एचएमटी (बियरिंग)	45	45	236	326	43	1	130
22.	एचएमटी (आई)	45	10	10	65	10	4	1
23.	आईएल	255	803	619	1677	276	76	267
24.	आरईआईएल	56	56	94	206	41	6	38
25.	एसआईएल	223	66	1312	1601	298	2	455
26.	सीसीआई	165	199	1171	1535	196	124	189
27.	एचपीसी	555	187	2008	2750	274	212	137
28.	एचएनएल	182	80	740	1002	67	4	222
29.	एचपीएफ	91	65	910	1066	176	54	495
30.	एचएसएल	12	32	78	122	17	8	15
31.	एसएसएल	8	29	96	133	31	9	39
32.	नेपा	129	0	1326	1455	124	25	78
33.	टीसीआईएल	45	22	185	252	14	2	0
34.	ईपीआईएल	384	78	7	469	83	21	11
	कुल	**16998**	**11764**	**65850**	**94612**	**14839**	**8134**	**15048**

टिप्पणी : (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 12 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी, बीओजीएल और आरआईसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 2 उद्यम (एनपीपीसी और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) हैं।

अनुबंध V

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का उत्पादन कार्यनिष्पादन

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के नाम	2004-05 (वास्तविक)	2005-06 (वास्तविक)	2006-07 (वास्तविक)	2007-08 (पूर्वानुमानित)	2008-09 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
1.	एवाईएण्डसीओ	119.66	111.27	137.36	165.76	204.76
2.	हुगली प्रिंटिंग	9.98	5.09	4.07	6.50	10.00
3.	बीएचईएल	10336.00	14525.00	18739.00	21000.00	24150.00
4.	बीएससीएल	186.24	181.63	233.08	306.40	343.14
5.	बीसीएल	66.20	81.38	106.21	135.29	168.37
6.	बीडब्ल्यूईएल	19.63	31.33	50.17	53.64	46.92
7.	बीबीजे	38.29	57.89	80.17	85.22	110.00
8.	बीएचपीवी	141.00	122.05	180.36	180.00	190.00
9.	बीपीसीएल	70.00	103.00	150.00	185.00	235.00
10.	आरएण्डसी	32.00	31.00	54.00	70.00	85.00
11.	टीएसएल	1.00	1.00	4.00	10.39	18.60
12.	टीएसपी	3.00	2.00	2.00	5.50	15.00
13.	बीएण्डआर	451.00	507.00	612.67	700.00	820.00
14.	एचसीएल	21.19	6.07	3.66	1.42	–
15.	एचईसी	136.46	165.63	280.81	342.40	390.41
16.	एचएमटी (धारक कंपनी)	186.74	236.01	212.30	275.09	328.45
17.	एचएमटी (एमटी)	205.03	224.63	215.29	320.00	375.00
18.	एचएमटी (वाचेज)	19.33	29.17	39.46	36.00	90.00
19.	एचएमटी (चिनार वाचेज)	0.20	2.97	3.69	2.50	5.00
20.	पीटीएल	10.53	10.72	9.54	26.36	27.48
21.	एचएमटी (बी)	24.42	25.00	24.40	20.79	66.00
22.	एचएमटी (आई)	28.17	14.89	31.45	34.06	37.00
23.	आईएल	175.85	219.98	228.34	280.00	320.00
24.	आरईआईएल	49.52	50.00	72.10	61.80	70.00
25.	एसआईएल	140.50	175.15	192.32	194.72	270.17
26.	सीसीआई	179.10	230.03	325.72	348.39	378.13
27.	एचपीसी	574.41	677.59	721.60	738.12	762.24
28.	एचएनएल	273.55	303.01	315.31	289.79	301.88
29.	एचपीएफ	15.20	15.37	17.68	17.50	18.50
30.	एचएसएल	4.71	6.67	7.79	17.02	18.31
31.	एसएसएल	7.19	8.22	10.37	16.51	23.32
32.	नेपा	38.31	58.73	83.26	85.00	97.96
33.	टीसीआईएल	60.31	144.75	155.05	213.75	223.88
34.	ईपीआई	512.04	637.38	763.61	850.00	950.00
	कुल	**14136.76**	**19001.61**	**24066.84**	**27074.92**	**31150.52**

टिप्पणी : (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 12 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी, बीओजीएल और आरआईसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 2 उद्यम (एनपीपीसी और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) हैं।

अनुबंध VI

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का लाभ (+)/हानि(-) (कर-पूर्व)

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	2004-05 (वास्तविक)	2005-06 (वास्तविक)	2006-07 (वास्तविक)	2007-08 (पूर्वानुमानित)	2008-09 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
(क)	**लाभ कमा रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यम***					
1.	बीएचईएल	1582.00	2564.00	3736.00	4085.00	4465.00
2.	बीपीसीएल	-10.86	1.84	19.11	30.27	36.00
3.	बीएण्डआर	1.49	3.11	7.17	10.00	14.00
4.	बीसीएल	-21.91	2.21	0.56	2.93	19.87
5.	बीबीजे	0.33	0.54	1.39	1.61	15.35
6.	सीसीआई	-218.94	831.84	166.61	36.35	522.55
7.	ईपीआई	7.76	13.31	17.55	18.95	21.50
8.	हुगली प्रिंटिंग	1.50	0.39	0.20	0.15	0.30
9.	एचपीसी	55.60	87.98	120.31	87.00	90.80
10.	एचएनएल	9.54	27.36	45.08	5.02	5.01
11.	एचएमटी (धारक कंपनी)	18.50	13.55	40.48	-14.45	9.57
12.	एचएमटी (आई)	0.08	0.98	1.64	0.51	0.35
13.	एचईसी	-285.02	-86.89	2.86	2.21	5.17
14.	पीटीएल	-34.39	116.51	91.95	4.47	4.92
15.	आरईआईएल	3.03	3.16	3.48	3.68	4.55
उप-योग (क) लाभ कमा रही कंपनियां		**1108.71**	**3579.89**	**4254.39**	**4273.70**	**5214.94**
(ख)	**हानि उठा रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यम**					
16.	एवाईसीएल	-75.32	-73.35	-90.11	0.45	70.34
17.	बीएससीएल	-118.72	-442.74	-151.87	-161.30	-189.71
18.	बीडब्ल्यूईएल	-28.10	-24.88	-24.14	-21.48	-16.25
19.	टीएसपी	-57.42	-30.09	-37.50	-17.40	-25.04
20.	बीएचपीवी	-78.24	-71.38	-34.70	-32.58	-48.80
21.	आरएण्डसी	-33.06	-42.59	-37.62	-43.60	-41.70
22.	टीएसएल	-51.54	-48.87	-46.86	-48.44	-41.71
23.	एचसीएल	-270.88	-295.32	-310.68	-375.82	-399.59
24.	एचएमटी (बी)	-10.38	0.31	-6.80	-3.20	3.09
25.	एचएमटी (एमटी)	-73.80	-6.56	-149.25	2.75	0.53
26.	एचएमटी (वाचेज)	-134.52	-76.13	-195.66	-146.00	171.00
27.	एचएमटी (चिनार वाचेज)	-25.23	-30.86	-39.89	-38.05	-41.12
28.	एचएसएल	8.34	-0.57	-0.41	0.06	0.13
29.	एसएसएल	2.35	-1.26	-0.91	0.14	0.81
30.	एचपीएफ	-496.41	-560.90	-653.06	-754.84	-835.28
31.	आईएल	-16.98	-23.96	-27.80	-33.07	-23.71
32.	एसआईएल	1.39	1.90	-22.50	-13.24	-0.53
33.	नेपा	-48.62	-45.32	-44.44	-46.85	-45.50
34.	टीसीआईएल	-56.87	-47.93	-47.91	-46.64	-49.14
उप-योग (ख) हानि उठा रही कंपनियां		**-1564.01**	**-1820.50**	**-1922.11**	**-1779.11**	**-1512.18**
कुल-योग (क और ख)		**-455.30**	**1759.39**	**2332.28**	**2494.59**	**3702.76**

टिप्पणी : (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 12 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी, एनओजीएल और आरआईसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 2 उद्यम (एनपीपीसी, और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) हैं।

* केन्द्रीय वर्ष 2006-07 के प्रचालनरत परिणाम के आधार पर

अनुबंध VII

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कुल कारोबार (टर्नओवर) के प्रतिशत के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन एवं मजदूरी					कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में सामाजिक उपरिव्यय				
		2004-05 (वास्तविक)	2005-06 (वास्तविक)	2006-07 (वास्तविक)	2007-08 (पूर्वानुमानित)	2008-09 (लक्ष्य)	2004-05 (वास्तविक)	2005-06 (वास्तविक)	2006-07 (वास्तविक)	2007-08 (पूर्वानुमानित)	2008-09 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	एवाई एण्ड कं.	40.13	41.98	37.33	31.94	27.13	15.93	11.29	10.95	9.37	7.96
2.	हुगली प्रिंटिंग	15.64	30.13	34.66	21.77	14.36	1.23	1.08	1.90	6.01	1.04
3.	बीएचईएल	15.97	12.94	13.08	12.85	12.12	2.21	1.89	1.86	1.90	1.86
4.	बीएससीएल	12.73	12.75	13.85	12.19	8.95	4.14	3.31	3.89	1.65	1.17
5.	बीसीएल	14.00	12.00	13.00	8.00	6.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00
6.	बीडब्ल्यूईएल	96.29	56.39	42.61	58.14	27.44	1.74	0.58	0.55	2.14	0.51
7.	बीबीजे	10.00	8.53	8.43	6.74	7.79	0.69	0.57	0.49	0.49	0.50
8.	बीएचपीवी	29.15	22.99	17.18	17.18	14.92	3.46	2.93	2.43	2.05	1.60
9.	बीपीसीएल	32.70	26.30	18.85	16.90	14.60	1.24	1.03	2.66	0.77	0.62
10.	आरएण्डसी	7.00	6.00	2.91	2.00	2.00	1.00	1.00	0.34	3.00	2.00
11.	टीएसएल	427.00	748.00	172.72	55.00	0.00	34.00	62.00	21.21	8.00	0.00
12.	टीएसपी	126.00	96.77	347.50	16.00	19.00	4.50	7.77	16.00	3.00	3.00
13.	बीएण्डआर	7.73	6.75	7.61	7.50	7.52	1.79	1.38	0.62	0.65	0.65
14.	एचसीएल	278.63	735.32	1732.76	4623.56	–	23.04	62.42	119.91	328.71	–
15.	एचईसी	35.30	30.40	20.60	19.70	18.70	6.10	-1.50	-0.40	-0.70	0.20
16.	एचएमटी (धारक)	30.06	23.47	27.20	23.26	20.73	3.07	3.67	4.25	3.64	3.24
17.	एचएमटी (एमटी)	43.00	59.00	47.30	42.93	36.63	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00
18.	एचएमटी (वाचेज)	153.00	230.00	117.00	136.00	34.00	4.00	4.00	7.00	6.00	14.00
19.	एचएमटी (चिनार)	1779.00	694.00	526.00	260.00	240.00	280.00	124.00	170.00	315.00	315
20.	पीटीएल	55.00	62.00	69.00	24.00	24.00	21.00	21.00	25.00	10.00	10.00
21.	एचएमटी (बी)	30.29	32.66	30.88	39.33	17.35	3.73	4.31	4.23	7.37	3.97
22.	एचएमटी (आई)	5.78	8.46	7.25	9.07	7.55	1.55	2.31	1.98	2.48	2.06
23.	आईएल	20.76	17.01	17.05	13.48	11.41	1.04	0.97	0.78	0.69	0.62
24.	आरईआईएल	7.87	8.38	7.82	9.14	9.00	1.49	1.62	1.28	1.34	1.35
25.	एसआईएल	17.36	14.27	13.85	14.61	11.07	6.40	5.54	5.14	5.42	4.11
26.	सीसीआई	11.45	21.50	8.19	9.02	8.65	4.76	10.25	3.93	3.59	3.43
27.	एचपीसी	9.70	8.29	8.71	10.43	10.50	4.94	3.41	3.40	4.01	4.08
28.	एचएनएल	8.32	8.27	8.73	10.70	11.59	4.82	5.03	4.90	4.93	5.13
29.	एचपीएफ	72.97	87.89	95.34	86.47	66.67	4.62	3.85	3.96	2.94	1.67
30.	एचएसएल	42.94	48.17	40.04	20.58	20.42	3.99	3.91	2.18	1.28	1.35
31.	एसएसएल	39.54	44.99	36.47	22.92	17.08	2.95	3.28	2.98	2.30	1.72
32.	नेपा	36.00	24.00	21.00	21.00	21.00	7.00	5.00	3.00	3.00	3.00
33.	सीसीआईएल	45.05	30.49	30.78	31.60	31.98	4.60	2.22	2.45	2.29	2.43
34.	ईपीआईएल	3.53	2.95	2.85	2.84	2.84	0.50	0.81	0.73	0.71	0.71

टिप्पणी :(i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 12 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी, बीओजीएल और आरआईसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 2 उद्यम (एनपीपीसी और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) हैं।

अनुबंध VIII

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के ऑर्डर बुक की स्थिति

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम	दिनांक 1.10.2003 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2004 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2005 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2006 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2007 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7
1.	एवाईसीएल	103.54	86.05	93.91	68.51	62.28
2.	हुगली प्रिंटिंग	1.10	1.50	6.50	1.27	0.90
3.	बीएचईएल	15800.00	23650.00	32000.00	37500.00	55000.00
4.	बीएससीएल	174.74	152.80	102.80	106.92	183.64
5.	बीसीएल	130.59	144.11	228.72	255.05	201.73
6.	बीडब्ल्यूईएल	115.48	101.99	150.94	32.74	11.86
7.	बीबीजे	44.19	73.52	116.54	126.35	144.49
8.	बीएचपीवी	121.33	186.99	305.87	348.57	260.14
9.	बीपीसीएल	43.46	48.68	130.65	136.20	232.87
10.	आरएण्डसी	107.90	32.56	44.92	56.33	75.81
11.	टीएसएल	38.05	22.37	16.25	6.32	16.00
12.	टीएसपी	24.40	9.50	5.50	3.02	1.86
13.	बीएण्डआर	636.40	581.66	856.02	994.79	1381.00
14.	एचसीएल	164.00	138.25	1.32	5.40	1.93
15.	एचईसी	154.42	262.35	378.25	522.10	606.28
16.	एचएमटी (धारक कंपनी)	—	—	—	—	—
17.	एचएमटी (एमटी)	111.23	166.65	175.31	196.77	179.82
18.	एचएमटी (वाचेज)	—	—	—	—	—
19.	एचएमटी (चिनार वाचेज)	—	—	—	—	—
20.	पीटीएल	4.47	5.86	3.40	1.35	2.01
21.	एचएमटी (बियरिंग)	2.15	2.19	2.40	2.50	2.23
22.	एचएमटी (आई)	12.11	21.68	7.51	35.81	18.51
23.	आईएल	120.00	165.00	158.00	170.00	248.84
24.	आरईआईएल	27.09	18.87	28.13	26.34	33.75
25.	एसआईएल*	—	—	—	—	—
26.	सीसीआई	—	7.13	—	12.50	0.00
27.	एचपीसी	15.21	27.46	12.76	8.26	119.06
28.	एचएनएल	—	—	—	—	—
29.	एचपीएफ	2.60	2.85	2.85	1.46	2.75
30.	एचएसएल	6.12	7.03	4.57	15.00	14.52
31.	एसएसएल	2.07	2.84	4.36	6.51	2.48
32.	नेपा	4.99	13.15	51.70	78.73	4.11
33.	टीसीआईएल	5.00	1.00	3.00	3.60	4.10
34.	ईपीआईएल	891.26	1459.96	1580.39	1225.54	1957.57
	कुल	**18863.90**	**27394.00**	**36472.57**	**41947.94**	**60770.54**

* स्टॉक एवं बिक्री के लिए वस्तुओं का उत्पादन

टिप्पणी : (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 12 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी, बीओजीएल और आरआईसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 2 उद्यम (एनपीपीसी और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) हैं।

अनुबंध IX

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निर्यात निष्पादन

(करोड़ रुपए मे)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	2003-04(वास्तविक)			2004-05 (वास्तविक)			2005-06 (वास्तविक)			2006-07 (वास्तविक)			2007-08 (पूर्वानुमानित)		
		वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	एवाई एण्ड कं.	0.53	1.60	2.13	1.25	2.65	3.90	0.80	0.00	0.80	1.64	0.00	1.64	2.00	0.00	2.00
2.	बीएचईएल	596.00	1454.00	2050.00	829.00	1298.00	2127.00	745.00	3021.00	3766.00	1076.00	5525.00	6601.00	2007.00	3513.00	5520.00
3.	बीसीएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	4.98	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
4.	बीएससीएल	2.53	4.90	7.43	4.71	0.00	4.71	2.75	0.00	2.75	8.48	0.00	8.48	9.59	0.00	9.59
5.	बीएचपीवी	1.21	0.45	1.66	2.92	0.45	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	बीपीसीएल	0.00	7.03	7.03	0.00	3.97	3.97	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	आरएण्डसी	0.40	0.00	0.40	0.83	0.00	0.83	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	बीएण्डआर	2.85	0.00	2.85	1.95	0.00	1.95	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	पीटीएल	0.08	0.57	0.65	0.30	0.22	0.52	0.24	0.00	0.24	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
10.	एचएमटी(आई)	29.94	0.00	29.94	28.17	0.00	28.17	14.98	0.00	14.98	31.45	0.00	31.45	34.06	0.00	34.06
11.	आईएल	0.26	3.85	4.11	0.47	5.32	5.79	0.23	9.01	9.24	0.21	7.74	7.95	0.25	8.50	8.75
12.	आरईआईएल	0.17	0.14	0.31	13.36	0.00	13.36	1.09	0.00	1.09	4.05	1.27	5.32	10.00	0.00	10.00
13.	एसआईएल	0.94	0.00	0.94	1.06	0.00	1.06	1.05	0.00	1.05	0.41	0.00	0.41	1.00	0.00	1.00
14.	एचपीसी	0.00	3.12	3.12	0.00	48.38	48.38	0.00	43.37	43.37	0.00	40.76	40.76	13.32	45.71	59.03
15.	एचएसएल	0.21	0.00	0.21	0.41	0.00	0.41	0.39	0.00	0.39	0.56	0.00	0.56	0.64	0.00	0.64
	कुल	**635.12**	**1475.66**	**2110.78**	**884.43**	**1358.99**	**2243.42**	**782.68**	**3077.58**	**3860.26**	**1130.48**	**5574.77**	**6705.25**	**2077.86**	**3567.21**	**5645.07**

अनुबंध X

31.3.2007 के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की चुकता पूंजी, निवल मूल्य और संचयी लाभ (+)/हानि(-) (अनन्तिम)

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	चुकता पूंजी		निवल मूल्य	संचयी लाभ (+)/हानि (-)
		सरकार/केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के धारक उद्यम	अन्य		
1	2	3	4	5	6
1	एवाईसीएल	163.27	3.93	-265.65	-431.92
2	हुगली प्रिंटिंग	1.03		2.89	0.20
3	बीएचईएल	165.76	79.00	8788.00	8544.00
4	बीएचसीएल	133.01		-1189.07	-1319.20
5	बीसीएल	16.75		6.12	-11.79
6	बीडब्ल्यूईएल	9.99		-143.05	-152.92
7	बीबीजे	17.02		11.82	-5.20
8	बीएचपीवी	33.80		-526.72	-528.87
9	बीपीसीएल	53.53		56.95	-25.26
10	आरएण्डसी	54.84		-203.68	-258.52
11	टीएसएल	21.27		-405.84	-427.11
12	टीएसपी	8.44		-220.27	-228.71
13	बीएण्डआर	54.99		91.37	36.38
14	एचसीएल	417.69	1.67	-1832.19	-2308.29
15	एचईसी	453.24		-516.97	-1089.99
16	एचएमटी (धारक कंपनी)	1203.35		865.61	-337.74
17	एचएमटी (एमटी)	16.00		80.56	-168.09
18	एचएमटी (वाचेज)		100.00	-816.00	-820
19	एचएमटी (चिनार वाचेज)		100.00	-177.00	-175.00
20	पीटीएल	34.34	0.66	18.63	-19.56
21	एचएमटी (बियरिंग)	16.89	0.24	3.68	-34.02
22	एचएमटी (आई)	0.72		21.42	6.80
23	आईएल	89.79		-220.31	-293.79
24	आरईआईएल	1.66	1.10	14.33	11.57
25	एसआईएल	42.99		36.37	-6.38
26	सीसीआई	806.08		-363.43	-1154.42
27	एचपीसी	700.38		769.29	60.04
28	एचएनएल	82.54		215.69	133.04
29	एचपीएफ	180.68	19.19	-4144.44	-4367.42
30	एचएसएल	19.45		16.63	-11.97
31	एसएसएल	0.01		2.75	-15.04
32	नेपा	106.01	0.69	-283.05	-389.18
33	टीसीआईएल	93.45		-638.55	-757.05
34	ईपीआईएल	35.42		103.99	65.65
	कुल	**5034.39**	**306.48**	**-840.12**	**-6479.76**

टिप्पणी : (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 12 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी, बीओजीएल और आरआईसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 2 उद्यम (एनपीपीसी और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) हैं।

अनुबंध XI

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार/ पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत निविष्टियां

दिनांक 31.01.2008 **की यथास्थिति**

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र का उद्यम	भारत सरकार की नई निधियां		माफी/ रूपांतरण	भारत सरकार की गारंटी	जोड़	दिनांक 31.3.2007 की यथास्थिति कर्मचारियों की संख्या
		पूंजी निवेश	अन्य				
1.	एवाईसीएल	29.56	87.06	154.75	111.96	383.33	15797.00
2.	बीसीएल	4.00	शून्य	112.91	शून्य	116.91	525.00
3.	बीबीजे	0.00	शून्य	54.61	शून्य	54.61	93.00
4.	बीएण्डआर	60.00	शून्य	42.92	शून्य	102.92	1449.00
5.	बीपीसीएल	0.00	शून्य	153.15	3.37	156.52	1214.00
6.	एचएमटी(एमटी)	180.00	543.00	157.80	–	880.80	4236.00
7.	पीटीएल	5.00	शून्य	177.12	32.59	214.71	504.00
8.	एचएमटी (बी)	7.40	शून्य	26.57	17.40	51.37	326.00
9.	सीसीआई	30.67	153.62	1252.25	15.70	1452.24	1535.00
10.	एनआईएल@@	–	1.81	240.05	–	241.86	0.00
11.	एनपीपीसी@	251.26	38.19	126.98	252.99	669.42	0.00
12.	एचईसी	102.00	शून्य	1116.30	150.00	1368.30	3330.00
13.	एचएसएल	4.28	शून्य	66.32	शून्य	70.60	122.00
	कुल	**674.17**	**823.68**	**3681.73**	**584.01**	**5763.59**	**29131.00**

@ मौजूदा चुकता पूंजी को 120.00 करोड़ रुपए से कम करने के कारण पूंजी घटाव निधि को समंजित करने के लिए 108.18 करोड़ रुपए प्रति शेयर 1000 रुपए से शेयर का अंकित मूल्य घटाकर 100 रुपए प्रति शेयर करके 12.02 करोड़ रुपए तक

@ गैर-बीआरपीएसई के मामले (एनआईएल और एनपीपीसी)

@@ सरकार ने एनआईएल की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी है।

वर्ष 2007 के लिए नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक रिपोर्ट से महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन

- **ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड**

कंपनी द्वारा वैगन उद्योग में विभिन्न वित्तीय मामलों में क्षमता बढ़ाने और एक सुविकसित पैकेज के विपणन के उद्देश्य से ईआरपी प्रणाली की अधिप्राप्ति और संस्थापना के लिए 1.51 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया कार्यान्वित नहीं की जा सकी और निवेश से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

IV

-

कंपनी ने डीजीसेट सहित मौजूदा कैप्टिव विद्युत स्टेशन को प्रतिस्थापित करने का निर्णय लेने में 36 महीने लगा दिए। इसके परिणामस्वरूप, इसने वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए विद्युत के आंतरिक उत्पादन की उच्चतर लागत पर 14.77 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय किया।

कंपनी ने अवकास नकदीकरण के संगठन के लिए 30 दिनों की बजाय महीने के रूप में 26 दिन अपनाए जाने के कारण 13.94 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान किया।

वर्ष 2007 की रिपोर्ट सं. 13; संघ सरकार; चयनित केंद्रीय मंत्रालयों में आंतरिक नियंत्रण की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा

- स्कीमों/निधियों की अपर्याप्त बजट-पूर्व समीक्षा इंगित करते हुए विभिन्न उप-शीर्षों/स्कीमों में सतत रूप से बचतें हुई थीं।
- विभाग में व्यय के प्रभावी अनुवीक्षण की कमी से वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय का अधिक्य हुआ।
- ऋणों/अनुदानों की उपयोगिता पर नजर रखने के लिए कर नियंत्रण/कार्यतंत्र के कारण 14 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से 75.65 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे। इसके अतिरिक्त, यहां तक कि जब पूर्ण वर्षों के उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं किए गए थे, फिर भी वर्ष 2002-03 से 2005-06 तक के दौरान 6 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अनुदान जारी किए गए थे।
- वर्ष 2004-05 के लिए 40.40 लाख रुपए की गारंटी फीस अभी भी सरकारी क्षेत्र के उद्यम से वसूली योग्य हैं। गारंटी फीस का भुगतान नहीं करने के लिए, 40.40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाए जाने और वसूल करने योग्य हैं।
- ऋण वसूली के लिए अनुवीक्षण प्रणाली की कमी के कारण दिनांक 31 मार्च, 2006 तक 33 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को दिए गए 5438.86 करोड़ रुपए के कुल ऋण में से अभी तक 3354.12 करोड़ रुपए की राशि वसूली योग्य है। इसके अतिरिक्त, दिए गए ऋण पर 13,761.40 करोड़ रुपए का ब्याज भी देय हो गया था।
- लेखापरीक्षा में परीक्षण जांच के दौरान मंत्रालय और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के रिकार्डों के बीच समंजन की कमी देखी गई थी; मंत्रालय द्वारा प्रदर्शित 1,24,874 लाख रुपए के कुल ऋण और ब्याज की तुलना में, एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम अपनी बहियों में केवल 9785.50 लाख रुपए का ऋण दर्शा रहा था।
- बिल रजिस्टर, असंवितरित वेतन और भत्ते के रजिस्टर के रख-रखाव और आकस्मिक अग्रिम की वसूली में ढीलापन देखा गया था।
- विभाग द्वारा प्राप्ति के आंकड़ों का समंजन नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या सभी प्राप्तियां सरकारी लेखें में जमा की गई थीं अथवा नहीं।
- विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली अप्रभावी थी क्योंकि लेखा परीक्षा बकाया चल रही थी और आंतरिक लेखापरीक्षा के अवलोकनों पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया था।

वित्त मंत्रालय से दिनांक 9 जनवरी, 2008 के का.ज्ञा.सं. 1(3)ई-समन्वय/208 द्वारा यथा प्राप्त अवलोकन)

संकेताक्षर

एएआईएफआर	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण
एआरएआई	ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एवाई एंड कं.	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
बीबीजे	ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
बीबीयूएनएल	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
बीएचईएल	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बीएचपीवी	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीएलसी	भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड
बीओजीएल	भारत आप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड
बीपीसीएल	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
बीपीएमई	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
ब्रेथवेट	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
बीएससीएल	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड
बीडब्ल्यूईएल	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
बीवाईएनएल	भारत यंत्र निगम लिमिटेड
बीआरपीएसई	लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड
सी डॉट	सेंटर और डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स
सीसीआई	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीसीआईएल	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीईए	सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथॉरिटी
सीएनसी	कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड
डीओई	डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स
ईईसी	यूरोपियन इकानामिक कम्युनिटी
ईओटी	इलैक्ट्रीकली आपरेटेड ट्रॉली
ईपीआई	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
एफबीपी	फल्युडाइज्ड बैड कंबुस्शन
एफसीआरआई	फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इन्स्टीट्यूट
एफएफपी	फाउंड्री फोर्ज प्लांट
एचसीएल	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
एचएमबीपी	हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट
एचएमटी (आई)	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (इंटरनेशनल) लिमिटेड
एचएमटीपी	हैवी मशीन टूल्स प्लांट
एचएनएल	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
एचपीसी	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
एचपीएफ	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
एचएसएल	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड

एचवीडीसी	हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट
आईएलके	इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा
आईएसआरओ	इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन
जेसप	जेसप एंड कंपनी लिमिटेड
केवी	किलोवोल्ट
केडब्ल्यू	किलो वाट
लगन जूट	लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड
एमएएमसी	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
एमएएक्स	मेन ऑटोमेटिक एक्सचेंज
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमटी	मीट्रिक टन
एमयूएल	मारुति उद्योग लिमिटेड
एमवीए	मेगा वोल्ट एम्पीयर्स
एमडब्ल्यू	मेगा वाट
एनबीसीआईएल	नेशनल बाइसाईकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनसी	न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड
नेपा	नेपा लिमिटेड
नैट्रिप	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और आरएण्डडी अवसंरचना परियोजना
नैटिस	नेट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी
एनसीएमपी	राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम
एनआईडीसी	नेशनल इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
पीएसई	सरकारी क्षेत्र के उद्यम
पीडब्ल्यूडी	विकलांग व्यक्ति
पीटीएल	प्रागा टूल्स लिमिटेड
आर एंड सी	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड
आरडीएसओ	रिसर्च डिजाइन एंड स्टैन्डर्ड आर्गेनाइजेशन
आरआईसी	रिहेब्लिीटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
आरएसडब्ल्यू	रेडिएशन शील्डिंग विंडो
एसआईएल	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
एसएलएल	सांभर सालट्स लिमिटेड
टैफ्को	टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
टीसीआईएल	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
टीएसएल	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
टीएसपी	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
यूएनडीपी	युनाईटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम
यूएनआईडीओ	युनाईटेड नेशन्स इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन
वीआरएस	स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना
डब्ल्यूआईएल	वेबर्ड लिमिटेड

लोक उद्यम विभाग

		पृष्ठ संख्या
1.	लोक उद्यम सर्वेक्षण	77
2.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता	79
3.	नैगम अभिशासन	85
4.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली	88
5.	मानव संसाधन विकास	93
6.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए सहायक सेवाएं	98
7.	मजदूरी नीति एवं जनशक्ति यौक्तिकीकरण	100
8.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण	104
9.	सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)	105
10.	परामर्श, पुन:प्रशिक्षण और पुन:नियोजन योजना (सीआरआर)	107
11.	राजभाषा नीति	109
12.	महिलाओं का कल्याण	110
	परिशिष्ट (I-VIII)	111-124

अध्याय 1

लोक उद्यम सर्वेक्षण

1.1 लोक उद्यम विभाग, हर वर्ष देश में स्थित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वित्तीय एवं भौतिक कार्यनिष्पादन संबंधी पर्यवलोकन संसद में प्रस्तुत करता है।

1.2 प्राक्कलन समिति ने अपनी 73वीं रिपोर्ट (1959-60) में सरकार से यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक उद्यम की हर वर्ष सदन के दोनों पटलों पर रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट के अलावा सरकार संसद के समक्ष अलग से एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें सरकारी उद्यमों के कार्यचालन का संपूर्ण मूल्यांकन हो। तद्नुसार, पहली वार्षिक रिपोर्ट (लोक उद्यम सर्वेक्षण) 1960-61 में तैयार की गई थी, जिसे पूर्ववर्ती सरकारी उद्यम ब्यूरो (अब लोक उद्यम विभाग) ने तैयार किया था और जिसमें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन के समेकित विवरण प्रस्तुत किया गया था।

1.3 लोक उद्यम सर्वेक्षण में भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सरकारी कंपनियाँ अथवा संसद की विशिष्ट संविधियों के अधीन सांविधिक निगमों के रूप में स्थापित केन्द्रीय सरकारी उद्यम शमिल हैं। इस सर्वेक्षण में केवल वे सरकारी कंपनियां और उनकी सहायक कंपनियां ही शमिल हैं, जिनकी प्रदत्त शेयर पूंजी में केन्द्रीय सरकार की शेयरधारिता 50 प्रतिशत से अधिक है। परन्तु, इसमें सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक शामिल नहीं हैं।

1.4 सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) ने अपनी 46वीं रिपोर्ट (5वीं लोक सभा) में लोक उद्यम सर्वेक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं, यथा विषय क्षेत्र, परिव्याप्ति, उपक्रमों का वर्गीकरण, रिपोर्ट की विषयवस्तु प्रस्तुतीकरण का समय तथा लोक उद्यम सर्वेक्षण संबंधी अन्य मामलों को शामिल किया था। लोक उद्यम सर्वेक्षण तैयार करते समय कोपू की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाता है।

1.5 इस सर्वेक्षण के लिए आधारभूत आंकडे प्रत्येक उद्यम द्वारा इस विभाग को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टो तथा तुलन-पत्र से संकलित किए गए हैं। इस प्रकार संकलित और विश्लेषित आंकड़े तीन अलग-अलग खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

1.5.1 **खण्ड-1**- में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का व्यापक भौतिक और वित्तीय प्राचलों के संदर्भ में वृहत् मूल्यांकन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इस खण्ड के विभिन्न अध्यायों में सरकारी उद्यमों के प्रमुख क्रियाकलापों तथा उनके द्वारा विशेष क्षेत्र में की गई प्रगति को दर्शाया जाता है। इसमें आंतरिक संसाधन सृजन, केन्द्रीय राजकोष में योगदान, प्रबंध विकास, रोजगार के अवसर जुटाना, कर्मचारी कल्याण के उपाय तथा विदेशी मुद्रा अर्जन जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।

1.5.2 **खण्ड-2**- में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण विभिन्न क्षेत्रीय/सजातीय समूहों में और अलग-अलग विभक्त करके किया जाता है। इसमें प्रत्येक उद्यम के कार्य क्षेत्र तथा उनके भौतिक-वित्तीय निष्पादन का संक्षिप्त विवरण भी शामिल किया जाता है।

1.5.3 **खण्ड-3**- में गत तीन वर्षो के उद्यमवार विश्लेषणात्मक आंकड़े शामिल होते हैं। सूचना में संक्षिप्त तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखे और महत्वपूर्ण प्रबंध अनुपात शामिल होते हैं।

1.6 लोक उद्यम सर्वेक्षण (2006-07) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन से संबंधित 47वीं रिपोर्ट है।

1.7 दिनांक 31.03.2007 तक केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की संख्या 247 थी जिनमें से 217 उद्यम प्रचालनरत थे तथा 30 उद्यम निर्माणाधीन थे तथा इन उद्यमों में 421089 करोड़ रूपए का पूँजीनिवेश किया गया था। प्रचालनरत

217 उद्यमों में से 156 उद्यमों ने 89773 करोड़ रूपए का लाभ अर्जित किया तथा 59 उद्यमों ने 8223 करोड़ रूपए का घाटा उठाया। प्रचालनरत उद्यमों का समग्र निवल लाभ 81550 करोड़ रूपए था। लाभार्जनकारी उद्यमों का समूह वार लाभ तथा घाटा उठाने वाले उद्यमों का घाटा क्रमशः चित्र 1 एवं चित्र 2 में दर्शाया गया है।

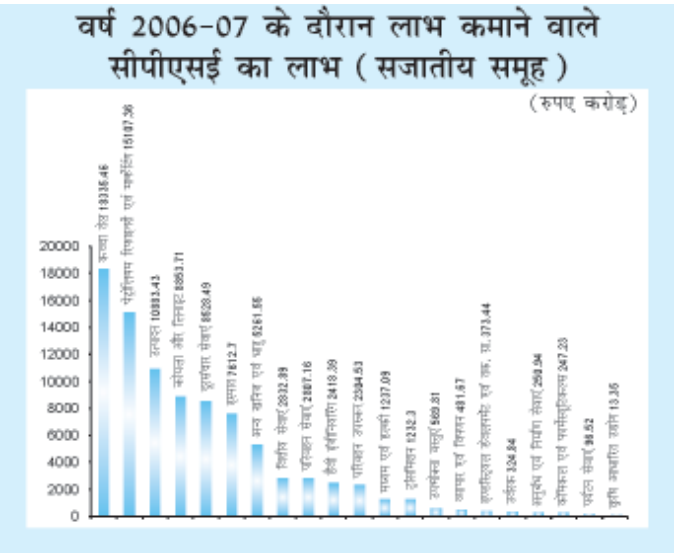

चित्र 1

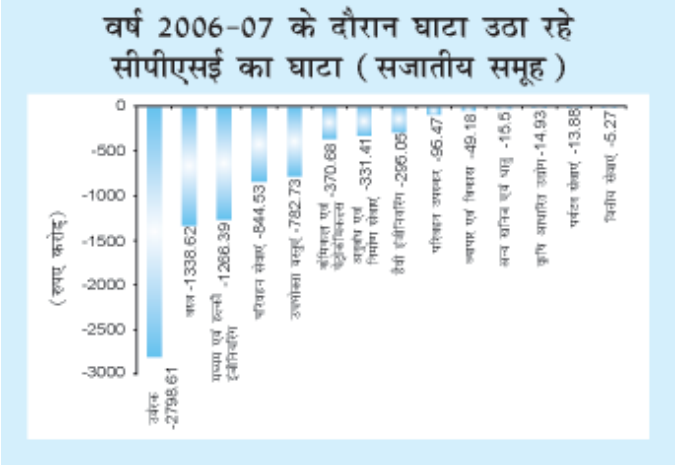

चित्र 2

अध्याय 2

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता

2.1.1 सरकार सरकारी उद्यमों को स्वायत्त निदेशक मण्डल द्वारा प्रबंधित कंपनियां बनाने का प्रयास करती रही है। संस्था के अन्तर्नियमों के अंतर्गत सरकारी उद्यमों को निदेशक मंडल स्तर से नीचे के कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तो के मामले में स्वायत्तता प्राप्त है। किसी केन्द्रीय सरकारी उद्यम का निदेशक मंडल सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए व्यापक दिशा-निर्देशों के अध्यधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करता है। सरकार ने नवरत्न और मिनीरत्न जैसी विभिन्न योजनाओं के अधीन लाभार्जनकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों को अधिक शक्तियां प्रदान की हैं।

2.1.2 राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में की गई इस वचनबद्धता के मद्देनजर कि प्रतिस्पर्धी परिवेश में प्रचालनरत सफल लाभार्जनकारी कंपनियों को पूर्ण प्रबंधकीय एवं वाणिज्यिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, सरकार ने नवरत्न, मिनीरत्न तथा अन्य लाभार्जनकारी सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों को प्रत्यायोजित शक्तियों की समीक्षा की है और इन शक्तियों में वृद्धि कर दी है, जिसका उल्लेख अग्रवर्ती पैराग्राफों में किया गया है।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यमों, नामत: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि., हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि. तथा पॉवर फाईनेंस कारपोरेशन लि. को दिनांक 22 जून, 2007 को आयोजित नवरत्न समारोह में वित्त मंत्री द्वारा नवरत्न दर्जा प्रदान किया गया था। समारोह की अध्यक्षता भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री ने की थी।

2.2 नवरत्न श्रेणी के केंन्द्रीय सरकारी उद्यम

2.2.1 इस योजना के अंतर्गत, सरकार ने उन उद्यमों को अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं जो विश्व स्तरीय स्वरूप धारण कर पाने में सक्षम हैं। वर्तमानत: केंद्रीय सरकारी क्षेत्र में 12 नवरत्न उद्यम है, जो निम्नलिखित हैं-

(i) भारत इलेक्ट्रॉनिकल्स लि.

(ii) भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लि.

(iii) भारत पेट्रोलियम कॉर्पो. लि.

(iv) गेल (इण्डिया) लि.

(v) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.

(vi) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.

(vii) इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि.

(viii) महानगर टेलीफोन निगम लि.

(ix) एनटीपीसी लि.

(x) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन

(xi) पॉवर फाइनेन्स कॉरपोरेशन लि.

(xii) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.

2.2.2 नवरत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को वर्तमानत: निम्नलिखित शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई है:-

(i) **पूजीगत व्यय:**- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को बिना किसी मौद्रिक सीमा के नई मदों की खरीद करने अथवा प्रतिस्थापन पर पूंजीगत व्यय करने की शक्ति प्राप्त है।

(ii) **प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम तथा रणनीतिक गठबंधन:**- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम स्थापित करने अथवा रणनीतिक गठबंधन करने की शक्ति प्राप्त है और साथ ही वे क्रय अथवा अन्य व्यवस्था के जरिए प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(iii) **संगठनात्मक पुनर्गठन** - केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को लाभ केन्द्रों की स्थापना करने, भारत तथा विदेशों में कार्यालय खोलने, नए कार्यकलाप केन्द्रों की स्थापना करने आदि सहित संगठनात्मक पुनर्गठन करने की शक्ति प्राप्त है।

(iv) **मानव संसाधन प्रबंधन** - नवरत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को गैर-निदेशक मण्डल स्तर तक के सभी पदों का सृजन व समापन करने तथा इस स्तर तक की सभी नियुक्तियाँ करने की शक्ति प्राप्त है। इन उद्यमों के निदेशक मण्डलों को आन्तरिक स्थानान्तरण करने तथा पदों का पुनः नामकरण करने की भी शक्ति सौंपी गई है। नवरत्न श्रेणी के उद्यमों के निदेशक मण्डलों को निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों के मामले में मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्तियाँ, स्थानान्तरण, तैनाती आदि) संबंधी शक्तियाँ उद्यम के निदेशक मण्डल के निर्णयानुसार निदेशक मण्डल की उप समितियों अथवा उद्यम के कार्यपालकों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति प्राप्त हैं।

(v) **संसाधन संग्रहण** - इन सरकारी उद्यमों को घरेलू पूँजी बाजार से ऋण प्राप्त करने तथा अन्तरराष्ट्रीय बाजार से ऋण लेने की शक्ति प्रदान की गई है बशर्ते कि प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से आर बी आई/आर्थिक कार्य विभाग, जैसा अपेक्षित हो, का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

(vi) **संयुक्त उद्यम तथा सहायक कम्पनियाँ** - केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को भारत और विदेशों में वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों की स्थापना करने की शक्ति इस शर्त पर प्रत्यायोजित की गई है कि उनमें इक्विटी निवेश निम्नलिखित सीमा के अंतर्गत होगा:

(i) किसी एक परियोजना में 1000 करोड़ रूपए,

(ii) किसी एक परियोजना में केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल परिसंपत्ति के 15% तक

(iii) सभी संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में पूंजीनिवेश केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल परिसंपत्ति के 30% तक हो।

(vii) **संविलयन तथा अधिग्रहण** - केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को संविलयन तथा अधिग्रहण से संबंधित शक्तियाँ इन शर्तो के अन्तर्गत प्रत्यायोजित की गई हैं कि (i) यह सरकारी उद्यम की विकास योजना और कंपनी के कार्यचालन के प्रमुख क्षेत्र में हों (ii) संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों की स्थापना से संबंधित शर्ते इस मामले में भी लागू होंगी और (iii) विदेशों में किए जाने वाले निवेश की सूचना आर्थिक कार्यसंबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति को दी जाएगी। साथ ही, संविलयन तथा अधिग्रहण से संबंधित शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि इससे संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के सरकारी स्वरूप में कोई परिवर्तन नही होना चाहिए।

(viii) **सहायक कंपनियों में विनिवेश का सृजन** - केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियाँ अंतरित करने, नई इक्विटी पूँजी का निवेश करने तथा शेयरधारिता का विनिवेश करने की शक्ति प्राप्त हैं बशर्ते कि ऐसा प्रत्यायोजन उन सहायक कंपनियों के मामले में किया जाए जो नवरत्न उद्यमों को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों के अधीन धारक कंपनी द्वारा स्थापित की गई हो और साथ ही संबंधित सरकारी उद्यम (सहायक कंपनी सहित) के सरकारी स्वरूप में सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन नही किया जाएगा और नवरत्न उद्यमों को अपनी सहायक कंपनियों से पृथक होने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(ix) **कार्यकारी निदेशकों के विदेशी दौरे** - केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को आपात स्थिति में प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचित करते हुए कार्यकारी निदेशकों के 5 दिन की अवधि वाले व्यापारिक विदेश दौरों (अध्ययन दौरे, संगोष्ठी इत्यादि को छोड़कर) अनुमोदन करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हैं।

2.2.3 उपरिवर्णित शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नलिखित शर्तो तथा मार्गनिर्देशों के अध्याधीन है:-

(क) प्रस्ताव अनिवार्य तौर पर लिखित रूप में तथा पर्याप्त समय से पहले निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं और साथ ही उसमें संबद्ध

कारकों के विश्लेषण तथा अनुमानित परिणामों व लाभों का समावेश किया जाए। यदि कोई जोखिमपूर्ण कारक हो तो उसका आवश्यक तौर पर स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

(ख) जब महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएँ, खासकर यदि वे पूँजीनिवेश, व्यय अथवा संगठनात्मक/पूँजीगत पुनर्गठन से संबंधित हों, तो सरकारी निदेशक, वित्तीय निदेशक तथा संबंधित कार्यकारी निदेशक अनिवार्य तौर पर उपस्थित हों।

(ग) ऐसे प्रस्ताव के मामले में निर्णय अधिमानत: सर्वसम्मति से लिए जाएँ

(घ) यदि किसी महत्वपूर्ण मामले में सर्वसम्मति से निर्णय नही लिया जा सके तो बहुमत से निर्णय किया जाए, परन्तु ऐसा निर्णय लेते समय उपरिलिखित निदेशकों सहित कम-से-कम दो-तिहाई निदेशक अवश्य उपस्थित हों। आपत्तियों, असहमति, उन्हे निरस्त करने और निर्णय लिए जाने के कारणों को लिखित रूप में रिकार्डबद्ध किया जाए और उन्हें कार्यवृत में शामिल किया जाए।

(ङ) सरकार द्वारा किसी प्रकार की बजटीय सहायता अथवा कोई सरकारी देनदारी अन्तर्ग्रस्त न हो।

(च) ये केन्द्रीय सरकारी उद्यम आंतरिक निगरानी की एक पारदर्शी प्रणाली तैयार करेंगे जिसमें निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति की स्थापना करना और उस समिति में गैर-सरकारी निदेशकों को सदस्यता प्रदान करना शामिल होगा।

(छ) पूंजीगत व्यय, पूंजीनिवेश अथवा पर्याप्त वित्तीय या प्रबंधकीय प्रतिबद्धताओं वाले अन्य मुद्दों से संबंधित अथवा केन्द्रीय सरकारी उद्यम की संरचना एवं कार्यचालन पर दीर्घावधिक प्रभाव डालने वाले सभी प्रस्ताव व्यावसायिकों या विशेषज्ञों द्वारा तथा उनकी सहायता से तैयार किए जाएँ तथा उपयुक्त मामलों में उनका मूल्यांकन वित्तीय संस्थानों अथवा संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले ख्यातिप्राप्त व्यावसायिक संगठनों द्वारा किया जाए। वित्तीय मूल्यांकन में मूल्यांकक संस्थानों को ऋण या इक्विटी सहभागिता के माध्यम से शामिल करने को वरीयता दी जानी चाहिए।

(ज) प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम स्थापित करने तथा रणनीतिक गठबंधन करने संबंधी प्राधिकार का प्रयोग सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(झ) प्रत्यायोजित किए गए अधिक प्राधिकार के प्रयोग के पूर्व प्रथम चरण के तौर पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के निदेशक मण्डलों में कम-से-कम चार गैर सरकारी निदेशकों को शामिल करके उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

(ञ) ये सरकारी उद्यम बजटीय सहायता अथवा सरकारी गारण्टी पर निर्भर नही रहेंगे। उनके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित संसाधन उनके आंतरिक स्त्रोतों अथवा पूँजी बाजार सहित अन्य स्त्रोतों से जुटाए जाने चाहिए। बहरहाल, जिन मामलों में यह गारण्टी उद्यम के प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए, ऐसी सरकारी गारण्टी से नवरत्न का दर्जा प्रभावित नही होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय, हित की प्रायोजित परियोजनाओं तथा सरकार द्वारा प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली बजटीय सहायता के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकारी उद्यम नवरत्न का अपना दर्जा बनाए रखने से वंचित नही होंगे। बहरहाल, ऐसी परियोजनाओं के लिए पूँजीनिवेश करने के बारे में निर्णय सरकार द्वारा किए जाएंगे न कि संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम द्वारा।

2.2.4 वर्ष 2007 के दौरान अंतरमंत्रालयी समिति ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 9 नवरत्न उद्यमों के निष्पादन की समीक्षा की।

2.3 मिनीरत्न योजना

2.3.1 अक्तूबर, 1997 में, सरकार ने यह निर्णय किया था कि लाभ अर्जित करने वाले अन्य कंपनियों को कतिपय पात्रता शर्तो के अध्याधीन अधिक स्वायत्तता दी जाए तथा अधिक वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाएँ ताकि उन्हें दक्ष व प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इन कंपनियों को मिनी रत्न कहा जाता है और इनकी दो श्रेणियाँ हैं श्रेणी-I तथा श्रेणी-II इससे संबंधित पात्रता की शर्ते इस प्रकार हैं:-

(i) **श्रेणी - I** के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को विगत तीन वर्षो में लगातार लाभ अर्जित करने वाला होना चाहिए और इन तीन वर्षो में कम-से-कम किसी एक वर्ष में

उनका कर पूर्व लाभ 30 करोड़ रूपए या इससे अधिक होना चाहिए और उनकी निवल परिसंपत्ति घनात्मक होनी चाहिए।

(ii) **श्रेणी-II** के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को विगत तीन वर्षो के दौरान निरंतर लाभ अर्जित करने वाला होना चाहिए तथा उनकी निवल परिसपत्ति घनात्मक होनी चाहिए।

(iii) **श्रेणी-II** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ये उद्यम शक्तियों के अधिक प्रत्यायोजन के पात्र होंगे बशर्ते कि उन्होंने सरकार को देय किसी ऋण/ऋण पर ब्याज के भुगतान में चूक नही की हो।

(iv) ये सरकारी उद्यम बजटीय सहायता अथवा सरकार की गारण्टी पर निर्भर नहीं करेंगे।

(v) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों द्वारा प्राधिकार के अधिक प्रत्यायोजन का प्रयोग कम-से-कम तीन गैर - सरकारी निदेशकों को शामिल करके निदेशक मण्डलों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

(vi) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को यह निर्णय करना पड़ेगा कि अधिक शक्तियों के प्रयोग के पूर्व केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम श्रेणी-I /श्रेणी-II की अपेक्षाएँ पूरी करता है या नहीं।

2.3.2 फिलहाल, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मिनी रत्न उद्यमों को निर्णय करने संबंधी निम्नलिखित प्राधिकार प्रायोजित किए गए है:

(i) **पूँजीगत व्यय**

(क) **श्रेणी-I के केन्द्रीय सरकारी उद्यम के लिए** :- नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपस्करों की खरीद आदि के संबंध में सरकार के अनुमोदन के बिना 500 करोड़ रूपए अथवा अपनी निवल परिसंपत्ति के तुल्य, इनमें जो कम हो, पूँजीगत व्यय करना।

(ख) **श्रेणी-II के केन्द्रीय सरकारी उद्यम के लिए** :- नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपस्करों की खरीद आदि के संबंध में सरकार के अनुमोदन के बिना 250 करोड़ रूपए अथवा अपनी निवल परिसंपत्ति के 50% के तुल्य, इनमें जो कम हो, पूँजीगत व्यय करना।

(ii) सयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियाँ:

(क) श्रेणी - I के केन्द्रीय सरकारी उद्यम भारत में इस शर्त पर संयुक्त उद्यमों तथा सहायक कम्पनियों की स्थापना करना कि किसी एक उद्यम में इक्विटी निवेश केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल परिसंपत्ति के 15% अथवा 500 करोड़ रूपए, इनमें जो कम हो, से अधिक नही हो। सभी परियोजनाओं में ऐसा पूँजीनिवेश कुल मिलाकर केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल परिसम्पत्ति के 30% से अधिक नही हो।

(ख) श्रेणी-II के केन्द्रीय सरकारी उद्यम: भारत में इस शर्त पर संयुक्त उद्यमों तथा सहायक कम्पनियों की स्थापना करना कि किसी एक उद्यम में इक्विटी निवेश केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल परिसंपत्ति के 15% अथवा 250 करोड़ रूपए, इनमें जो कम हो, से अधिक नही हो। सभी परियोजनाओं में ऐसा निवेश केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल परिसम्पत्ति के 30% से अधिक नही हो।

(iii) **संविलयन तथा अधिग्रहण** :- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के निदेशक मण्डलों को संविलयन तथा अधिग्रहण से संबंधित शक्तियाँ प्राप्त है बशर्ते कि (क) यह सरकारी उद्यम की विकास योजना तथा उसके कार्यचालन से संबंधित प्रमुख क्षेत्र में हो, (ख) इस संबंध में शर्ते वहीं लागू होंगी जो संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों की स्थापना के मामले में लागू होती है, और (ग) विदेशों में किए गए पूँजीनिवेश के बारे में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति को सूचित किया जाए। साथ ही, संविलयन तथा अधिग्रहण से संबंधित शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार किया जायेगा कि इससे संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के सरकारी स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

(iv) **मानव संसाधन विकास संबंधी योजना** :- कार्मिक एवं मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण, स्वैच्छिक अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति योजना इत्यादि से सम्बन्धित स्कीमें तैयार करने और क्रियान्वित करना। इन सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालाकों के संबंध में मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्तियां, स्थानांतरण, तैनाती इत्यादि) से सम्बन्धित शक्तियाँ निदेशक मण्डल की उप समितियों अथवा सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों को, सरकारी उद्यम के निदेशक मण्डल द्वारा जैसा भी निर्णय किया जाए, को प्रत्यायोजित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

(v) **कार्यकारी निदेशकों के विदेश दौरे:-** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के मुख्य कार्यपालक को आपात स्थिति में प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचित करते हुए कार्यकारी निदेशकों के 5 दिनों तक की अवधि वाले विदेश व्यापार दौरे (अध्ययन दौरे, संगोष्ठी से भिन्न) का अनुमोदन करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

(vi) **प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम और रणनीतिक गठबंधन :-** समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अध्याधीन प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम/रणनीतिक गठबंधन प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम/रणनीतिक गठबंधन निष्पत्र करना और खरीद अथवा अन्य व्यवस्था के द्वारा प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त करना।

(vii) **सहायक कंपनियों में विनिवेश का सृजन :-** सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियां, अंतरित करना, उनमें नई इक्विटी को निवेश करना तथा उनकी शेयरधारिता का विनिवेश करना, बशर्ते कि प्रत्यायोजन धारक कंपनी द्वारा मिनी रत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत स्थापित सहायक कंपनियों के मामले में किया गया हो और साथ ही सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम (सहायक कंपनी सहित) के सरकारी स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे मिनीरत्न उद्यमों द्वारा अपनी सहायक कंपनियों से अलग होने के पूर्व सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

2.3.3 उपरोक्त प्रत्यायोजन की शक्तियां नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में लागू समरूप शर्तों के अनुसार हैं।

2.3.4 अन्तर-मंत्रालय समिति (आई एम सी) ने वर्ष 2007 के दौरान 3 मिनरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (एच एम टी इन्टरनेशनल लि., एम एम टी सी लि. तथा पी ई सी लि.) के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की।

2.4 अन्य लाभार्जनकारी सरकारी उद्यम

2.4.1 जिन सरकारी उद्यमों ने 3 पूर्ववर्ती लेखा वर्षों में प्रत्येक वर्ष में लाभ दर्शाया हो और जिनकी निवल परिसंपत्ति घनात्मक हो, उन्हें अन्य लाभार्जनकारी सरकारी उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को निम्नलिखित बढ़ी हुई शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है:-

(i) **पूजीगत व्यय** - केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को सरकारी अनुमोदन के बिना 150 करोड़ रूपए अथवा निवल परिसंपत्ति के 50% के बराबर इनमें से जो भी कम हो, पूँजीगत व्यय करने का अधिकार प्राप्त है। उपर्युक्त प्रत्यायोजन निम्नलिखित के अध्याधीन है:-

(क) अनुमोदित पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजनाओं में विचाराधीन परियोजना का समावेश के लिए परिव्यय प्रदान करना,

(ख) अपेक्षित राशि की व्यवस्था कंपनी के आंतरिक संसाधनों तथा बजटेत्तर साधनों से की जा सके और सरकार द्वारा अनुमोदित पूँजीगत बजट में शामिल स्कीम पर ही धनराशि खर्च की जाए।

(ii) **कार्यकारी निदेशकों के विदेश दौरे :-** केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक को आपतस्थिति में प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचित करते हुए कार्यकारी निदेशकों के 5 दिन की अवधि वाले व्यवसाय संबंधी विदेश दौरों (अध्ययन दौरे, संगोष्ठि इत्यादि को छोड़कर) को अनुमोदन करने की शक्ति प्राप्त है। मुख्य कार्यपालक सहित सभी अन्य मामलों में विदेश दौरों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मंत्री का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना जारी रहेगा।

2.5 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों का व्यवसायीकरण

2.5.1 लोक उद्यम केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों की संरचना से संबंधित नीतियों का प्रतिपादन करता है। सरकारी क्षेत्र के संबंध में वर्ष 1991 से जिस नीति का अनुसरण किया जा रहा है उसके अनुपालन में लोक उद्यम विभाग ने सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों के व्यवसायीकरण के संबंध में अनेक उपाय किए हैं। वर्ष 1992 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों में अंशकालिक गैरसरकारी निदेशकों के रूप में बाहर के व्यावसायिकों को शामिल किया जाए और ऐसे निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की कुल वास्तविक संख्या की कम-से-कम एक तिहाई होनी चाहिए। कार्यपालक अध्यक्ष की अध्यक्षता वाले सूचीबद्ध उद्यमों के मामले में गैरसरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की संख्या निदेशक मंडल की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए। दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान किया गया है कि निदेशक मंडलों में सरकारी निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की वास्तविक संख्या के छठे भाग से अधिक, परंतु

अधिकतम दो, नही होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक निदेशक मंडल में कुछ कार्यकारी निदेशक होने चाहिएं जिनकी संख्या निदेशक मंडल की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2.5.2 केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों में गैरसरकारी निदेशकों के चयन और उनकी नियुक्ति की पात्रता के संबंध में निम्नलिखित मानदण्डों का अनुसरण किया जा रहा है:-

(क) आयु:- आयु 45-65 वर्ष (न्यूनतम/अधिकतम सीमा) होनी चाहिए। बहरहाल, ख्यातिप्राप्त व्यावसायिकों के मामले में 70 वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है परंतु इसके लिए कारणों का लिखित उल्लेख करना होगा।

(ख) शैक्षणिक योग्यता :- अंशकालिक गैरसरकारी निदेशक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होगी।

(ग) अनुभव :- उद्योग, व्यापार अथवा कृषि के क्षेत्र में प्रामाणिक योग्यता वाले ख्यातिप्राप्त व्यक्ति। नैगम क्षेत्र/सरकारी उद्यम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक, किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रोफेसर अथवा किसी संस्थान में निदेशक स्तर के पद पर ख्यातिप्राप्त चार्टर्ड एकांउटेंट/कोस्ट एकाउंटेंट/ विभागाध्यक्ष, सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के या उससे ऊपर के पद पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव।

2.5.3 गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रारंभ किए जाते है। जहां तक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न तथा मिनी रत्न उद्यमों का संबंध है, गैरसरकारी निदेशकों का चयन खोज समिति द्वारा किया जाता है जिसमें अध्यक्ष (पीईएसबी), सचिव (लोक उद्यम विभाग), केंद्रीय सरकारी उद्यम के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव, संबंधित केंद्रीय सरकारी उद्यम के मुख्य कार्यपालक तथा कुछ अन्य गैरसरकारी सदस्य शामिल होते हैं। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के शेष उद्यमों (नवरत्न एवं मिनी रत्न उद्यमों को छोड़कर) के मामले में गैरसरकारी निदेशकों की नियुक्ति संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की खोज समिति/पीईएसबी की अनुशंसाओं के आधार पर तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद की जाती है।

2.5.4 नवरत्न योजना में यह प्रावधान है कि इन कंपनियों के निदेशक मंडलो द्वारा बढ़ाई गई शक्तियों के प्रयोग के पूर्व निदेशक मंडल में कम से कम चार गैरसरकारी निदेशकों को शामिल करके निदेशक मंडलों का व्यावसायीकरण किया जाए। इसी प्रकार मिनी रत्न योजना के अंतर्गत मिनीरत्न उद्यमों के मामले में कम से कम तीन गैरसरकारी निदेशकों का समावेश प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग की पूर्व शर्त है।

2.5.5 वर्ष 2007 के दौरान (31.10.2007 तक) खोज समिति तथा लोक उद्यम चयन बोर्ड ने केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 40 उद्यमों के निदेशक मडलों में गैरसरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए करीब 106 व्यक्तियों के नामों की अनुशंसा की है।

2.5.6 कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा पीईएसबी की अनुशंसाओं के आधार पर तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद की जाती है। सरकारी निदेशकों की नियुक्ति पदेन नियुक्ति होती है और उनकी वरीयता संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में निहित होती है।

अध्याय 3

नैगम अभिशासन

3.1 नैगम अभिशासन - पृष्ठभूमि

3.1.1 संपूर्ण विश्व में तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य के कारण गत कुछ वर्षो के दौरान नैगम अभिशासन की अवधारणा ने काफी वाद-विवाद को जन्म दिया है। नैगम अभिशासन में नैगम निकायों द्वारा शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों तथा आपूर्तिकर्ताओं, विनियामक प्राधिकरणों तथा कुल मिलाकर समुदाय के संदर्भ में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाली नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सामान्य तौर पर इसका अर्थ हितधारकों, चाहे वे आंतरिक हो या बाह्य, के संदर्भ में नैगम आचरण की एक संहिता है। नैगम अभिशासन का निहितार्थ प्रबंधन प्रणाली की पारदर्शिता से है और इसमें कंपनी के कार्यचालन से संबंधित संपूर्ण यांत्रिकी शामिल है। इससे ऐसी प्रणाली उपलब्ध हो जाती है जिसके जरिए नैगम निकायों को निदेशित और नियंत्रित किया जाता है और साथ ही शेयरधारकों, निदेशकों, लेखापरीक्षकों तथा प्रबंधन के बीच रोध एवं संतुलन की एक प्रणाली तैयार करने की कोशिश की जाती है।

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए नैगम अभिशासन से संबंधित दिशानिर्देश असूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए लागू हैं और इन्हें वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 22 जून, 2007 को आयोजित नवरत्न प्रतिष्ठापन समारोह के दौरान जारी किया गया था। इस समारोह का आयोजन भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री की अध्यक्षता में किया गया था।

3.1.2 भारत में, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों सहित सभी सूचीबद्ध कंपनियां सेबी के दिशानिर्देशों के दायरे में आती हैं। भारत में नैगम अभिशासन मानकों में और सुधार करने के लिए सेबी ने वर्ष 2002 में गठित एन आर नारायण मूर्ति समिति की अनुंशसाओं के आधार पर नैगम अभिशासन संहिता में संशोधन किया है। सेबी के दिशानिर्देशों के खण्ड 49 में सूचीबद्ध कंपनी के लिए नैगम अभिशासन से संबंधित विविध प्रावधानों का अनुसरण करना अनिवार्य बना दिया गया है। आर्थिक सहयोग एवं विकास परिषद् (ओईसीडी), जो 30 लोकतांत्रिक सरकारों का एक मंच हैं, ने भी नैगम अभिशासन संबंधी मुद्दों पर ध्यान दिया और नैगम अभिशासन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव दिया। सितंबर, 2005 में ओईसीडी ने राजकीय स्वामित्व वाले उद्यमों में नैगम अभिशासन के संबंध में दिशा-निर्देश परिपत्रित किया। इन दिशा-निर्देशों में कई मुद्दे शामिल हैं, जैसे (i) राजकीय स्वामित्व वाले उद्यमों में एक प्रभावी विधिक तथा विनियामक ढांचा, (ii) स्वामी के रूप में सरकार, (iii) शेयरधारकों के साथ औचित्यपूर्ण व्यवहार, (iv) हितधारकों से संबंध, (v) पारदर्शिता एवं प्रकटन और (vi) राजकीय स्वामित्व वाले उद्यमों के निदेशक मंडलों के दायित्व।

3.1.3 वर्ष 1991 के बाद की अवधि में सरकारी क्षेत्र से संबंधित नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र की संख्या घटा दी गई थी। केंद्रीय सरकारी उद्यमों से आंतरिक संसाधन एवं ऋण की तलाश करने तथा लाभ अर्जित करने के वाणिज्यिक सिद्धांतों के अनुरूप परिचालन एवं दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा की गई थी।

3.1.4 दिनांक 24.07.1991 की औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसरण में लोक उद्यम विभाग द्वारा मार्च, 1992 में निदेशक मंडलों के गठन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि किसी सरकारी उद्यम के निदेशक मंडल में कम से कम एक तिहाई गैर-सरकारी निदेशक होने चाहिएं। सरकार द्वारा वर्ष 1997 में तैयार की गई नवरत्न तथा मिनी रत्न योजना में यह

प्रावधान किया गया था कि केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों को लेखा परीक्षा समितियों का गठन करना चाहिए। सेबी के दिशा निर्देशों के आधार पर लोक उद्यम विभाग द्वारा नवंबर, 2001 में कुछ और अनुदेश जारी किए गए थे जिसमें यह कहा गया था कि कार्यपालक अध्यक्ष की अध्यक्षता वाले सूबीबद्ध केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कम से कम निदेशकों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए।

3.1.5 केंद्रीय सरकारी उद्यमों के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति का उल्लेख राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में किया गया है। एनसीएमपी में अन्य बातों के साथ-साथ (i) प्रति स्पर्धी परिवेश में प्रचालन करने वाले सफल, लाभार्जनकारी कंपनियों को पूर्ण प्रबंधकीय तथा वाणिज्यिक स्वायत्तता देने और (ii) संसाधन जुटाने तथा खुदरा निवेशकों को निवेश के नए अवसर प्रदान करने के लिए सरकारी कंपनियों को पूंजी बाजार में प्रवेश करने की प्रतिबद्धता दर्शाई गई है।

3.2 नैगम अभिशासन संबंधी दिशा निर्देशों का प्रतिपादन

3.2.1 सरकार ने नवरत्न, मिनी रत्न तथा अन्य लाभार्जनकारी सरकारी उद्यमों को अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं और कुछ अन्य उद्यमों को भी नवरत्न का दर्जा दिया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप सरकारी उद्यमों के लोक उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए नैगम अभिशासन संबंधी दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन का अनुमोदन कर दिया है। ये दिशा निर्देश लोक उद्यम विभाग द्वारा संबद्ध नियमों, अनुदेशों तथा प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए है। इन मार्ग निर्देशों को तैयार करते समय प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय सरकारी उद्यमों, कंपनी कार्य मंत्रालय, वित्त (व्यय) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड ए जी), भारतीय प्रत्याभूति एवं विनियम बोर्ड, इंस्टीयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), इंस्टीयूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई), इस्टीटयूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क्स एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूएआई), नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस (एनएफसीजी), इंस्टीटयूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजिज आदि जैसे विभिन्न हित धारकों के मंतव्यों पर भी विचार किया गया था।

3.2.2 ये दिशा निर्देश सभी सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए लागू हैं और इसमें निदेशक मंडल के गठन, लेखा परीक्षा समिति, सहायक कंपनियों, प्रकटन, आचार एवं नीति संहिता, जोखिम प्रबंधन तथा अनुपालन आदि जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।

3.3 निदेशक मंडल का गठन

3.3.1 निदेशक मंडल के गठन के मामले में यह प्रावधान किया गया है कि कार्यकारी निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की वास्तविक संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा सरकार द्वारा नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम 2 होगी। कार्यपालक अध्यक्ष वाले सूचीबद्ध केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में गैर-सरकारी निदेशकों की कुल संख्या के कम से कम 50 प्रतिशत होगी। गैर कार्यपालक अध्यक्ष वाले सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में कम से कम एक तिहाई निदेशक गैर-सरकारी निदेशक होंगे। सरकार ने गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति पर विचार किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यताओं, आयु तथा अनुभव से संबंधित पूर्व परिभाषित मानदंडों का भी निर्धारण किया है। सेबी के खंड 49 की भांति इन मार्ग निदेशों में संबंधित खंडों का समावेश किया गया है ताकि गैर-सरकारी निदेशकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके तथा संभावित संघर्ष से बचा जा सके। यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकारी वित्तीय संस्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान द्वारा नामित निदेशकों को गैर-सरकारी निदेशक नही माना जाएगा।

3.3.2 यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि निदेशक मंडल की बैठकें प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार तथा साल में 4 बार आयोजित की जाए तथा सभी संबंधित जानकारी निदेशक मंडल को भेज दी जाए। इसके अतिरिक्त निदेशक मंडल को सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए आचार संहिता बनानी चाहिए। इस संबंध में केंद्रीय सरकारी उद्यमों को सहायता देने के लिए दिशा निर्देशों में एक मॉडल संहिता शामिल की गई है। दिशा निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि निदेशक मंडल को एकीकरण तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली का सरेखण सुनिश्चित करना चाहिए और कंपनी को निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

3.4 लेखा परीक्षा समिति

3.4.1 लेखा परीक्षा समिति से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि केंद्रीय सरकारी उद्यमों के द्वारा एक अर्हताप्राप्त तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षा समिति स्थापित की जाए और उसमें कम-से-कम 3 निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। लेखा परीक्षा समिति को कंपनी के वित्तीय मामलों में काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं और साल में इसकी कम-से-कम 4 बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

3.5 सहायक कंपनियां

3.5.1 सहायक कंपनियों के मामले में यह प्रावधान किया गया है कि धारक कंपनी का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाए और धारक कंपनी की लेखा परीक्षा समिति सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करे। सहायक कंपनियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण लेन-देन एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी धारक कंपनी के निदेशक मंडल को दी जाए।

3.6 प्रकटन

3.6.1 प्रकटन संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत सभी लेन देन को लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। दिशा निर्देशों में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय विहित लेखांकन मानकों का अनुपालन किया जाए और यदि कोई अंतर हो तो उनका स्पष्ट उल्लेख किया जाए। साथ ही, निदेशक मंडल को जोखिम निर्धारण तथा न्यूनतमीकरण प्रक्रियाओं के बारे में अवगत कराया जाए तथा वरिष्ठ प्रबंधन ऐसे सभी वित्तीय एवं वाणिज्यिक लेनदेन का प्रकटन निदेशक मंडल के समक्ष करे जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो अथवा जहां संघर्ष की कोई संभावना हो।

3.7 अनुपालन

3.7.1 दिशा निर्देशों में यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में नैगम अभिशासन संबंधी एक पृथक भाग हो और उसमें अनुपालन का विस्तृत ब्यौरा दिया जाए। केंद्रीय सरकारी उद्यमों को इन दिशा निर्देशों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों/कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष महोदय के भाषण में नैगम अभिशासन संबंधी दिशा निर्देशों के अनुपालन का भी उल्लेख किया जाए और यह कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग हो।

3.8 कार्यान्वयन तथा श्रेणीकरण

3.8.1 लोक उद्यम विभाग उक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन के आधार पर केंद्रीय सरकारी उद्यमों की श्रेणी का निर्धारण करेगा और इस श्रेणीकरण का उपयोग समझौता ज्ञापन पुरस्कारों के लिए किया जाएगा।

3.8.2 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों से यह अपेक्षित है कि वे एक वर्ष तक इन दिशा निर्देशों का अनुपालन करें और उसके बाद प्राप्त अनुभव के आलोक में इन दिशा-निर्देशों में उपयुक्त समावेश किया जाएगा। राज्य स्तर के सरकारी उद्यमों के महत्व को देखते हुए सभी राज्यों को भी इन दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन करने की सलाह दी गई है।

अध्याय 4

केंद्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली

4.1 समझौता ज्ञापन की अवधारणा

4.1.1 समझौता ज्ञापन प्रणाली सरकार तथा सरकारी उद्यम के प्रबंधन के बीच एक वार्ता सम्मत दस्तावेज है जिसमें दोनों पार्टियों के करार के उद्देश्यों तथा दायित्वों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है।

4.1.2 भारत में समझौता ज्ञापन प्रणाली की शुरूआत अर्जुन सेनगुप्ता समिति रिपोर्ट (1984) के परिणामस्वरूप सबसे पहले वर्ष 1986 में की गई थी। इस समिति ने सरकार तथा केंद्रीय सरकारी उद्यमों के बीच मध्यावधिक संविदा पर बल दिया और एक पांच वर्षीय करार की अनुशंसा की जिसकी समीक्षा प्रत्येक वर्ष की जानी थी। इसके अतिरिक्त चूंकि केंद्रीय सरकारी उद्यमों की स्थापना राष्ट्रीय/केंद्रीय योजना के एक भाग के रूप में की गई है, अत: समिति ने खासकर इस्पात, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, उर्वरक तथा पेट्रोरसायन जैसे प्रमुख क्षेत्रों के केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में समझौता ज्ञापन करने की अनुशंसा की।

4.2 निष्पादन संविदा तथा स्वायत्तता

4.2.1 इन उद्यमों की प्रौद्योगिकीय जटिलता, विभिन्न उत्पादन एककों के बीच समन्वयन तथा गत्यात्मक बाजार परिस्थितियों में प्रचालन की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकारी उद्यम अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यचालन में बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नही कर सकते। उदाहरण के लिए अनुमोदन में विलंब से प्रोद्योगिकी पुरानी पड़ जाती है और लागत में बढ़ोतरी हो जाती है। अत: समझौता ज्ञापन का उद्देश्य केंद्रीय सरकारी उद्यमों को सरकारी नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में अधिकाधिक स्वायत्तता देना है। तथापि, उद्यम के 'प्रबंधन' को निष्पादन के वादे अथवा "निष्पादन संविदा" के माध्यम से सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। बहरहाल, वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक पर्यवेक्षण/लक्ष्य निर्धारण तथा वर्ष के अंत में कार्योत्तर "निष्पादन मूल्यांकन" के माध्यम से सरकार इन उद्यमों पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है।

4.3 समझौता ज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत निष्पादन मूल्यांकन

4.3.1 वर्ष के अंत में निष्पादन मूल्यांकन में यह दर्शाया जाता है कि परस्पर सम्मत लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया था। बहरहाल, निष्पादन मूल्यांकन की क्रियाविधि में विगत वर्षो के दौरान कई परिवर्तन हुए हैं जिनका वर्णन नीचे किया जा रहा है।

4.4 सेनगुप्ता समिति द्वारा अनुशंसित समझौता ज्ञापन मूल्यांकन

4.4.1 अर्जुन सेनगुप्ता समिति ने सभी उद्यमों के मामले में उचित वित्तीय प्रतिफल का समर्थन किया जिसका मापन *परिसंपत्ति पर सकल मार्जिन* के वित्तीय अनुपात के संदर्भ में किया जाता था; "सेवाप्रदायी उद्यमों" के मामले में इस समिति ने बिक्री पर सकल मार्जिन के वित्तीय अनुपात की अनुशंसा की। "प्रमुख क्षेत्र" में "मूल्य नियंत्रण" (नियंत्रित मूल्य प्रणाली) के अंतर्गत प्रचालन करने वाले उद्यमों के मामले में समिति ने मानक वित्तीय प्रतिफल का समर्थन किया जिनका मापन निवल परिसंपत्ति पर निवल लाभ के वित्तीय अनुपात के लिए किया जाता था। इस समिति ने उत्पादकता में वृद्धि, तकनीकी गत्यात्मकता तथा परियोजना कार्यान्वयन जैसे गैर वित्तीय मानदंडों को भी महत्व दिया था। बहरहाल, विभिन्न मानदंडों को कोई भारांक नही दिया गया था।

4.5 संकेतन प्रणाली तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन

4.5.1 वर्ष 1986 से प्रचलित वर्तमान समझौता ज्ञापन प्रणाली को वर्ष 1989 में नवीकृत किया गया था तथा यह प्रणाली प्रोफेसर ली राय पी जोंस (निदेशक) पब्लिक इंटरप्राइजिज प्रोग्राम, बोस्टन यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित पाकिस्तानी एवं कोरियाई मॉडल की "संकेतन प्रणाली" के करीब आ गई। साथ ही समझौता ज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत "निष्पादन संविदा" को अर्जुन सेनगुप्ता समिति द्वारा अनुशंसित मध्यावधिक करार से असंबद्ध कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 1989-90 से नई समझौता ज्ञापन प्रणाली कार्यान्वित की गई और इसके अंतर्गत कार्य निष्पादन मूल्यांकन को सरकार तथा सरकारी उद्यमों द्वारा परस्पर सम्मत वार्षिक लक्ष्यों पर आधारित कर दिया गया। नई प्रणाली की एक अन्य अनूठी विशेषता किसी तीसरे पक्षकर, नामत: लोक उद्यम विभाग द्वारा गठित समझौता ज्ञापन कार्यदल, के समग्र पर्यवेक्षण में समझौता ज्ञापन का अंतिमकरण है। समझौता ज्ञापन कार्यदल तथा प्रशासनिक मंत्रालय दोनों से स्वतंत्र है।

4.5.2 नई प्रणाली के अन्तर्गत "उत्कृष्ट निष्पादन" को असतोषजनक निष्पादन से पृथक करने के लिए प्रत्येक मूल्यांकन प्राचल हेतु विविध लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जाता है। एक पाँच अंकीय पैमाने पर उत्कृष्ट के लिए (1), "अति उत्तम" के लिए (2) "उत्तम" के लिए (3) "संतोषजनक" के लिए (4) तथा "असंतोषजनक" के लिए (5) अंक निर्धारित किए जाते हैं। इन लक्ष्यों का निर्धारण तथा (ख) एक (लक्ष्य) निष्पादन स्तर से दूसरे निष्पादन स्तर के बीच अंतर के प्रतिशत अथवा प्रसार का निर्धारण करना। साथ ही, प्रत्येक प्राचल को भारांक प्रदान किया जाता है जिससे कि अधिक महत्वपूर्ण मूल्यांकन प्राचल तथा कम महत्वपूर्ण प्राचल (मूल्यांकन मानदण्ड) में विभेद किया जा सके। अंतिम निष्पादन मूल्यांकन अथवा "संयुक्त अंक" का परिकलन करने के लिए 5 अंकीय पैमाने पर अंतिमकृत लक्ष्यों (वर्ष के प्रारम्भ में) की तुलना में प्रत्येक मानदण्ड के संबंध में वास्तविक उपलब्धि (वर्ष के अंत में) के भारित अंक को जोड़ दिया जाता है।

4.5.3 इस प्रकार, 'संयुक्त अंक' उद्यम के निष्पादन का सूचकांक है। 'संयुक्त अंक' का श्रेणीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है:-

समझौता ज्ञापन संयुक्त अंक	श्रेणी
1.00-1.50	उत्कृष्ट
1.51-2.50	अति उत्तम
2.51-3.50	उत्तम
3.51-4.50	संतोषजनक
4.51-5.00	असंतोषजनक

4.6 समझौता ज्ञापन तथा निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में एन सी ए ई आर अध्ययन

4.6.1 लोक उद्यम विभाग ने निष्पादन मूल्यांकन के मानदण्डों तथा विभिन्न प्राचलों के भारांक के आबंटन के चयन पर नए सिरे से विचार करने के लिए वर्ष 2003 में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाईड इकोनॉमिक रिसर्च (एन सी ए ई आर) को एक अध्ययन करने का कार्य सौंपा। अंतिम तौर पर एन सी ए ई आर कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु प्राचलों के निम्नलिखित विभिन्न संघटकों का प्रस्ताव किया (दिसम्बर, 2004 में)

प्राचलों के प्रधान घटक

		भारांक
I.	वित्तीय (स्थैतिक) प्रचालन	50%
II	गैर-वित्तीय प्राचल	50%
	(i) गत्यात्मक प्राचल	30%
	(ii) उद्यम सापेक्ष प्राचल	10%
	(iii) क्षेत्र सापेक्ष प्राचल	10%

4.6.2 हालाँकि पूर्ववर्ती प्रणाली 'वित्तीय' प्राचलों को 60% तथा गैर-वित्तीय प्राचलों को 40% भारांक दिया जाता था परन्तु एन सी ए ई आर ने "वित्तीय" तथा "गैर-वित्तीय" दोनों प्राचलों को समान भारांक (50%) प्रदान करने की अनुशंसा की। इस मामले में यह निष्पादन मूल्यांकन संबंधी "संतुलित अंक कार्ड" उपागम के सदृश हैं। गैर-वित्तीय प्राचलों को पुन: "गत्यात्मक प्राचल" "उद्यम-सापेक्ष प्राचल" तथा "क्षेत्र-सापेक्ष" में उप-विभाजित किया गया है "स्थैतिक/वित्तीय" प्राचल सामान्य तौर पर लाभ, आकर तथा उत्पादकता से संबंधित है और "गत्यात्मक" प्राचलों का संबंध परियोजना कार्यान्वयन, अनुसंधान एवं विकास में निवेश तथा वैश्वीकरण की सीमा से संबंधित है। इसी प्रकार, प्रबंधन के नियंत्रण से बाहर के क्षेत्र-सापेक्ष प्राचल सूक्ष्म आर्थिक कारकों, यथा माँग व आपूर्ति में परिवर्तन, मूल्यों में उतार-चढ़ाव, ब्याज दर में परिवर्तन आदि से जुड़े हैं और "उद्यम-सापेक्ष" प्राचल सुरक्षा तथा प्रदूषण आदि से संबद्ध हैं।

4.6.3 इसके साथ ही, हालाँकि उपर्युक्त अनुशंसित प्रधान संघटक सभी उद्यमों के लिए एक समान थे, तथापि निष्पादन

मूल्यांकन हेतु प्रत्येक प्रधान संघटक के अन्तर्गत मानदण्ड के रूप में सुझाई गई मदें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों के लिए अलग-अलग थी जिन्हें (क) सामाजिक क्षेत्र, (ख) वित्तीय क्षेत्र, (ग) व्यापार एवं परामर्शी क्षेत्र तथा (घ) वित्तीय व्यापार/परामर्शी तथा सामाजिक क्षेत्र से इतर क्षेत्र, के रूप में वगीकृत किया गया था। उपर्युक्त के अतिरिक्त, नए उपागम में कार्यदल को गत्यात्मक, उद्यम-सापेक्ष तथा क्षेत्र-सापेक्ष के अन्तर्गत शामिल विभिन्न मानदण्डों के भारांक को विचाराधीन उद्यम के संबंध में अपनी धारणा के अनुसार परिवर्तन करने का विवेकाधिकार दिया गया था। बाद में, सरकार ने एन सी ई ए आर की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया तथा निष्पादन लक्ष्यों के निर्धारण से संबंधित नई क्रिया विधि वित्तीय वर्ष 2005-06 से लागू हो गई।

4.7 समझौता ज्ञापन प्रणाली : प्रक्रिया एवं सिद्धान्त

4.7.1 समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया लोक उद्यम विभाग द्वारा विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए जाने के साथ आरंभ होती है और इसके आधार पर केन्द्रीय सरकारी उद्यम समझौता ज्ञापन संबंधी अपने प्रारूप को संबद्ध बोर्डो तथा प्रशासनिक मंत्रालयों से अनुमोदित कराने के बाद प्रस्तुत करते हैं। समझौता ज्ञापन के प्रारूप में पाँच अंकीय पैमाने पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए (पांच) निष्पादन लक्ष्यों को दर्शाया जाता है। इसके बाद समझौता ज्ञापन वार्ता के संबंध में कार्यदल सिण्डिकेटों की बैठकों में इन प्रारूपों पर विचार-विमर्श किया जाता है, उनमें संशोधन किया जाता है तथा उन्हे अंतिम रूप दिया जाता है। लोक उद्यम विभाग इन बैठकों का आयोजन करता है जिनकी अध्यक्षता कार्यदल के संयोजक द्वारा की जाती है। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के विभिन्न समूहों के लिए कुल 10 सिण्डिकेट हैं। प्रत्येक सिण्डिकेट में एक संयोजक तथा छः सदस्य होते हैं। प्रत्येक सिण्डिकेट वार्ताओं का आयोजन करता है जिनमें केंद्रीय सरकारी उद्यम के मुख्य कार्यपालक, प्रशासनिक मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी तथा योजना आयोग, वित्त मंत्रालय एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मत्रालय जैसे नोडल सरकारी अभिकरणों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

4.8 समझौता ज्ञापन कार्यदल

4.8.1 समझौता ज्ञापन कार्यदल के सदस्य विभिन्न सिण्डिकेटों के अवैतनिक सदस्य के रूप में कार्य करते हैं तथा इनका चयन लोक उद्यम विभाग द्वारा किया जाता है और सदस्यों के रूप में पूर्व सिविल सेवकों, सरकारी उद्यमों के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, वित्तीय एवं तकनीकी व्यावसायिक, चार्टर्ड एकाउण्टेट्स तथा शिक्षाविदों को शामिल किया जाता है। कार्यदल के सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों का गहन अनुभव व ज्ञान प्राप्त होता है जिससे तकनीकी निविष्टि प्राप्त होती है तथा अधिक यथार्थपरक लक्ष्यों का निर्धारण संभव हो पाता है। लोक उद्यम विभाग समझौता ज्ञापन वार्ता बैठकों के कार्यवृत्त तैयार करके उन्हें केंद्रीय सरकारी उद्यमों (तथा संबंधित मंत्रालय/विभाग) को भेजता है ताकि समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया जा सके। इन समझौता ज्ञापनों को लोक उद्यम विभाग में अधिप्रमाणित किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकें कि वे बैठकों के दौरान लक्ष्यों के संबंध में किए गए निर्णयों के अनुरूप हैं। तत्पश्चात, सभी समझौता ज्ञापनों पर आगमी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक हस्ताक्षर करना अपेक्षित होता है जिससे उन्हें कार्यान्वित किया जा सके।

4.9 उच्चाधिकार प्राप्त समिति

4.9.1 उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच पी सी) सचिवों की एक समिति है जिसकी स्थापना सरकार द्वारा शीर्ष समिति के रूप में की गई है और इस समिति को समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा समझौता ज्ञापनों में की गई प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में उनके निष्पादन का मूल्यांकन करने और साथ ही यह निर्धारित करने का कार्य भी सौंपा गया है कि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग स्वयं द्वारा समझौता ज्ञापनों में की गई प्रतिबद्धताओं के अनुसार किस सीमा तक आवश्यक सहायता उपलब्ध करा पाने में सफल रहे हैं। मंत्रिमण्डल सचिव एच पी सी के अध्यक्ष होते हैं। लोक उद्यम विभाग के सचिव इस समिति के सदस्य-सचिव होते हैं। अन्य सदस्यों में मंत्रिमण्डल सचिव, वित्त सचिव, सचिव (व्यय), सचिव (योजना आयोग), सचिव (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन), अध्यक्ष (लोक उद्यम चयन बोर्ड), मुख्य आर्थिक सलाहकार (वित्त मंत्रालय) तथा अध्यक्ष (प्रशुल्क आयोग) शामिल हैं। समझौता ज्ञापन विषयक सचिवों की शीर्ष समिति समय-समय पर केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन-मूल्यांकन हेतु सिद्धान्तों व प्राचलों का निर्धारण करती रही है।

4.10 समझौता ज्ञापन प्रभाग

4.10.1 उच्चाधिकार प्राप्त समिति तथा कार्यदल को लोक उद्यम विभाग के समझौता ज्ञापन प्रभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह प्रभाग उच्चाधिकार प्राप्त समिति तथा कार्यदल दोनों के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इस प्रभाग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है:-

- प्रति वर्ष समझौता ज्ञापन कार्यदल का गठन करना तथा कार्यदल को प्रशासनिक व तकनीकी सहायता प्रदान करना।

- समझौता ज्ञापन विषयक दिशानिर्देश तैयार करना जिसके आधार पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले उद्यम अपने समझौता ज्ञापनों का प्रारूप तैयार करते हैं।
- कार्यदल के सदस्यों को समझौता ज्ञापन का प्रारूप और साथ ही समझौता ज्ञापन वार्ता बैठकों का सार परिचालित करना।
- उच्चाधिकार प्राप्त समिति के लिए कार्यसूची टिप्पणी तथा पृष्ठभूमि पत्र तैयार करना।
- समझौता ज्ञापन विषयक दिशानिर्देशों के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी उद्यमों को क्रियाविधि तथा अवधारणा के बारे में परामर्श देना।
- समझौता ज्ञापन प्रणाली तथा नीति के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनुसंधान व प्रशिक्षण का समन्वयन करना।

4.11 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों का निष्पादन

4.11.1 निम्नलिखित तालिका में विगत पाँच वर्षो के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी उद्यमों के समझौता ज्ञापन श्रेणीकरण के आधार पर उनके निष्पादन का सार दर्शाया गया है। वर्ष 2006-07 के समझौता ज्ञापन से संबंधित संयुक्त अंक (लेखा परीक्षित आँकडों के आधार पर) परिशिष्ट-II में दिए गए हैं। जो उद्यम अपना स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट नही भेज सके उनका ब्योरा परिशिष्ट-III में दिया गया है। वर्ष 2007-08 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी उद्यमों का ब्योरा परिशिष्ट-IV में दिया गया है।

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का समझौता ज्ञापन श्रेणीकरण

(संख्या में)

श्रेणी	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
उत्कृष्ट	46	54	45	44	45
अति उत्तम	21	21	31	36	31
उत्तम	12	10	12	14	12
संतोषजनक	16	11	10	08	06
असंतोषजनक	02	00	01	00	00
कुल	97	96	99	102	94

4.12 समझौता ज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत उत्कृष्टता पुरस्कार

4.12.1 समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत निष्पादन मूल्यांकन के बाद ''निष्पादन प्रोत्साहन'' प्रारम्भ होता है। निष्पादन प्रोत्साहन दो प्रकार के हैं- मौद्रिक प्रोत्साहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि निष्पादन से संबंधित भुगतान इसी पर आधारित होता है। गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार तथा समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता प्रमाण पत्र के रूप में होता है।

माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री, श्री संतोष मोहन देव नई दिल्ली में 18 दिसम्बर, 2007 को ''भारत में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का सशक्तिकरण'' पर किताब का विमोचन करते हुए

4.12.2 उत्कृष्टता पुरस्कार की पुरानी प्रणाली (वर्ष 2005-06 तक)

पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत उत्कृष्ट निष्पादन वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 10 शीर्ष उद्यमों को "समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र तथा ट्रॉफी" प्रदान किया गया है तथा उत्कृष्ट निष्पादन वाले अन्य उद्यमों को "गुणता" प्रमाण-पत्र दिया गया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 10 शीर्ष उद्यमों को उनके समझौता ज्ञापन संयुक्त अंक के आधार पर रैंकबद्ध किया जाता है, चाहे वे किसी क्षेत्र/सिण्डिकेट के अन्तर्गत आते हों। भारत सरकार ने पहली बार वर्ष 1987-88 तथा 1989-90 के लिए समझौता ज्ञान पुरस्कार प्रदान किया था तथा चुने गए कुछेक उद्यमों दिनांक 11 अगस्त, 1990 को तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसके बाद कई वर्षो तक पुरस्कार समारोह का आयोजन नहीं किया जा सका। समझौता ज्ञापन से संबंधित सचिवों की उच्चाधिकार समिति ने दिनांक 10 मार्च, 1995 को यह निर्णय लिया कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उत्कृष्ट निष्पादन वाले दस शीर्ष उद्यमों को विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाए तथा उत्कृष्ट निष्पादन वाले अन्य उद्यमों को गुणता प्रमाण-पत्र दिया जाए। कथित निर्णय के फलस्वरूप, वर्ष 1998-99 का समझौता ज्ञापन पुरस्कार 1 अप्रैल, 2000 को प्रधान मंत्री द्वारा प्रदान किया गया था। वर्ष 2001-02 का पुरस्कार 5 अप्रैल, 2003 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया था। वर्ष 2002-03 का पुरस्कार भारत

के प्रधान मंत्री द्वारा 4 सितम्बर, 2004 को प्रदान किया गया था। वर्ष 2003-04 से संबंधित समझौता ज्ञापन समारोह दिनांक 10 जनवरी, 2006 को आयोजित किया गया था और पुरस्कार भारत के उप राष्ट्रपति द्वारा दिए गए थे। वर्ष 2004-05 तथा वर्ष 2005-06 के पुरस्कार प्रधान मंत्री द्वारा 8 मार्च, 2007 को प्रदान किए गए थे।

उक्त अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण तथा मुख्य कार्यपालकों के सम्मेलन की कार्यवाही के संक्षिप्त रिकार्ड को संकलित करके उन्हें "इम्पावरिंग पब्लिक सेक्टर इण्टरप्राईजेज इन इंडिया" शीर्षक से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है। भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री ने दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 को उक्त पुस्तक का विमोचन किया।

4.12.3 समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार के सिद्धांत

एच पी सी दिनांक 10 मार्च, 1995 को आयोजित अपनी बैठक में समझौता ज्ञापन पुरस्कार हेतु केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 10 शीर्ष उद्यमों के चयन के लिए जो सिद्धांत निर्धारित किए उनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

(i) केन्द्रीय सरकारी उद्यम का लाभ गत वर्ष से अधिक होना चाहिए।

(ii) यह घाटा उठाने वाला उद्यम नहीं होना चाहिए।

(iii) केन्द्रीय सरकारी उद्यम संयुक्त अंक 1.50 से अधिक नहीं होना चाहिए।

4.12.4 उत्कृष्टता पुरस्कार की नई प्रणाली (वर्ष 2006-07) के बाद से)

समझौता ज्ञापन पुरस्कार से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा हेतु श्री एन.के. सिन्हा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय किया था। एच पी सी ने जुलाई, 2007 में एन.के. सिन्हा समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और यह निर्णय किया कि पुरस्कारों की कुल संख्या 12 होगी अर्थात 10 सिण्डिकेटों में प्रत्येक को 1, सुचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से 1 तथा घाटा उठाने वाले एवं रूग्ण उद्यमों के आमूलचूल परिवर्तन वाले मामले में 1 उत्कृष्ट निष्पादन वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अन्य सभी उद्यमों को गुणता प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

वर्ष 2005-06 तक, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 10 शीर्ष उद्यमों को उनके संयुक्त अंक तथा उनकी श्रेणी के आधार पर सभी क्षेत्रों के लिए समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाते थे। समझौता ज्ञापन से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच पी सी) ने वर्ष 2006-07 के बाद से समझौता उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करने की एक नई प्रणाली की शुरूआत की है। इस नई प्रणाली के अन्तर्गत समझौता ज्ञापन पुरस्कारों की संख्या 12 होगी (समझौता ज्ञापन संयुक्त अंक के आधार पर 10 सिण्डिकेटों में से प्रत्येक को 1 बाजार में बेहतर निष्पादन के लिए सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से 1 तथा घाटा उठाने वाले/रूग्ण उद्यमों के आमूलचूल परिवर्तन के मामले में से 1)

एच पी सी द्वारा दिनांक 10 मार्च, 1995 को अपनी बैठक में समझौता ज्ञापन पुरस्कार हेतु केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के चयन के संबंध में जिन तीन आधारभूत सिद्धान्तों का निर्धारण किया था वे लागू रहेंगे। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों तथा विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद लक्ष्यों में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्ष 2007-08 के बाद से उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाने हेतु नैगम अभिशासन के अनुपालन को भी एक मानदण्ड के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। वर्ष 2006-07 में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों को पुरस्कार प्रदान किए गए थे उनकी सिण्डिकेट-वार सूची परिशिष्ट-V में दी गई है।

अध्याय 5

मानव संसाधन विकास

5.1 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त मानवशक्ति का विशाल भण्डार है और मानव संसाधनों का सक्षम उपयोग किसी संगठन के लिए उपलब्ध महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज है। प्रबंध तकनीकों, प्रौद्योगिकियों, वित्तीय पद्धतियों, उत्पादन प्रबंध आदि में सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि के कारण बहुत परिवर्तन हुए हैं। मानवशक्ति की गुणवत्ता और क्षमताओं में सुधार करने के लिए तथा उनके ज्ञान एवं कौशल का उन्नयन करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विभिन्न उपाए किए गए हैं। आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के अलावा, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम अपने कार्यपालकों को भारत तथा विदेशों में प्रमुख प्रबंध/प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजते हैं।

5.2 कार्यपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.2.1 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक नोडल विभाग के रूप में लोक उद्यम विभाग देश में प्रमुख प्रबंध/प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से वरिष्ठ तथा मध्य स्तरीय कार्यपालकों के लिए कार्यपालक विकास कार्यक्रमों का आयोजन करके मानव संसाधन विकास के संबंध में लोक उद्यमों के प्रयासों में सहायता करता है।

5.2.2 कार्यपालक विकास कार्यक्रमों का आयोजन 2-5 दिन की अवधि के लिए किया जाता है। वर्ष 2006-07 के दौरान 24 कार्यपालक विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और वर्ष 2007-08 के दौरान 26 ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना है। ये कार्यक्रम भारतीय प्रबंध संस्थान, लोक उद्यम संस्थान, हैदराबाद, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, दिल्ली, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, दिल्ली, प्रशिक्षण तथा विकास संबंधी भारतीय सोसाइटी, भारतीय लागत तथा कार्य लेखाकार संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, प्रबंध विकास संस्थान, गुड़गांव, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली और सीएमसी लि., इण्डियन सोसायटी ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन बंगलौर आदि के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में शामिल किए गए विषयों में वित्तीय प्रबंध, नेतृत्व संबंधी चुनौती, प्रभावी विपणन प्रबंध, पूर्ण गुणवत्ता प्रबंध, सूचना प्रौद्योगिकी और ई-कामर्स, प्रबंध सूचना पद्धति, संचार कौशल, निगमित शासन, समझौता ज्ञापन के सिद्धांत और पद्धतियां, परियोजना प्रबंध, पूंजी बाजार संबंधी सुधार और जोखिम प्रबंध, बातचीत संबंधी रणनीति और कौशल, स्वास्थ्य और तनाव प्रबंध, औद्योगिक और श्रम संबंधी मूद्दे, अंतर्राष्ट्रीय कराधान/अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण आदि शामिल हैं।

5.2.3 भारत उद्योग के संवर्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, आईसीपीई, ल्यूबियाना, स्लोवेनिया जोकि एक अंतर सरकारी संगठन है, का संस्थापक सदस्य है। भारत ने वर्ष 2007-08 से आईसीपीई को अपना वार्षिक अंशदान दोगुना कर दिया है इस समय भारतीय नामित व्यक्ति आईसीपीई का महानिदेशक है।

5.2.4 आईसीपीई प्रतिवर्ष पूर्ण वार्षिक एमबीए कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इसके अलावा आईसीपीई कुल गुणवत्ता प्रबंध, सरकारी नीति व प्रबंध सतत विकास व अग्रणी प्रबंध कार्यक्रम जैसे विभिन्न मुद्दों पर अल्पावधिक कोर्स भी आयोजित करता है।

5.2.5 सचिव, लोक उद्यम विभाग, इण्डियन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट, कोलकाता व लोक उद्यम संस्थान, हैदराबाद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य हैं। सचिव, लोक उद्यम विभाग सरकारी उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) के कार्यकारी निदेशक मण्डल के भी सदस्य हैं।

5.3 कार्मिक नीति

5.3.1 लोक उद्यम विभाग द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित विभिन्न कार्मिक नीति संबंधी मामले भी देखे जाते हैं। वर्ष के दौरान की गई कुछेक महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों का निम्नलिखित पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है।

5.4 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों में सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि

5.4.1 सरकार ने मई, 1998 में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मण्डल स्तर तथा निदेशक मण्डल स्तर से निम्न स्तर कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ा कर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सभी वर्गों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु कम करने की शक्ति मंत्रिमण्डल के पास है।

चूंकि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कई रूग्ण उद्यमों ने लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का अनुरोध किया है, इसलिए सरकार ने इस मामले की समीक्षा की है तथा अब यह निर्णय लिया है कि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री को सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के प्रस्तावों का अनुमोदन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं बशर्ते कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के संबंधित उद्यम ने अपने लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे के अनुसार विगत तीन वर्षों से लगातार निवल लाभ अर्जित किया है तथा विगत 3 वर्षों के दौरान इसकी निवल परिसंपत्तियां घनात्मक हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम ने विगत 3 वर्षों के दौरान वेतन, मजूरी, सांविधिक देयताओं के भुगतान के लिए गैर-योजना व्यय, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/पृथककरण योजनाओं के लिए भुगतान तथा नकद घाटे को पूरा करने के लिए भुगतान के लिए कोई बजटगत सहायता प्राप्त न की हो तथा भविष्य में भी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम कोई बजटगत सहायता प्राप्त नहीं करेगा।

(ग) प्रस्तावों का अनुमोदन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के संबंधित उद्यम के निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है तथा इसे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त होती है।

5.5 आंतरिक अभ्यर्थी

5.5.1 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में शीर्ष पदों के चयन के लिए वर्तमान नीति के अनुसार जब तक यदि बाहर से कोई बेहतर अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो निदेशक मण्डल स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यम में कार्यरत व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। आंतरिक अभ्यर्थी की परिभाषा का केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विभिन्न निदेशक मण्डल स्तर के पदों के लिए अभ्यर्थियों के चयन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकार ने आंतरिक अभ्यर्थी की निम्नलिखित परिभाषा अनुमोदित की है :-

"आंतरिक अभ्यर्थी किसी उद्यम का वह कर्मचारी है जिसने रिक्ति उत्पन्न होने की तारीख तक उसमें कम-से-कम 2 वर्षों की लगातार सेवा की है तथा जो सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य उद्यम/सरकार में लियन पर नहीं है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम में किसी पद पर लियन धारित करने वाले कर्मचारी को भी आंतरिक अभ्यर्थी समझा जा सकता है बशर्ते कि उसने लियन धारित करने वाली तारीख तक उस उद्यम में कम-से-कम लगातार 2 वर्षों की सेवा की है तथा उस उद्यम से बाहर उसकी सेवा की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं हो।"

5.6 सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन पैकेज के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रूग्ण/घाटा उठाने वाले उद्यमों में मुख्य कार्यपालकों तथा कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति

5.6.1 राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह उल्लेख किया गया है कि सरकारी क्षेत्र की रूग्ण कंपनियों का आधुनिकीकरण व पुनर्गठन करने तथा रूग्ण उद्योग का पुनरूद्धार करने के लिए भरसक प्रयास किया जाएगा। सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन तथा साथ ही केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यमों के पुनर्गठन के लिए योजनाओं के वित्त पोषण के तरीकों और उपायों के साथ-साथ उनके लिए सशक्त व प्रभावशाली शीर्ष प्रबंध दल प्रदान करने से संबंधित मामलों पर विचार किया है। इस संदर्भ में यह महसूस किया गया है कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उद्यमों में आमूलचूल परिवर्तन करने में सक्षम निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालकों को आकर्षित करने तथा पुनर्गठन पैकेज को सफल बनाने के लिए उन्हें कार्य अवधि की निरंतरता प्रदान करने की आवश्यकता है। सरकार ने इस मामले पर विचार किया है तथा सक्षम

प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन रूग्ण/घाटा उठाने वाले उद्यमों के मामले में पुनर्गठन योजना अनुमोदित कर दी है उनको निम्नलिखित रियायतें प्रदान की जाएंगी :-

(i) यदि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यम में निदेशक मण्डल स्तर के किसी पदधारक ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उद्यम के आमूलचूल परिवर्तन में काफी अच्छा योगदान दिया है उसकी कार्यावधि को 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक बढ़ाया जा सकता है। चूंकि निदेशक मण्डल स्तर के पदों पर चयन की प्रक्रिया लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा पदधारक की अधिवर्षिता की तारीख से एक वर्ष पहले शुरू की जाती है इसलिए अधिवर्षिता की आयु के बाद की अवधि के विस्तार से संबंधित प्रस्तावों को पदधारक की अधिवर्षिता की तारीख से कम-से-कम 1 वर्ष पहले प्रस्तुत किया जाएगा। यदि सरकार द्वारा पुररूद्धार पैकेज के अनुमोदन के समय पदधारक की शेष कार्यावधि 1 वर्ष से कम है तो कार्यावधि बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव सरकार द्वारा पुनर्गठन पैकेज के अनुमोदन के तत्काल पश्चात प्रस्तुत किया जाएगा। सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु के बाद कार्यावधि के विस्तार से संबंधित निर्णय निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालकों की कार्यावधि के विस्तार के लिए वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार अर्थात् पीईएसबी द्वारा संयुक्त मूल्यांकन के बाद सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदन के आधार पर लिया जाए। इसके अलावा सेवा में ऐसा विस्तार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिव द्वारा पदधारक के निष्पादन की वार्षिक समीक्षा के अध्याधीन होगा।

(ii) यदि मुख्य कार्यपालक अथवा किसी कार्यकारी निदेशक की नए सिरे से नियुक्ति का प्रस्ताव है तथा रिक्तियां प्रचालित करने की पीईएसबी की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सक्षम प्राधिकारी के विचारार्थ कोई पैनल नहीं बनता तो आवेदन करने के लिए विभेदक सीमा को 62 वर्ष करने तथा कार्यावधि को कम-से-कम 3 वर्ष करने तक विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्यपालकों, सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कार्यपालकों पर विचार किया जा सकता है।

(iii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों तथा कार्यकारी निदेशकों को सामान्य वेतन, भत्तों तथा पद से संबंधित अन्य लाभों के अलावा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के लाभ में से अधिकतम 10 लाख रुपए के एकमुश्त प्रोत्साहन पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

(iv) उपरोक्त उप पैरा (i) व (ii) में उल्लिखित रियायतों को छोड़कर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों तथा कार्यकारी निदेशकों के चयन, नियुक्ति तथा उनकी कार्यावधि के विस्तार के लिए प्रक्रिया के संबंध में वर्तमान दिशानिर्देश तथा प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा।

5.7 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों में निदेशक मण्डल स्तर की नियुक्तियों के लिए एसीसी के अनुमोदन की आवश्यकता है उनके संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

5.7.1 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी सूचीबद्ध उद्यमों में अतिरिक्त प्रबंध प्रभार सौंपने के लिए शक्तियां कुछ शर्तों के अध्याधीन संबंधित मंत्रालयों को प्रत्यायोजित की गई हैं।

5.7.2 सरकार ने केन्द्रीय सर्तकता आयोग से विचार-विमर्श करके केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अतिरिक्त प्रबंध प्रभार में विस्तार के लिए नए सिरे से सर्तकता निकासी प्राप्त करने की आवश्यकता से संबंधित मुद्दों पर विचार किया है तथा निम्नलिखित दिशानिर्देश अनुमोदित किए गए हैं :-

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तर के पदों के अतिरिक्त प्रभार के लिए 3 महीनों तक की प्रारंभिक अवधि तथा सीवीओ से स्वीकृति पर्याप्त होगी :

(ख) 3 महीने के बाद अतिरिक्त प्रबंध प्रभार को जारी रखने के लिए सीवीसी की स्वीकृति अपेक्षित होगी:

(ग) यदि इस प्रबंध को एक वर्ष के बाद भी जारी रखना है तो नए सिरे से सीवीसी की स्वीकृति अपेक्षित होगी:

(घ) जिन मामलों में सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य उपक्रम के अधिकारी अथवा मंत्रालय के किसी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है तो

सीवीसी की स्वीकृति पर्याप्त नहीं होगी तथा सीवीसी की स्वीकृति आवश्यक होगी।

5.8 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत रोजगार

5.8.1 आरक्षण नीति के संबंध में सरकारी उद्यम सामान्य तौर पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का अनुसरण करते हैं। लोक उद्यम विभाग ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुदेशों को समाविष्ट करते हुए राष्ट्रपति का निर्देश औपचारिक रूप से सरकारी उद्यमों को जारी करने हेतु, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को फरवरी 1982 में जारी किया था। तब से, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने सरकार की आरक्षण नीति संबंधी अनेक अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं। लोक उद्यम विभाग ने इन अनुदेशों का समेकन किया है और अप्रैल, 1991 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को औपचारिक रूप से जारी करने के लिए एक संशोधित व्यापक निर्देश सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को जारी किया था। आरक्षण मामले पर बाद में जारी किए गए अनुदेश भी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर लागू किए गए थे।

5.8.2 अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के द्वारा भर्ती के मामलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के साथ-साथ आरक्षण के हकदार अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आरक्षण का वर्तमान कोटा इस प्रकार है:-

	कार्यपालक एवं पर्यवेक्षकीय स्तर	कामगार/ लिपिकीय स्तर	अर्ध-कुशल/ अकुशल श्रम स्तर
अनुसूचित जाति	15%	15%	15%
अनुसूचित जनजाति	7.5%	7.5%	7.5%
अन्य पिछड़ा वर्ग	27%	27%	27%
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति	3%	3%	3%
भूतपूर्व सैनिक एवं सैन्य कार्रवाई में मारे गए व्यक्तियों के आश्रित	–	14.5%	24.5%

5.8.3 आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को जिम्मेदार ठहराया गया है, तथापि लोक उद्यम विभाग सरकारी उद्यमों से वार्षिक रिपोर्ट मंगा कर तथा इन रिपोर्टों की जांच करने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई करके सरकारी उद्यमों द्वारा भर्ती में आरक्षण योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में प्रगति की निगरानी करता है।

5.8.4 सरकारी उद्यमों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर 1.1.2007 तक की स्थिति के अनुसार 210 सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व नीचे दर्शाया गया है:-

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व				
		अ.जा. सं.	प्रतिशत	अ.ज.जा. सं.	प्रतिशत	अन्य पिछड़े वर्ग
1.1.2007 तक की (210 उद्यमों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर) स्थिति के अनुसार कार्यपालक स्तर	1,91,299	25,058	13.09	8,835	4.61	13,098
पर्यवेक्षक स्तर	1,69,191	22,860	13.51	10,739	6.34	14,526
कामगार/ लिपिकीय स्तर	6,65,996	1,28,352	19.27	63,809	9.58	1,08,653
अर्धकुशल/ अकुशल श्रमिक (सफाई कर्मचारियों रहित)	2,31,640	50,142	21.64	37,012	15.97	49,960
योग	**1,25,8126**	**22,6412**	**17.99**	**1,20,395**	**9.56**	**1,86,237**
अर्धकुशल/ अकुशल श्रमिक (सफाई कर्मचारी)	14,553	11,509	79.08	439	3.01	476
योग	**12,72,679**	**2,37,921**	**18.69**	**1,20,834**	**9.49**	**1,86,713**

5.8.5 समय समय पर जारी विभिन्न अनुदेशों में आरक्षित पदों पर यथासमय भर्ती सुनिश्चित करने की आवश्कता पर बल दिया गया है। सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को यह सलाह दें कि वे वर्तमान अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती तथा साथ ही पदोन्नति के मामले में रिक्त आरक्षित पदों तथा बकाया रिक्तियों पर भर्ती के लिए प्रभावी उपाय करें। राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में उल्लिखित यू पी ए सरकार का एक एजेन्डा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में बकाया आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करना है। लोक उद्यम विभाग ने सीधी भर्ती के साथ साथ पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए बकाया रिक्तियों पर भर्ती के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के साथ इन मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई की है।

5.9 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (ओबीसी)

5.9.1 द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मण्डल आयोग) की अनुशंसाओं के आधार पर तथा इंदिरा साहनी मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भारत सरकार के सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के अनुदेश जारी किए गए थे।

5.9.2 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जो सेवाओं में आरक्षण के संबंध में नीति प्रतिपादित करता है, अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी करता रहा है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 8.9.1993 से लागू किया गया था। लोक उद्यम विभाग प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से इन अनुदेशों से सरकारी उद्यमों को अनुपालनार्थ अवगत कराता रहा है। लोक उद्यम विभाग ने राष्ट्रपति के निर्देशों का एक विस्तृत संकलन तैयार किया था, जिसमें सभी अनुदेशों का समावेश था और उस संकलन को दिनांक 27 जुलाई, 1995 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को जारी कर दिया गया, ताकि वे उसे संस्था अंतर्नियमों के संबंधित अनुच्छेद/संबंधित अधिनियम की धारा के अंतर्गत उसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उद्यमों को औपचारिक रूप से जारी कर सकें।

5.10 विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

5.10.1 इस विभाग ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% (1 प्रतिशत नेत्रहीनों के लिए, 1 प्रतिशत गूंगों एवं बहरों के लिए तथा 1 प्रतिशत अस्थि विकलांगता वालों के लिए) आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु भी अनुदेश जारी किए हैं। लोक उद्यम विभाग ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में राष्ट्रपति का एक निर्देश, जिसमें सभी महत्वपूर्ण अनुदेशों का समावेश था, अप्रैल, 1991 में सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को जारी किया था और उनसे उन निर्देशों को सरकारी उद्यमों को औपचारिक तौर पर जारी करने के लिए कहा था। विकलांगता (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधिनियमन के बाद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समूह 'क' एवं समूह 'ख' के कुछ अभिज्ञात पदों के संबंध में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण लागू कर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों को सलाह दी गई है कि वे अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करें और एक समय-सीमा निर्धारित करें, जिसके अंतर्गत बकाया रिक्तियों को भरा जा सके।

अध्याय 6

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए सहायक सेवाएं

6.1 क्रय अधिमानता नीति

6.1.1 क्रय अधिमानता नीति की समीक्षा की गई है और समय-समय पर इसमें विस्तार किया जाता है। सरकार के दिनांक 30.06.2005 के निर्णय के अनुसार में, जो नीति 31.3.2005 तक लागू थी, उसे 31.3.2008 से समाप्त कर देने की स्पष्ट शर्त के साथ तीन वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

6.1.2 इस नीति में सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में एल-1 मूल्य पर क्रय अधिमानता का प्रावधान है, यदि आपूर्तिकर्ता केन्द्रीय सरकारी उद्यम द्वारा दर्शाया गया मूल्य, अन्य बातों के समान होने पर न्यूनतम वैध बोली मूल्य के 10 प्रतिशत के भीतर हो। क्रय अधिमानता सहायता 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक, लेकिन 100 करोड़ रुपए से अनधिक की सिविल एवं टर्नकी संविदाओं सहित, की संविदाओं के लिए प्रदान की जाएगी। क्रय अधिमानता संबंधी प्रावधानों का 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक, लेकिन 100 करोड़ रुपए से अनधिक के लिए ''निविदा आमंत्रण सूचना'' (एनआईटी) में उल्लेख किया जाना चाहिए। यह नीति उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और उनकी सहायक कंपनियों पर लागू है, जिनमें केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की 51 प्रतिशत या उससे अधिक शेयरधारिता है, परन्तु वह केन्द्रीय सरकारी उद्यम और किसी निजी भागीदार के स्वामित्व वाला संयुक्त उद्यम नहीं है। क्रय अधिमानता नीति का लाभ उठाने के लिए सीपीएसई/सहायक कंपनियों (विनिर्माण और/अथवा सेवाओं के तौर पर) द्वारा न्यूनतम 20 प्रतिशत का वर्धित मूल्य पूर्वापेक्षित है।

6.1.3 सरकार ने दिनांक 21.11.2007 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से क्रय अधिमानता नीति की समीक्षा की है तथा अपना दिनांक 30.06.2005 का निर्णय दोहराने का निर्णय लिया है कि क्रय अधिमानता नीति को 31.3.2008 को समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा संसद के संबंद्ध अधिनियम अथवा अन्यथा के अंतर्गत विशेष क्षेत्रों के लिए तैयार की गई अधिमानता प्राप्त क्रय नीतियां इस निर्णय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग अपनी आवश्यकता अनुसार अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र रूप से अधिमानता नीतियां तैयार कर सकता है/उनकी समीक्षा कर सकता है।

6.2 स्थायी मध्यस्थता तंत्र

6.2.1 लोक उद्यम विभाग में स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए) का गठन किसी सरकारी उद्यम एवं केन्द्रीय सरकार के विभागों/मंत्रालयों के बीच तथा सरकारी उद्यमों के बीच पारस्परिक विवादों, कराधान संबंधी मामलों को छोड़कर, का समाधान करने के लिए किया गया है। वर्ष 1993-94 के पत्तन न्यासों के साथ उत्पन्न विवादों को भी स्थायी मध्यस्थता तंत्र के विचार-क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है। लोक उद्यम विभाग के दिनांक 12.2.1997 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा रेल मंत्रालय को पीएमए के क्षेत्राधिकार से हटा दिया गया था। इन विवादों को लोक उद्यम उद्यम विभाग को सौंपना अपेक्षित होता है, ताकि उसे स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को सौंपा जा सके। विवाद की मौजूदगी के संबंध में प्रथमदृष्टया संतुष्ट हो जाने के बाद सचिव, लोक उद्यम विभाग उसे स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को मध्यस्थता के लिए सौंप देते हैं। इन मामलों में मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (अब 1996) लागू नहीं होता है। मामले में प्रस्तुतिकरण/प्रतिवाद के लिए किसी पार्टी की ओर से बाहरी वकील को उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाती है।

6.2.2 पीएमए संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित करके 22.01. 2004 को जारी किया गया था। पीएमए में एक मध्यस्थ नियुक्त है और वर्ष 1989 में पीएमए की स्थापना होने से लेकर सचिव (लोक उद्यम) ने पीएमए के मध्यस्थों को 222 मामले सौंपे हैं, जिनमें से 117 मामलों के संबंध में निर्णय (अवार्ड) प्रकाशित किए जा चुके हैं। पीएमए की स्थापना स्वत: समर्थित आधार पर की गई है, इसलिए पीएमए मध्यस्थता, शुल्क वसूल करता है, जिसका परिकलन मध्यस्थ द्वारा दिशानिर्देशों में उल्लिखित फार्मूले के आधार लिखित पर नोटिस के माध्यम से मध्यस्थता करार के पक्षकारों को कार्रवाई करने की सूचना देने अथवा पक्षकारों के लिए बढ़ाई गई मान्य अवधि के 6 माह के भीतर अपना निर्णय दे देंगे।

अध्याय 7

मजदूरी नीति एवं जनशक्ति यौक्तिकीकरण

7.1 मजूरी एवं वेतन नीतियां

लोक उद्यम विभाग, अन्य बातों के साथ-साथ संघबद्ध कर्मचारियों के मजूरी समझौते/निदेशक मण्डल स्तर के तथा साथ ही निदेशक मण्डल से कम स्तर के पदों पर कार्यरत कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन से संबंधित नीति संबंधी मुद्दों के बारे में नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है। यह विभाग कार्यपालकों के वेतनमानों में संशोधन तथा मजूरी नीति से संबंधित मामलों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को स्पष्टीकरण तथा परामर्श प्रदान करता है। केन्द्रीय सरकारी उद्यम अधिकांशत औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमानों और कुछ मामलों में केन्द्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमानों की प्रणाली का अनुसरण करते हैं।

7.2 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) प्रणाली तथा संबंधित वेतनमान

वेतनमानों तथा वेतन प्रणाली के संबंध में सरकार की नीति यह है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सभी कर्मचारी आईडीए प्रणाली तथा संबंधित वेतनमान के अंतर्गत होने चाहिए तथा सरकारी उद्यम विभाग द्वारा जुलाई, 1981, जुलाई, 1984 में सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को यह अनुदेश जारी किए गए थे कि जब कभी भी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नए उद्यम का गठन अथवा उनकी स्थापना की जाए, उसमें प्रारंभ से ही आईडीए प्रणाली तथा संबंधित वेतनमानों को अपनाया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 247 उद्यम (बैंकों, बीमा कंपनियों तथा नवगठित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को छोड़कर) हैं। उन्होंने लगभग 16.14 लाख कामगारों, लिपिकीय कर्मचारियों तथा कार्यपालकों को नियुक्त किया हुआ है। इनमें से लगभग 96.4% कामगार और कार्यपालक आईडीए प्रणाली तथा संबंधित वेतनमानों में हैं।

7.3 आई.डी.ए. प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालकों/असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए वेतन संशोधन

आईडीए प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए पिछला वेतन संशोधन न्यायाधीश मोहन समिति की सिफारिशों पर 1.1.1997 से 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था।

7.4 1997 के वेतन संशोधन की मुख्य विशेषताएं

(i) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते (एच.आर.ए.) का भुगतान लोक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। पट्टे पर लिए गए आवास के संबंध में, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंण्डलों को अपने कार्यपालकों को उपयुक्त स्तर के पट्टे आवास प्रदान करने की लोचशीलता दी गई है। नगर प्रतिपूर्ति भत्ते (सी.सी.ए) का भुगतान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू दरों पर किया जाता है।

(ii) आई डी ए प्रणाली के वेतनमानों के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ता केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले के अनुसार जीवन लागत के 100% निष्प्रभावन पर आधारित है। तथापि, आई डी ए को तिमाही आधार पर जारी किया जाता है, जबकि सी डी ए को छमाही आधार पर जारी किया जाता है।

(iii) परिलाभ तथा भत्ते मूल वेतन के 50% तक सीमित है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति करने तथा बेहतर निष्पादन के लिए पुरस्कार प्रदान करने

के लिए सशक्त प्रेरणा देने के लिए परिलाभों तथा भत्तों, मकान किराया भत्ता, नगर प्रति-पूर्ति भत्ता, प्रैक्टिस निषेध/शिक्षण निषेध अवस्थिति भत्ता/कठिन क्षेत्र में नियुक्ति भत्ते जैसे व्यावसायिक भत्ते तथा सेवानिवृत्ति लाभ, मूल वेतन के 50% की सीमा के कार्यक्षेत्र से बाहर है। उत्पादकता से संबंधित प्रोत्साहनों सहित सभी अन्य भत्ते (पी एल आई केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के पूरे वितरण योग्य लाभ के 5% तक सीमित) 50% सीमा के भीतर होंगे। यदि यह सीमा कर्मचारियों के कार्य के पुरस्कार के लिए पर्याप्त नहीं समझी जाती, तो केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम मूल वेतन के 50% से अधिक परन्तु उत्पादकता से सम्बद्ध प्रोत्साहन के रूप में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के पूरे वितरण योग्य लाभ के 5% की सीमा के भीतर भुगतान कर सकते हैं। निदेशक मण्डल उपरोक्त प्रावधानों के अध्याधीन उत्पादकता से सम्बद्ध प्रोत्साहन पर निर्णय ले सकते हैं।

(iv) वेतन संशोधन की अवधि 1.1.1997 से 10 वर्ष के लिए है।

7.5 1.1.1997 से आई डी ए वेतनमान प्रणाली में वेतन संशोधन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया

(i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जो उद्यम लगातार लाभ अर्जित करते रहे हैं, उन्हें लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार आई.डी.ए. प्रणाली में संशोधित वेतनमान अपनाने की अनुमति दी गई है।

(ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों ने वेतन संशोधन से पहले 3 वित्तीय वर्षों में से किसी एक वर्ष में घाटा उठाया, उन्हें भी सरकार अर्थात लोक उद्यम विभाग के विचार-विमर्श से प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन के साथ वेतनमान संशोधित करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि वे ये आंकलन प्रस्तुत करें कि अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए वे किस प्रकार संसाधन जुटाएंगे।

(iii) बी आई एफ आर को सौंपे गए रूग्ण उद्यमों के मामले में आई डी ए प्रणाली अपनाने वाले सभी कर्मचारियों के वेतनमानों का संशोधन निश्चित रूप से बी आई एफ आर द्वारा अनुमोदित अथवा अनुमोदित किए जाने वाले पुनर्स्थापन पैकेज के अनुसार तथा इस पैकेज में वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय के लिए प्रावधान करने के पश्चात होगा।

(iv) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के निर्माणाधीन उद्यम अथवा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लिए नए उद्यम संशोधित वेतनमान अपनाने से सम्बन्धित अपने प्रस्ताव लोक उद्यम विभाग के विचार-विमर्श से अनुमोदन के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे।

7.6 द्वितीय वेतन संशोधन समिति

7.6.1 1.1.2007 से वेतनमानों की औद्योगिक महंगाई भत्ता प्रणाली अपनाने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित निदेशक मण्डल स्तर तथा निदेशक मण्डल स्तर से कम स्तर के कार्यपालकों के वेतनमानों के संशोधन के लिए द्वितीय वेतन संशोधन समिति भारत सरकार की दिनांक 30.11.2006 की अधिसूचना के माध्यम से गठित की गई थी। द्वितीय वेतन संशोधन समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम.जे. राव, सेवानिवृत्ति न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, डॉ. नीतिश सेन गुप्ता (अर्थशास्त्री व भूतपूर्व सचिव, कोयला योजना आयोग, भारत सरकार), श्री पी.सी. पारख (भूतपूर्व सचिव, कोयलार विभाग, भारत सरकार), श्री आर.एस.एस.एल. एन. भास्करूड्डू (भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक, मारूती उद्योग लि. व भूतपूर्व अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन बोर्ड) सदस्य हैं। सचिव तथा संयुक्त सचिव, लोक उद्यम विभाग क्रमशः समिति के पदेन सदस्य तथा सचिव हैं। समिति 18 महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

7.6.2 समिति निदेशक मण्डल स्तर, निदेशक मण्डल स्तर से निम्न अधिकारियों तथा गैर संघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए व्यापक वेतन पैकेज तैयार करेगी जोकि संरचना, संगठन, प्रणाली तथा प्रक्रिया के माध्यम से क्षमता संवर्धन, उत्पादकता तथा किफायत के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अंतर्गत कार्यचालन व प्रचालनात्मक स्वायत्तता में संवर्धन करने से जुड़ा है ताकि अर्थव्यवस्था, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, अनुशासन, जवाह देही, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा अनुसंधान व विकास में संतुलन बनाया जा सके। 31 दिसम्बर तक दिल्ली, कलकत्ता, रांची, हैदराबाद, भुवनेश्वर, मुम्बई, बैंगलोर, गुवाहाटी, चैन्नई, कोच्चि तथा गोवा में द्वितीय वेतन संशोधन समिति की 19 बैठकें हुई हैं।

7.7 आई डी ए प्रणाली के अंतर्गत कामगारों के लिए मजूरी संशोधन

7.7.1 आई डी ए प्रणाली के वेतनमान अपनाने वाले कामगारों के लिए सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्धनों को कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन वेतन संशोधन

पर बातचीत करने की पूरी स्वायत्तता प्रदान कर दी है। प्रबन्धन तथा कर्मचारियों के मध्य होने वाली नवीनतम मंजूरी वार्ता 1.1.1997 से 10 वर्ष की अवधि के लिए और 1.1.2002 तक 5 वर्ष के लिए प्रभावी होनी थी।

इस सम्बन्ध में 14.1.1999 और 26.07.2000 और 11.02.2004 को सरकारी आदेश जारी किए गए थे।

7.7.2 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति वेतनमान के अंतर्गत आने वाले संघबद्ध कर्मचारियों के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उन्हें निम्नलिखित में से एक विकल्प चुनने की अनुमति प्रदान की जाए:-

(i) जैसा कि 14.1.1999 को जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, मंहगाई भत्ते के 100 प्रतिशत निष्प्रभावीकरण के साथ वेतन संशोधन की अवधि 10 वर्ष

अथवा

(ii) जैसा कि पहले अर्थात् 1.1.1992 से 31.12.1996 तक विद्यमान था, श्रेणीबद्ध निष्प्रभावीकरण के आधार पर 5 वर्ष की अवधि।

7.7.3 जिन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने कामगारों के लिए 5 वर्षीय मजूरी वार्ता का विकल्प चुना था, उन्हें 1.1.2002 से 5 वर्ष की अवधि के लिए एक और मजूरी वार्ता की अनुमति दी गई है। कुछ केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम वार्ता-समस्त मजूरी समझौता पहले ही क्रियान्वित कर चुके हैं।

7.8 मजूरी वार्ता के सातवें दौर से संबंधित नीति

7.8.1 लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 9.11.2006 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संघबद्ध कर्मचारियों के लिए मजूरी वार्ता के सातवें दौर 1.1.2007 (सामान्य आधार पर प्रभावी) के लिए नीति से संबंधित दिशानिर्देश मुख्यत: केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मजूरी वार्ता के छठे दौर से संबंधित वर्तमान नीति के समान है।

7.9 वेतन संशोधन के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय

7.9.1 उच्चतम न्यायालय ने ए.के. बिन्दल व अन्य बनाम् केन्द्र सरकार की हस्तातंरण याचिका 2000 की संख्या 8 में बी आई एफ आर को सौंपे गए सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उद्यमों के वेतन संशोधन के मामले में 25.04.2003 को महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया है। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि सरकारी कम्पनियों के कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं हैं, इसलिए उन्हें यह दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि सरकार उनके वेतन का भुगतान करे। इसमें यह टिप्पणी भी है कि कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन के मामले में नियोक्ता कम्पनी की आर्थिक व्यावहार्यता अथवा वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की है कि बी आई एफ आर में पंजीकृत सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उद्यमों की इस शर्त के निर्धारण में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 19.07.1995 के कार्यालय ज्ञापन में कोई वैधानिक अथवा असंवैधानिक विसंगति नहीं है कि वेतन संशोधन व अन्य लाभ प्रदान करने की अनुमति केवल तभी दी जाए यदि एकक के पुनरूद्धार करने का निर्णय लिया जाता है तथा पुनरूद्धार पैकेज में इसके कारणवश अधिक देयताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।

7.10 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सीडीए प्रणाली के अंतर्गत कर्मचारियों का वेतन संशोधन

सीडीए प्रणाली के वेतनमान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 69 उद्यमों के कुछेक लिपिकीय कर्मचारियों, असंघबद्ध संवर्ग के कर्मचारियों तथा कार्यपालकों के मामले में लागू हैं, जो 1.1.1986 को तथा 31.12.1988 तक उद्यमों की नामावली में शामिल थे और उस समय सीडीए प्रणाली के वेतनमान प्राप्त कर रहे थे। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.3.1986 के निर्देश के अनुपालन में सरकार ने उच्चाधिकार वेतन समिति की नियुक्ति की थी तथा इसने 24.11.1988 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में इसकी सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 3.5.1990 के निदेशों के साथ पठित 28.08.1991 के अनुवर्ती निदेशों के अनुपालन में सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में 1.1.1989 से आईडीए प्रणाली तथा संबंधित वेतनमान प्रारम्भ किए गए हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 69 उद्यमों (एनएचपीसी में शामिल) में से 61 उद्यम ऐसे हैं जो आईडीए और सीडीए दोनों प्रकार के वेतनमान अपना रहे हैं। उच्चाधिकार वेतन समिति की सिफारिशों तथा उन पर उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में वेतनमान की सीडीए प्रणाली अपनेा वाले कर्मचारी केवल तभी वेतन संशोधन प्राप्त करेंगे जब केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसे परिवर्तन लागू किए जाएंगे। तदनुसार, सीडीए प्रणाली अपनाने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों

को भी 1.1.1996 से हुए 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ प्राप्त किया गया है। इसके अलावा सीडीए प्रणाली अपनाने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को भी 1.4.2004 से मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते का विलय करने का लाभ की अनुमति दी गई है। इस लाभ की अनुमति घाटा न उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को प्रदान की गई है, जो सरकार से किसी बजटगत सहायता के बिना अपने संसाधनों में से मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ते के विलय के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने की स्थिति में है।

7.11 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)

7.11.1 वर्तमान नियंत्रणमुक्त एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों सहित उद्योग जगत के वर्तमान पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सुधार एवं पुनर्गठन के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में श्रमिकों की संख्या को उपयुक्त सीमा में लाना ऐसे ही उपायों में से एक है। इस प्रक्रिया में पहली बार अक्तूबर, 1988 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की घोषणा की गई थी, इसे संशोधित किया गया था तथा लोक उद्यम विभाग के दिनांक 5 मई, 2000 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा एक विस्तृत पैकेज अधिसूचित किया गया था, ताकि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और साथ ही पुनर्गठन के विविध तरीकों से प्रभावित होने वाले कामगारों के हितो की रक्षा भी की जा सके।

7.11.2 सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों में 1992 अथवा 1997 से, जैसा स्थित हो, जहां पर मजूरी समझौता प्रभावी नहीं हो सकता, उन उद्यमों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को 6 नवम्बर, 2001 को अनुवर्ती अधिसूचना जारी कर उदार बनाया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया था कि जिन उद्यमों में वर्ष 1992 का मजूरी संशोधन लागू नहीं किया जा सका, उनके कर्मचारियों को 100% अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी जाए और इसी प्रकार जिन उद्यमों में वर्ष 1997 का मजूरी संशोधन लागू नहीं किया जा सका, उनके कर्मचारियों को 50% अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी जाए। वर्ष 1986 के वेतनमानों में सीडीए प्रणाली अपनाने वाले कर्मचारियों को वीआरएस के अंतर्गत अनुग्रह राशि में 26.10.2004 से 50% की वृद्धि की गई है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति क्षतिपूर्ति में इन वृद्धियों की गणना कर्मचारियों के वर्तमान वेतन के आधार पर की जानी है।

7.11.3 प्रारंभ में अक्टूबर, 1988 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की शुरूआत से लेकर मार्च, 2004 तक लगभग 5.37 लाख कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवामुक्त किया जा चुका है।

7.12 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जो स्वयं व्यय वहन कर सकते हैं

7.12.1 वित्तीय रूप से सक्षम सरकारी क्षेत्र के उद्यम, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का व्यय स्वयं वहन कर सकते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अपनी योजना स्वयं बना सकते हैं और इसे विकल्प देने वाले कर्मचारियों के लिए काफी आकर्षक बना सकते हैं। वे सेवा के प्रत्येक पूरे हुए वर्ष के लिए 60 दिन के वेतन (केवल मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) के तुल्य क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। बहरहाल, ऐसी क्षतिपूर्ति सेवा की शेष अवधि के वेतन से अधिक नहीं होगी।

7.13 मामूली लाभ कमाने वाले अथव घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

7.13.1 मामूली रूप से लाभ अर्जित करने वाली अथवा घाटा उठाने वाली रूग्ण एवं अव्यावहारिक कंपनियों को यह अनुमति प्रदान की गई है कि वे:

(i) गुजरात मॉडल जिसके अंतर्गत कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिन का वेतन तथा सेवानिवृत्ति होने तक सेवा की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिनों के वेतन की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रतिपूर्ति अधिवर्षिता के लिए शेष बची अवधि के लिए कुल वेतन से अधिक नहीं होगी; अथवा

(ii) भारी उद्योग विभाग का वी.आर.एस. पैकेज (डीएचआई मॉडल) जिसके अनुसार पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 45 दिनों के परिलाभों (वेतन + मंहगाई भत्ता) अथवा सेवा की शेष अवधि के कुल परिलाभ, इनमें से जो भी कम हो, अनुग्रह राशि प्राप्त कर सकते हैं। जो कर्मचारी कम से कम 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, वे क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 60 (साठ) महीने का वेतन/मजूरी प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे और बशर्ते यह शेष बची हुई सेवा अवधि के लिए वेतन/मजूरी की राशि से अधिक न हो।

अध्याय 8

सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण

8.1 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को चार अनुसूचियों में बांटा गया है; यथा सामान्यतया, 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' । केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों तथा पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों के वेतनमान संबंधित उद्यम की अनुसूची से जुड़े हुए हैं। सामान्य तौर पर उद्यम के मुख्य कार्यपालक को कंपनी की अनुसूची से संबद्ध वेतनमान दिया जाता है, जबकि कार्यकारी निदेशकों को नीचे की अगली निम्नतर अनुसूची का वेतनमान दिया जाता है। कभी-कभी मुख्य कार्यपालकों अथवा कार्यकारी निदेशकों के पद का उन्नयन वैयक्तिक आधार पर किया जाता है, ताकि वास्तव में सक्षम कार्यपालकों को उन उद्यमों में रोका जा सके, जिनमें उन्होंने सराहनीय सेवाएं दी हैं। ऐसी व्यवस्था से प्रतिभा को रूग्ण अथवा उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्यमों की ओर आकृष्ट करने में सहायता मिलेगी।

8.2 प्रारम्भ में, साठ के दशक के मध्य में सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण अर्थव्यवस्था में उनके महत्व तथा उनकी समस्याओं की जटिलता के आधार पर किया गया था। गत वर्षों में लोक उद्यम विभाग ने सरकारी उद्यमों के वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण के उद्देश्य से विविध मानदण्डों का विकास किया है। यह वर्गीकरण निवेश, नियोजित पूंजी, निवल बिक्री, कर्मचारियों की संख्या जैसे मात्रात्मक मानदण्डों तथा राष्ट्रीय महत्व, समस्या की जटिलता, प्रौद्योगिकी स्तर, क्रियाकलापों के विस्तार एवं विविधीकरण की संभावना तथा अन्य क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा आदि जैसे मात्रात्मक मानदण्डों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रणनीतिक महत्व से संबंधित मानदण्डों को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान प्रक्रिया में अनुसूची संबंधी प्रस्ताव पर संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय में तथा लोक उद्यम विभाग में विचार किया जाता है तथा लोक उद्यम विभाग इस मामले में लोक उद्यम चयन मण्डल: अनुसूची 'क' में 57, अनुसूची 'ख' में 75, अनुसूची 'ग' में 50 तथा अनुसूची 'घ' में 6 उद्यम तथा सरकारी क्षेत्र के 60 उद्यम अवर्गीकृत हैं। वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एक उद्यम को अनुसूची 'क' से उन्नयन करके अनुसूची 'ख' में तथा 2 उद्यमों को अनुसूची 'ग' से उन्नयन करके अनुसूची ''ख'' में लाया गया है तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को उपयुक्त अनुसूची में (अनुसूची 'क' में 1 व अनुसूची 'ख' में 2) वर्गीकृत किया गया है। सरकारी उद्यमों की अनुसूचीवार सूची परिशिष्ट-6 में दी गई है। इसके अलावा 2 मुख्य कार्यपालकों को व्यक्तिगत आधार पर उच्चतर अनुसूची प्रदान की गई है तथा कार्यकारी निदेशक का एक पद सृजित किया गया है।

अध्याय 9

सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)

9.1 सरकारी उद्यमों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, पुनरूद्धार और पुनर्गठन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन कर दिया था, जिसमें एक अध्यक्ष, तीन अंशकालिक गैर-सरकारी सदस्या तथा तीन सरकारी सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन मण्डल, अध्यक्ष, स्कोप और अध्यक्ष, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि. बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव उनके मंत्रालय/विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यम से संबंधित बैठकों में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। बीआरपीएसई में भारत सरकार के अपर सचिव पद का एक अलग से पूर्णकालिक सचिव भी है।

9.2 सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:-

(क) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सुदृढ़ बनाने के लिए अर्थोपाय पर सामान्य रूप से सरकार को परामर्श देना और उनको अधिक स्वायत तथा व्यावसायिक बनाना;

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन पर - वित्तीय, संगठनात्मक और व्यवसाय (विविधीकरण, संयुक्त उद्यम, संविलयन और अधिग्रहण सहित) तथा ऐसी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए तौर-तरीकों का सुझाव देना;

(ग) रूग्ण/घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पुनरूद्धार/पुनर्गठन के लिए उनके आमूलचूल परिवर्तन हेतु प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रस्तावों की जांच करना;

(घ) लम्बे समय से रूग्ण/घाटा उठाने वाली कंपनियां, जिनका पुनरूद्धार नहीं किया जा सकता, उनके संबंध में विनिवेश/बन्द करने/पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बिक्री करने के लिए सरकार को परामर्श देना। ऐसी अव्यावहारिक कंपनियों के संबंध में बोर्ड कंपनी को बन्द करने की अन्य लागतों और कामगारों की वैध देयताओं और प्रतिपूर्ति की अदायगी के लिए उद्यमों की अधिशेष परिसंपत्तियों की बिक्री सहित स्त्रोतों के संबंध में सरकार को परामर्श भी देगा;

(ङ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में शुरूआती रूग्णता को मॉनीटर करना; और

(च) ऐसे अन्य मामलों पर सरकार को परामर्श देना, जोकि सरकार द्वारा समय-समय पर इसे सौंपे जाएं।

9.3 सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की पहली बैठक 16.12.2004 को आयोजित की गई थी। जनवरी, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक 10 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और बोर्ड ने (विगत वर्ष के दौरान सौंपे गए 3 मामलों सहित) सरकारी क्षेत्र के 11 उद्यमों के प्रस्तावों पर विचार किया है। बोर्ड ने सरकार से सिफारिश की है कि वह फर्टिलाईजर्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर्स कारपोरेशन को बन्द करने के अपने पहले निर्णय को वापस लेने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान करे ताकि उनके पुनर्गठन के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जा सके। एच एम टी चिनार वाजेच के प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को इस परामर्श के साथ सौंपे गए थे कि कम्पनी की सापेक्षित क्षमता को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के पुनर्गठन के लिए स्पष्ट रणनीति तैयार की जा सके तथा इसे बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सके।

9.4 सरकारी क्षेत्र के 8 उद्यमों के संबंध में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की सिफारिशें निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:-

क्र.सं.	श्रेणी	सरकारी उद्यमों की संख्या
1	पुनरूद्धार पैकेज के माध्यम से पुनरूद्धार	5
2	पुनर्गठन पैकेज व विलय/अधिग्रहण के माध्यम से पुनरूद्धार	3
3	जोड़	8

9.5 बीआरपीएसई की स्थापना से दिसम्बर, 2007 तक 54 बैठकें हुई हैं तथा सरकारी क्षेत्र के 54 उद्यमों के प्रस्ताव पर विचार किया है। दिसम्बर 2007 तक बोर्ड ने सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों के मामले में अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दी हैं इसके अलावा बोर्ड ने सरकार से सिफारिश की है कि वह फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के एककों को बन्द करने के अपने पहले निर्णय को वापस लेने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान करे ताकि उनके पुनर्गठन के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जा सके।

9.6 सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों (परिशिष्ट-VII) के संबंध में बीआरपीएसई की सिफारिशें निम्नलिखित प्रमुख वर्गों के अंतर्गत आती हैं।

क्र.सं.	श्रेणी	सरकारी उद्यमों की संख्या
1.	पुनरूद्धार पैकेज के माध्यम से पुर्नस्थापना	35
2.	संयुक्त उद्यम/विभाग के माध्यम से पुर्नस्थापना	7
3.	विलय/अधिग्रहण द्वारा पुनर्गठन	4
4.	बन्द करना	2
	जोड़	48

9.7 अनुशंसित 48 मामलों में से सरकार ने सरकारी क्षेत्र के 29 उद्यमों के प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए हैं। इसके अलावा सरकार ने एफ सी आई एल तथा एच एफ सी एल के पुनर्गठन की संभावना की सैद्धांतिक रूप से जांच करने का निर्णय भी लिया है, बशर्ते कि गैस की उपलब्धता की पुष्टि हो।

9.8 बीआरपीएसई की अन्य मुख्य सिफारिशें

9.8.1 सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उद्यमों पर अपनी सिफारिशें देने के साथ-साथ बीआरपीएसई ने बैठक में घाटा उठाने वाले सरकारी उद्यमों के लिए शीर्ष प्रबन्धकीय प्रतिभा आकर्षित करने की योजना की सिफारिश की है, सरकार ने इस सिफारिश पर पहले ही विचार किया है तथा आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

अध्याय 10

परामर्श, पुर्नप्रशिक्षण तथा पुर्ननियोजन योजना

10.1 विशेषकर उदारवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, उद्यमों का पुनर्निमाण वैश्विक घटना है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों दोनों वृहद्ध अथवा सूक्ष्मस्तर, के पुनर्गठन पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया में श्रमशक्ति का यौक्तिकीकरण भी एक आवश्यकता बन गई है। लेकिन कुछ मामलों में इससे कामगारों का हित प्रभावित हुआ है। सरकार की नीति मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुधारों को क्रियान्वित करने की तथा प्रभावित कामगारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था करने की रही है।

10.2 सुरक्षा तंत्र की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्थूल तौर पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के व्यय को पूरा करने के लिए तथा संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को पुनर्प्रशिक्षण देने के लिए फरवरी, 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की थी। केन्द्रीय उद्यमों में चल रहे पुनर्गठन प्रयासों के मद्देनजर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रीत किया गया है। फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष (एन.आर.एफ.) को समाप्त कर दिया गया था। 31 मार्च, 2001 तक पुनर्प्रशिक्षण के कार्यकलाप औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा चलाए जाते थे। वर्ष 2001-02 से लोक उद्यम विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सी आर आर) की योजना लागू की गई थी।

10.3 अन्य बातों के साथ-साथ परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनिर्नियोजन (सी आर आर) योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- अल्पावधिक कार्यक्रमों के माध्यम से यौक्तिकीकृत कर्मचारियों का पुनरानुकूलन करना।
- उनको नये काम-धन्धे अपनाने के लिए तैयार करना।
- उन्हें आय अर्जित करने के लिए स्वरोजगार में लगाना।
- उत्पादनकारी प्रक्रिया अपनाने में उनकी सहायता करना।

सी आर आर कार्यक्रम के परामर्श, पुन:प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन मुख्य घटक हैं। इसके अलावा सी.आर.आर. कार्यक्रम में सुग्राहीरण का नया कारक भी जोड़ा गया है।

10.4 परामर्श से यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को संगठन छोड़ने का मानसिक आघात सहन करने, क्षतिपूर्ति सहित अपनी धनराशि का उचित प्रबन्ध करने, चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें प्रेरित करने तथा उत्पादनकारी प्रक्रिया में फिर से जुड़ने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार, पुनर्प्रशिक्षण उनकी निपुणता/विशेषज्ञता को सशक्त बनाता है। चयनित प्रशिक्षण संस्थान आवश्यकतानुसार 20/30/40 दिवसीय प्रशिक्षण करते हैं। संकाय सहायता आंतरिक और बाह्य, दोनों प्रकार की होती है तथा कक्षाओं में शैक्षणिक व्याख्यान के अतिरिक्त सम्बद्ध क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रशिक्षाणार्थी विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों से सम्पर्क करते हैं तथा परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने तथा अंतिम रूप देने में उनकी सहायता की जाती है। पुनर्प्रशिक्षण का ध्येय ज्यादातर स्वरोजगार के माध्यम से पुनर्नियोजन करना है। वर्तमान योजना में स्वरोजगार की दर को अधिकतम बनाने का उद्देश्य है। अत: नोडल अभिकरण आवश्यकता पर आधारित सहायता प्रदान करते हैं, ऋण संस्थानों के साथ संपर्क जोड़ते हैं तथा पुनर्प्रशिक्षित कार्मिकों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं।

10.5 सी आर आर कार्यक्रम का परिवीक्षण करने के लिए आंतरिक संरचना में लोक उद्यम विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरे तथा निरीक्षण इत्यादि शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर समन्वय समितियाँ भी गठित की गई हैं। योजना में संबंधित सरकारी विभागों/अभिकरणों/केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के चयनित सदस्यों सहित सचिव (लोक उद्यम) की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समीक्षा समिति का भी प्रावधान है।

10.6 नोडल प्रशिक्षण अभिकरणों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को परामर्श देने, उनका पुनरानुकूलन करने तथा प्रशिक्षण प्रदान करने,

पाठ्यक्रम/सामग्री का विकास करने, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने तथा बाजार सर्वेक्षण करने, प्रशिक्षण पश्चात अनुवर्ती कार्यक्रम करने, ऋण संस्थानों के साथ अंत: संबंध स्थापित करने, स्वरोजगार में सहायता प्रदान करने, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ नियमित संपर्क करने तथा समन्वयकारी समिति की बैठक बुलाने में दायित्वों का निष्पादन करना होता है।

10.7 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम (योजना) की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्हें पृथककृत कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने से पहले उनकी क्षतिपूर्ति/देयताओं का भुगतान करके उनके कल्याण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। कर्मचारियों के साथ लम्बे संबंधों के कारण केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम पुन: प्रशिक्षण संबंधी उनकी आवश्यकताओं को अभिज्ञात करने की बेहतर स्थिति में होते हैं।

10.8 वर्ष 2001-02 के दौरान प्रारंभिक रूप से 8 करोड़ रुपए की योजना राशि आबंटित की गई थी जिसे वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया था। वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान योजना राशि को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए कर दिया गया था तथा इसके बाद वर्ष 2006-07 के दौरान इस राशि को बढ़ाकर 31.50 करोड़ रुपए कर दिया गया था। वर्ष 2006-07 के दौरान 102 कर्मचारी सहायता केन्द्रों सहित 31 नोडल अभिकरण प्रचालनरत थे। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की वर्ष वार संख्या इस प्रकार है।

वर्ष	**प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या**
2001-02	8064
2002-03	12066
2003-04	12134
2004-05	28003
2005-06	32158
2006-07	34398
जोड़	**126823**

प्रचालनरत नोडल अभिकरणों की सूची परिशिष्ट-VIII पर दी गई है।

10.9 शून्य आधारित बजट प्रयास के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सी आर आर योजना संशोधित की गई है। इस योजना की व्याप्ति में सुधार करने के लिए तथा इसे प्रभावशाली बनाने के लिए इस योजना में निम्नलिखित संशोधन शामिल किए गए हैं:-

(i) यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प देने वाला व्यक्ति इच्छुक नहीं है तो उसके एक आश्रित पर विचार किया जा सकता है।

(ii) प्रशिक्षण की अवधि 20/30/40 दिनों से बढ़ाकर 30/45/60 दिन कर दिया गया है तथा व्यय प्रतिमानों को 5300 रुपए, 6600 रुपए तथा 7900 रुपए से संशोधित करके क्रमश: 7000 रुपए, 9000 रुपए तथा 11000 रुपए कर दिया गया है।

(iii) व्यय प्रतिमानों में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अलग से राशि निर्धारित की गई है।

(iv) प्रभावशाली लक्ष्य निर्धारण, मानीटरिंग तथा पुर्ननियोजन

बोकारो इस्पात संयंत्र, सेल से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प देने वाला एक कर्मचारी जिसे मध्यप्रदेश परामर्शदायी संगठन, भोपाल ने वर्ष 2006-07 के दौरान सी आर आर योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किया है। उन्होंने गत्ते के डिब्बे तथा लिफाफे बनाने का अपना व्यापार स्थापित किया है।

अध्याय 11

राजभाषा नीति

11.1 इस विभाग का हिन्दी अनुभाग मुख्यत: राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत उल्लिखित विविध प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। हिन्दी अनुभाग उन दस्तावेजों के अनुवाद के लिए भी उत्तरदायी है, जिन्हें राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किया जाना अपेक्षित है। चूंकि, इस विभाग के 80% से अधिक कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, इसलिए इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया है।

11.2 वर्ष 2007-08 के दौरान सभी अधिसूचनाओं, संकल्पों, सूचनाओं, परिपत्रों, संसद के सभा-पटल पर रखे जाने वाले कागजातों आदि को द्विभाषिक रूप में जारी किए गए हैं। हिन्दी में मूल पत्राचार बढ़ाए जाने हेतु प्रयास किए गए। लोक उद्यम विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति संयुक्त सचिव (लोक उद्यम) की अध्यक्षता में काम करती है।

11.3 राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा 25 सितम्बर से 9 अक्टूबर, 2007 तक ''हिन्दी पखवाड़ा'' आयोजित किया गया था। इस पखवाड़े के दौरान अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए विविध प्रतियोगिताओं यथा भाषण, निबंध लेखन, हिन्दी श्रुतलेख तथा हिन्दी टंकण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सचिव, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।

11.4 इस विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यचालन के सम्बंध में ''लोक उद्यम सर्वेक्षण'' नामक वार्षिक रिपोर्ट संसद में बजट सत्र के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाती है। यह एक विशाल एवं विस्तृत प्रलेख है, जिसे इस विभाग द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशित किया जाता है।

डॉ. रमेश चन्द्र पण्डा, सचिव भारी उद्योग एवं लोक उद्यम, हिन्दी पखवाड़ा 2007-08 के दौरान पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए

अध्याय 12

महिलाओं का कल्याण

12.1 भारतीय संविधान में लिंग की समानता का सिद्धांत प्रतिपादित हैं। संविधान न केवल महिलाओं के मामले में समानता का अधिकार प्रदान करता है, बल्कि सरकार को भी महिलाओं के हित में सकारात्मक विचारण की शक्ति सौंपता है।

12.2 लोक उद्यम विभाग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 127 है, जिनमें से 9 महिला कर्मचारियों सहित 92 अधिकारी/कर्मचारी हैं। लोक उद्यम विभाग ने स्वस्थ तथा सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है ताकि महिला कर्मचारी सम्मान, गरिमा के साथ और बिना किसी भय के अपने दायित्वों को निर्वहन कर सकें।

12.3 विभाग में कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, निरापद तथा स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करने के लिए एक महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन भी किया जा चुका है। यौन उत्पीड़न के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से इस विभाग में कार्यरत सभी व्यक्तियों को अवगत करा दिया गया है। लोक उद्यम विभाग ने 29 मई, 1998 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा विस्तृत दिशानिर्देशों एवं मानदण्डों के बारे में सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को अनुपालन तथा कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक हेतु सूचित कर दिया है।

लोक उद्यम विभाग का संगठनात्मक चार्ट

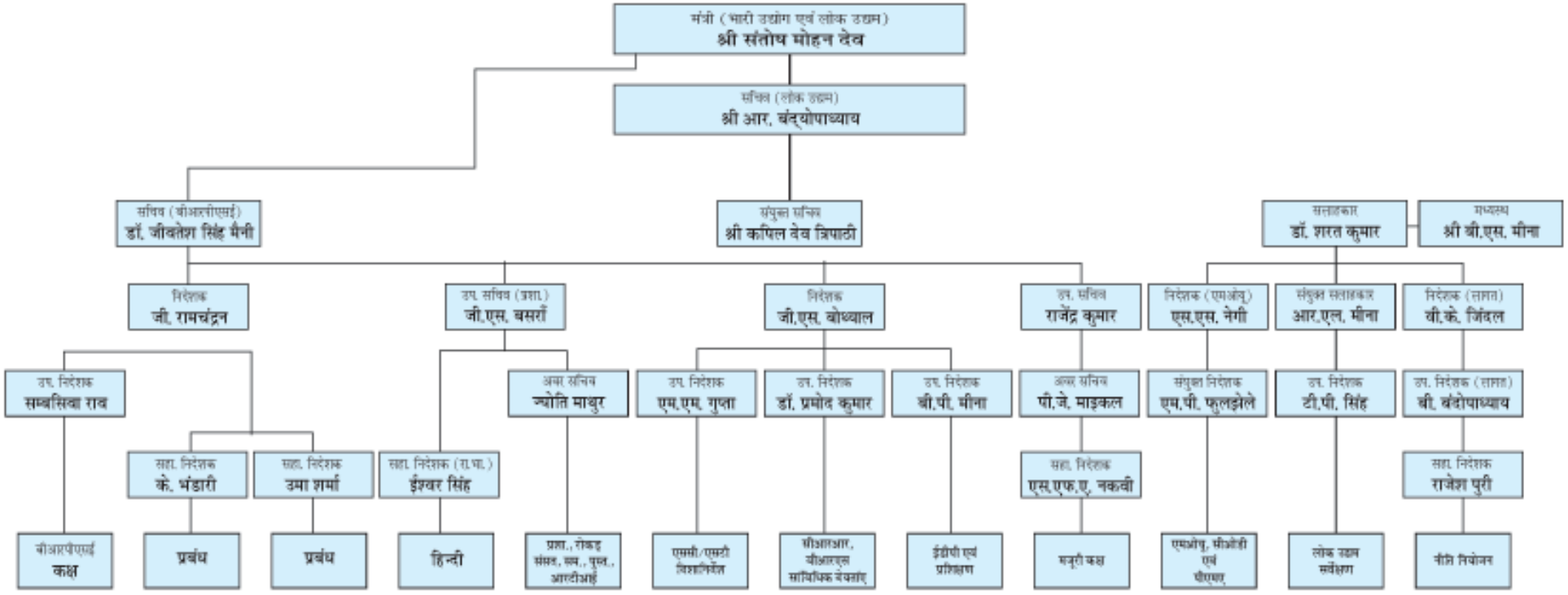

(लोक उद्यम विभाग में अलग से कोई अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार नहीं हैं। इस समय इस्पात मंत्रालय के अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार (श्री बी.एस. मीना) लोक उद्यम विभाग का कार्य भी देख रहे हैं)

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संयुक्त अंक (2006-07)

क्र. सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	समझौता ज्ञापन अंक	श्रेणीकरण
1.	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	1.09	उत्कृष्ट
2.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	2.85	अति उत्तम
3.	बामेर लारी एंड कंपनी लिमिटेड	1.36	उत्कृष्ट
4.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	1.39	उत्कृष्ट
5.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	1.60	अति उत्तम
6.	ऑयल इंडिया लिमिटेड	1.69	अति उत्तम
7.	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि.	2.74	उत्तम
8.	पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	1.00	उत्कृष्ट
9.	न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन लि.	1.47	उत्कृष्ट
10.	एनटीपीसी लि.	1.62	अति उत्तम
11.	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	1.72	अति उत्तम
12.	नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन लि.	1.97	अति उत्तम
13.	कोल इंडिया लि.	1.99	अति उत्तम
14.	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन लि.	2.22	अति उत्तम
15.	नेवली लिगनाईट कॉरपोरेशन लि.	2.64	उत्तम
16.	टिहरी हाईड्रोडवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.	4.24	संतोषजनक
17.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	1.00	उत्कृष्ट
18.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.	1.00	उत्कृष्ट
19.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड	1.07	उत्कृष्ट
20.	हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लि.	1.17	उत्कृष्ट
21.	भारत अर्थ मूवर्स लि.	1.36	उत्कृष्ट
22.	कर्नाटका एंटीबायो एंड फार्मा. लि.	2.21	अति उत्तम
23.	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	2.72	उत्तम
24.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	3.87	संतोषजनक
25.	मैंगनीज ओर (इंडिया) लि.	1.04	उत्कृष्ट
26.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	1.07	उत्कृष्ट
27.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लि.	1.26	उत्कृष्ट
28.	नेशनल एल्युमिनियम कं. लि.	1.40	उत्कृष्ट
29.	नेशनल मिनरल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.	1.427	उत्कृष्ट
30.	मिश्र धातु निगम लि.	1.47	उत्कृष्ट
31.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	1.59	अति उत्तम
32.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	1.64	अति उत्तम
33.	इंडियन रेयर अर्थ्स लि.	1.96	अति उत्तम
34.	यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2.90	उत्तम
35.	स्पन्ज आयरन इंडिया लिमिटेड	2.938	उत्तम
36.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि.	4.15	संतोषजनक

क्र. सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	समझौता ज्ञापन अंक	श्रेणीकरण
37.	इलैक्ट्रोनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	1.43	उत्कृष्ट
38.	राजस्थान इलैक्ट्रो. एण्ड इन्स्ट्रुमेन्टेशन लि.	1.47	उत्कृष्ट
39.	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि.	1.51	अति उत्तम
40.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	1.89	अति उत्तम
41.	सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	1.97	अति उत्तम
42.	रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	2.15	अति उत्तम
43.	भारत संचार निगम लि.	2.45	अति उत्तम
44.	टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेन्ट्स (इंडिया) लि.	3.47	उत्तम
45.	आई टी आई लि.	4.00	संतोषजनक
46.	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	1.06	उत्कृष्ट
47.	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	1.35	उत्कृष्ट
48.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	1.43	उत्कृष्ट
49.	कोचीन शिपयार्ड लि.	1.46	उत्कृष्ट
50.	एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया लि.	1.48	उत्कृष्ट
51.	एन्नौर पोर्ट लि.	1.54	अति उत्तम
52.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	1.69	अति उत्तम
53.	मझगांव डॉक लि.	1.77	अति उत्तम
54.	मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लि.	1.84	अति उत्तम
55.	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2.00	अति उत्तम
56.	कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड	2.02	अति उत्तम
57.	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लि.	1.00	उत्कृष्ट
58.	एमएमटीसी लि.	1.22	उत्कृष्ट
59.	पीईसी लिमिटेड	1.24	उत्कृष्ट
60.	एमएसटीसी लिमिटेड	1.85	अति उत्तम
61.	नेशनल हेन्डलूम्स डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.	2.16	अति उत्तम
62.	इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन	2.42	अति उत्तम
63.	कॉटन कॉरपोरेशन लि.	3.32	उत्तम
64.	फेरो स्क्रेप निगम लि.	3.48	उत्तम
65.	हैन्डीक्राफ्ट एंड हैन्डलूम्स एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लि.	4.31	संतोषजनक
66.	सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन लि.	1.37	उत्कृष्ट
67.	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लि.	1.44	उत्कृष्ट
68.	नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लि.	1.43	उत्कृष्ट
69.	नेशनल फर्टिलाईज़र्स लि.	1.22	उत्कृष्ट
70.	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन लि.	4.08	संतोषजनक
71.	राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाईजर्स लि.	1.17	उत्कृष्ट
72.	स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	1.98	अति उत्तम
73.	नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लि. (एनबीसीसी)	1.00	उत्कृष्ट
74.	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लि.	1.00	उत्कृष्ट
75.	नेशनल रिसर्च डेवलेपमंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	1.06	उत्कृष्ट

क्र. सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	समझौता ज्ञापन अंक	श्रेणीकरण
76.	वाटर एंड पॉवर कन्सलटेंसी सर्विस लि.	1.10	उत्कृष्ट
77.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	1.16	उत्कृष्ट
78.	राइट्स लिमिटेड	1.28	उत्कृष्ट
79.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलेममेंट इंडिया लि.	1.31	उत्कृष्ट
80.	इरकॉन इन्टरनेशनल लि.	1.32	उत्कृष्ट
81.	मेकॉन लि.	1.60	अति उत्तम
82.	नेशनल स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन	2.35	अति उत्तम
83.	एचएससीसी (इंडिया) लि.	2.50	अति उत्तम
84.	एजुकेशनल कन्सलटेन्ट्स (इंडिया) लि.	2.93	उत्तम
85.	पॉवर फाइनेन्स कॉरपोरेशन	1.00	उत्कृष्ट
86.	रूरल इनैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लि.	1.00	उत्कृष्ट
87.	इंडियन रेलवे फाईनेन्स कॉरपोरेशन लि.	1.00	उत्कृष्ट
88.	नेशनल बीसी फाईनेन्स एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन	1.00	उत्कृष्ट
89.	नेशनल माइनोरिटीज फाइनेन्स एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन	1.17	उत्कृष्ट
90.	एक्सपोर्ट क्रेडिस गारंटी कारपोरेशन (इंडिया) लि.	1.19	उत्कृष्ट
91.	नेशनल एस सी फाईनेन्स एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन	1.93	अति उत्तम
92.	नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनेन्स एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन	1.96	अति उत्तम
93.	इंडियन नवीकरणीय एनर्जी डेवलेपमेंट एजेन्सी लि.	2.65	उत्तम
94.	नेशनल एसटी फाईनेन्स एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन	3.32	उत्तम

उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची, जिन्होंने 2006-07 हेतु समझौता ज्ञापन निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की

क्र. सं.	सरकारी उद्यम का नाम
1.	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन लि.
2.	एचएमटी लि.
3.	इंडियन मेडिसिन फार्मा. लि.
4.	एन्ट्रिक्स कॉरपोरेशन लि.
5.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि.
6.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.
7.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजिन लि.
8.	इंडियन एयरलाइन्स लि.
9.	आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन लि.
10.	सेन्ट्रल कॉटेज इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि.
12.	भारत पर्यटन विकास डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.
13.	इंडियन रेलवे केटरिंग एंड पर्यटन निगम लि.
14.	पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.
15.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लि.
16.	ब्रॉडकॉस्ट इंजीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन (इंडिया) लि.
17.	आवास एवं शहरी विकास निगम
18.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
19.	इंजीनियर्स इंडिया लि.

वर्ष 2007-08 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सूची

1. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
2. बामेर लॉरी एंड कं. लिमिटेड
3. गेल (इंडिया) लिमिटेड
4. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
5. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6. ऑयल इंडिया लिमिटेड
7. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लि.
8. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन लि.
9. एनटीपीसी लि.
10. निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लि.
11. न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
12. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन लि.
13. पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड
15. टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.
16. भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि.
17. कोल इंडिया लिमिटेड
18. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
19. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
20. भारत डायनामिक्स लिमिटेड
21. भारत ऑप्थॉल्मिक ग्लास लि.
22. भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि.
23. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
24. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
25. एचएमटी लि.
26. हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लि.
27. भारत भारी उद्योग लि.
28. भारत यंत्र निगम लिमिटेड
29. इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
30. एन्ड्रयू यूले एंड कं. लि.
31. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट लिमिटेड
32. हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लि.
33. नेपा लि.
34. हिंदुस्तान लेटेक्स लि.
35. टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
36. हिंदुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्यू. कं. लि.
37. सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिन्टिंग कॉरपोरेशन इंडिया लि.
38. भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बॉयोलॉजिकल लि.
39. सीमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
40. हिंदुस्तान एन्टीबॉयोटिक लि.
41. हिंदुस्तान साल्ट्स लि.
42. इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कॉरपोरेशन लि.
43. हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि.
44. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मा. लि.
45. हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स लि.
46. फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड
47. नेशनल हेन्डलूम डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.
48. एनटीसी (होल्डिंग) लि.
49. ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड
50. हिंदुस्तान वेजीटेबल ऑयल कॉरपोरेशन लि.
51. इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड
52. कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लिमिटेड
53. मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड
54. मिश्रधातु निगम लिमिटेड
55. नेशनल मिनरल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
56. नेशनल एल्युमिनियम कं. लिमिटेड
57. मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
58. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
59. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
60. यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
61. हिंदुस्तान कॉपर लि.
62. स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड
63. भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड
64. भारत संचार निगम लिमिटेड
65. इलैक्ट्रोनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
66. सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड
67. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
68. राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट लिमिटेड
69. रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
70. टेलीकम्युनिकेशन कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड

71. आईटीआई लि.
72. हिंदुस्तान केबल्स लि.
73. नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेस इन्कारपोरेटिड
74. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
75. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
76. कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
77. ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
78. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड
79. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
80. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
81. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.
82. कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
83. मझगांव डॉक्स लिमिटेड
84. मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड
85. शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
86. एन्नौर पोर्ट लिमिटेड
87. एयर इंडिया लि.
88. पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड
89. इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड
90. सेतुसमुन्द्रम कॉरपोरेशन लि.
91. रेल विकास निगम लि.
92. सेन्ट्रल कॉटेज इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
93. कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
94. हैन्डीक्राफ्ट्स एंड हेन्डलूम्स एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
95. हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
96. इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन
97. भारतीय पर्यटन विकास निगम
98. एमएमटीसी लिमिटेड
99. एमएसटीसी लिमिटेड
100. पीईसी लिमिटेड
101. भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड
102. उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प व हथकरघा विकास निगम लि.
103. एन्ट्रिक्स कॉरपोरेशन लि.
104. ब्रह्मपुत्र वेली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन
105. एफसीआई अरावली जिम्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लि.
106. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लि.
107. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
108. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
109. स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन लि.
110. नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लि.
111. एफएसीटी लिमिटेड
112. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
113. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं पौध रोपण विभाग निगम लि.
114. सेन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन लि.
115. भारतीय खाद्य निगम लि.
116. ब्रॉडकॉस्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड
117. एजुकेशनल कन्सलटेंट्स ऑफ (इंडिया) लि.
118. नेशनल रिसर्च डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
119. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
120. एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
121. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
122. मेकॉन लिमिटेड
123. नेशनल स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन
124. नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लि.
125. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
126. राइट्स लिमिटेड
127. वाटर एंड पॉवर कन्सलटेन्सी सर्विसिज (इंडिया) लि.
128. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड
129. नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड
130. हिंदुस्तान प्रीफेब्स लि.
131. भारतीय निर्यात ऋण प्रतिभूति निगम लि.
132. आवास एवं शहरी विकास निगम
133. भारतीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी
134. इंडियन रेलवे फाईनेन्स कॉरपोरेशन लि.
135. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
136. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.
137. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
138. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
139. विद्युत वित्त निगम लि.
140. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
141. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम लि.
142. नेशनल हेन्डीकैप्ड वित्त एवं विकास निगम
143. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम लि.

वर्ष 2006-07 हेतु समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार
(समूह-वार)

क्र. सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	समझौता ज्ञापन अंक	समूह
1.	पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	1.00	ऊर्जा
2.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.	1.00	उद्योग
3.	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	1.00	व्यापार
4.	नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लि.	1.00	परामर्शी सेवाएं
5.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1.00	वित्तीय सेवाएं
6.	मैंगनीज ओर इंडिया लि.	1.04	खनन एवं धातु
7.	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	1.06	परिवहन
8.	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.	1.09	पेट्रोलियम
9.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	1.17	उर्वरक
10.	इलैक्ट्रोनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	1.43	इलैक्ट्रोनिक्स/संचार

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की अनुसूची - वार सूची
31 दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची - क

1. एयर इंडिया लि.
2. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
3. भारत भारी उद्योग निगम लि.
4. भारत अर्थ मूवर्स लि.
5. भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि.
6. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.
7. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.
8. भारत संचार निगम लि.
9. भारत यंत्र निगम लि.
10. कोल इंडिया लि.
11. कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
12. डेडीकेटिड फ्रेट कॉरिडोर (एसपीवी)
13. इलैक्ट्रोनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
14. इंजीनियर्स इंडिया लि.
15. फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि.
16. भारतीय खाद्य निगम
17. गेल (इंडिया) लि.
18. हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लि.
19. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.
20. हिन्दुस्तान कॉपर लि.
21. हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लि.
22. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.
23. एचएमटी लि.
24. आवास एवं शहरी विकास निगम लि.
25. आईटीआई लि.
26. इंडियन एयरलाइन्स लि.
27. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि.
28. इरकॉन इंटरनेशनल लि.
29. कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लि.
30. कुद्रेमुख आयरन ओर कपनी लि.
31. एम एम टी सी लि.
32. महानगर टेलीफोन निगम लि.
33. मझगांव डॉक लि.
34. मेटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इंडिया) लि.
35. मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन लि.
36. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.
37. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
38. नेशनल हाईड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन लि.
39. नेशनल मिनरल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.
40. नेशनल टेक्सटाईल कॉरपोरेशन लि.
41. एनटीपीसी लि.
42. नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लि.
43. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लि.
44. ऑयल इंडिया लि.
45. पॉवर फाईनेन्स कॉरपोरेशन
46. पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
47. राइट्स लि.
48. रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
49. रेल विकास निगम लि.
50. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.
51. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
52. रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लि.
53. सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिन्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
54. शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
55. स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
56. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.
57. टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स (इंडिया) लि.

अनुसूची - ख

1. एन्ड्रयू यूले एंड कंपनी लि.
2. बामेर लॉरी एंड कंपनी लि.
3. भारत कोकिंग कोल लि.
4. भारत डायनामिक्स लि.
5. भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लि.
6. भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लि.
7. बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.
8. ब्रह्मपुत्र वेली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लि.
9. ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.
10. ब्रेथवेट, बर्न एंड जोसेफ कन्स्ट्रक्शन लि.
11. ब्रिज एंड रुफ कंपनी (इंडिया) लि.
12. ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि.
13. बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि.
14. सीमेण्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
15. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.
16. सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि.
17. सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.
18. सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन
19. चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.
20. कोचीन शिपयार्ड लि.

21. कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
22. ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
23. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
24. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.
25. एन्नौर पोर्ट लि.
26. फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
27. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि.
28. गोवा शिपयार्ड लि.
29. गुरू गोबिन्द सिंह रिफाइनरी लि.
30. हैन्डीक्राफ्ट्स एंड हेन्डलूम्स एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लि.
31. हिंदुस्तान केबल्स लि.
32. हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लि.
33. हिंदुस्तान लेटेक्स लि.
34. हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लि.
35. हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.
36. हिंदुस्तान शिपयार्ड लि.
37. हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि.
38. हिंदुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कॉरपोरेशन लि.
39. एचएमटी (इंडिया) लि.
40. एचएमटी (एमटी) लि.
41. एचएमटी (वॉचेज) लि.
42. आईबीपी कं. लि.
43. इंडिया टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.
44. इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन
45. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.
46. इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लि.
47. इंडियन रेलवे फाइनेन्स कॉरपोरेशन लि.
48. इंडियन रेयर अर्थ्स लि.
49. इन्स्ट्रुमेंटेशन लि.
50. एम एस टी सी लि.
51. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.
52. महानदी कोलफील्ड्स लि.
53. मंगलौर रिफाइनरीज पेट्रोकेमिकल्स लि.
54. मैंगनीज ओर (इंडिया) लि.
55. मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लि.
56. मिश्र धातु निगम लि.
57. नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लि.
58. नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरर्स कॉरपोरेशन लि.
59. नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लि.
60. नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.
61. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन लि.
62. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि.
63. नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लि.
64. ओएनजीसी विदेश लि.
65. पीईसी लि.
66. पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लि.
67. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लि.
68. सतलुज जल विद्युत निगम लि.
69. स्कूटर्स इंडिया लि.
70. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
71. टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.
72. टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
73. यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
74. वाटर एंड पॉवर कन्सलटेंसी सर्विसिज (इंडिया) लि.
75. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

अनुसूची - ग

1. एयरलाइन्स एलाइड सर्विसेज लि.
2. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं पौध रोपण विभाग निगम लि.
3. आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
4. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.
5. भारत ऑप्थालमिक ग्लास लि.
6. भारत पेट्रो रिसॉर्स लि.
7. भारत रिफ्रक्टरीज लि.
8. भारत वेंगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लि.
9. बीको लारी लि.
10. ब्राडकॉस्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स इंडिया लि.
11. सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
12. सेन्ट्रल इन्लैन्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लि.
13. एजुकेशनल कन्सलटेंट्स (इंडिया) लि.
14. एफसीआई अरावली जिम्सम एंड मिनरल इंडिया लि.
15. फेरो स्क्रैप निगम लि.
16. हिंदुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि.
17. हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि.
18. हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन लि.
19. हिंदुस्तान साल्ट्स लि.
20. एचएमटी (बियरिंग्स) लि.
21. एचएमटी (चिनार वाचेज) लि.
22. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.
23. एचएससीसी (इंडिया) लि.
24. होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
25. इंडियन पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा डेवलेपमेंट एजेन्सी लि.
26. जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
27. नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लि.
28. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एवं वित्त विकास निगम
29. नेशनल फिल्म डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.
30. राष्ट्रीय विकलांग एवं वित्त विकास निगम
31. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि.
32. नेशनल इन्स्ट्रुमेंट्स लि.

33. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक एवं वित्त विकास निगम
34. भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम
35. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी एवं वित्त विकास निगम
36. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम
37. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम
38. राष्ट्रीय बीज निगम लि.
39. नेपा लि.
40. नॉर्थ ईस्टर्न हैन्डीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.
41. नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लि.
42. प्रागा टूल्स लि.
43. पायराइट्स, फोस्फेट्स एंड केमिकल्स लि.
44. राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लि.
45. रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि.
46. एसटीसीएल लि.
47. स्पंज आयरन इंडिया लि.
48. स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
49. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.
50. तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लि.

अनुसूची - घ

1. हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड
2. हिंदुस्तान प्रीफैब लि.
3. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉरपोरेशन लि.
4. कर्नाटक एन्टीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.
5. उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लि.
6. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.

अन्य - अवर्गीकृत

1. अकलतारा पॉवर लि.
2. एयरइंडिया एयरट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि.
3. एयर इंडिया चार्टर्स लि.
4. एन्ट्रिक्स कॉरपोरेशन लि.
5. असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.
6. बीईएल ऑप्ट्रोनिक्स लि.
7. बामेर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लि.
8. भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लि.
9. भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि.
10. भारत पेट्रो रिसार्सिस जेडीपीए
11. बिहार ड्रग्स एंड आर्गेनिक केमिकल्स लि.
12. बड्र्स, जूट एंड एक्सपोर्ट्स लि.
13. बोकारो-कोडरमा मैथोन ट्रांसमिशन क. लि.
14. ब्रुशवेयर लि.
15. बर्नहाट ट्रांसमिशन कं. लि.
16. सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लि.
17. कोस्टल आंध्र पॉवर लि.
18. कोस्टल गुजरात पॉवर लि.
19. कोस्टल कर्नाटक पॉवर लि.
20. कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पॉवर लि.
21. कोस्टल तमिलनाडु पॉवर लि.
22. दोनई पोलो अशोक होटल लि.
23. ईस्ट-नॉर्थ इंटरकनेक्शन कं. लि.
24. एक्सपो क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
25. फ्रेश-हेल्दी इंटरप्राइजिज लि.
26. हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि.
27. आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि.
28. आईएल पॉवर इलैक्ट्रोनिक्स लि.
29. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेन्स कं. लि.
30. इंडियन ऑयल टेक्नोलॉजिज लि.
31. इंडियन वैक्सीन कॉरपोरेशन लि.
32. इन्स्ट्रूमेंटेशन कण्ट्रोल वाल्व्ज लि.
33. इन्स्ट्रूमेंटेशन डिजिटल कण्ट्रोल लि.
34. झारखंड इंटेग्रेटिड पॉवर लि.
35. जे एंड के मिनरल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.
36. कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन लि.
37. कुमाराकुप्पा फ्रंटियर होटल्स लि.
38. मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.
39. महाराष्ट्र इलैक्ट्रोजमेल्ट लि.
40. मिलेनियम टेलिकोम लि.
41. नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.
42. नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इन्कार्पोरेटिड
43. एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कं. लि.
44. एनटीपीसी हाइड्रो लि.
45. एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.
46. न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
47. उड़ीसा इंटीग्रेटिड पॉवर लि.
48. पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लि.
49. पीपावाव पॉवर डेवलेपमेंट कं. लि.
50. पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.
51. पंजाब अशोक होटल कंपनी लि.
52. रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लि.
53. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कं. लि.
54. सांभर साल्ट्स लि.
55. सासन पॉवर लि.
56. सेतुसमुंद्रम कॉरपोरेशन लि.
57. तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन
58. उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.
59. वैशाली पॉवर जेनेरेटिंग कं. लि.
60. विगनयन इन्डस्ट्रीज लि.

उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची, जिनके प्रस्ताव बीआरपीएसई द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं

क्र.सं.	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/ केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	
भारी उद्योग विभाग		
1.	हिंदुस्तान साल्ट्स लि., जयपुर, राजस्थान	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
2.	ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
3.	बीबीजे कन्स्ट्रक्शन कं. लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
4.	टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
5.	एचएमटी बियरिंग्स लि., हैदराबाद, आ. प्र.	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
6.	प्रागा टूल्स लि., सिकन्दराबाद, आ. प्र.	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
7.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
8.	नेपा लि., नेपा नगर, म.प्र.	सरकारी उद्यम/विनिवेश के द्वारा पुनरुद्धार
9.	रिचर्डसन एंड क्रूडास लि., मुंबई	सरकारी उद्यम/विनिवेश के द्वारा पुनरुद्धार
10.	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लि., बेल्लारी, कर्नाटक	सरकारी उद्यम/विनिवेश के द्वारा पुनरुद्धार
11.	भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कं. लि., पटना, बिहार	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
12.	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लि., इलाहाबाद, उ.प्र.	सरकारी उद्यम/विनिवेश के द्वारा पुनरुद्धार
13.	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., दिल्ली	गैर-प्रचालन यूनिट बंद कर दी जाए। अन्य प्रचालन यूनिटों का सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार होगा।
14.	भारत आप्थालमिक ग्लास लि.	बंद
15.	एचएमटी मशीन टूल्स लि., बंगलौर, कर्नाटक	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
16.	हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लि., रांची, झारखंड	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
17.	एन्ड्रयू यूले एंड कं. लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
18.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा, राजस्थान	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
19.	भारत यंत्र निगम लि.	बंद
20.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि., इलाहाबाद, उ.प्र.	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
21.	एचएमटी लि., बंगलौर	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
22.	एचएमटी वाचेज लि., बंगलौर	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार-बंगलौर यूनिट बंद करना रानीबाग यूनिट को बंद करने से पहले राज्य सरकार को स्थानांतरण करना।
23.	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लि., विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	वित्तीय पुनर्निर्माण एवं बीएचईएल द्वारा अधिग्रहण करके पुनरुद्धार
24.	ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि., कानपुर, उ.प्र.	संयुक्त उद्यम/विनिवेश के द्वारा पुनरुद्धार
25.	नेशनल टेक्सटाईल्स कॉरपोरेशन लि. व इसकी सहायक कंपनियाँ, दिल्ली एवं अन्य राज्य	15 मिलों का सरकारी उद्यम यूनिटों के रूप में तथा 19 मिलों का संयुक्त उद्यम के द्वारा पुनरुद्धार

26.	नेशलन जूट मैन्युफैक्चर्स कॉरपोरेशन लि.	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
उर्वरक विभाग		
27.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि., मनाली, तमिलनाडु	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
28.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लि., कोच्ची, केरल	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
नौवहन विभाग		
29.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि., कोलकाता	संयुक्त उद्यम/विनिवेश के द्वारा पुनरुद्धार
30.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लि., दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
31.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि. कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग		
32.	हिंदुस्तान एन्टी बायोटिक्स लि., पूणे, महाराष्ट्र	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
33.	हिंदुस्तान आर्गेनिगक केमिकल्स लि., मुंबई	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
34.	हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि., दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
35.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मस्युटिकल्स लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
36.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि., गुडगांव, हरियाणा	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
37.	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि., चेन्नई	आईडीपीएल के साथ विलय
38.	बिहार ड्रग्स एंड आर्गेनिक केमिकल्स लि., मुजफ्फरपुर, बिहार	आईडीपीएल के साथ विलय
कोयला मंत्रालय		
39.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., बर्दवान, पं. बंगाल	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
खान मंत्रालय		
40.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लि., नागपुर, महाराष्ट्र	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
41.	हिंदुस्तान कॉपर लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग		
42.	सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि., दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
जल संसाधन मंत्रालय		
43.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लि., दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
इस्पात मंत्रालय		
44.	मेकॉन लि., रांची, झारखंड	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
45.	भारत रिफ्रेक्टोरीज लि., बोकारो, झारखंड	वित्तीय पुनर्निर्माण एवं सेल के साथ विलय करके पुनरुद्धार
कृषि एवं सहकारिता विभाग		
46.	स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
47.	बीको लॉरी लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
रेल मंत्रालय		
48.	कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लि., दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरुद्धार

प्रचालनात्मक नोडल एजेंसियों की सूची

क्र. सं.	एजेंन्सी का नाम
1.	एसोसिएटिड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचेम), दिल्ली
2.	सीपेट, चेन्नई
3.	सीपेट, भुवनेश्वर
4.	सीपेट, अमृतसर
5.	सीपेट, हाजीपुर
6.	सीपेट, गुवाहाटी
7.	सेन्ट्रल लेदर रिसर्च इंस्टिट्यूट, चेन्नई
8.	सेन्टर फॉर डेवलेपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, मोहाली, (चंडीगढ़)
9.	सीएमसी लि.
10.	इलैक्ट्रोनिक्स सर्विसेज एंड ट्रेनिंग सेन्टर, रामनगर
11.	इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, कोलकाता
12.	इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरप्रीन्योरशिप डेवलेपमेंट, पटना
13.	इंस्टिट्यूट ऑफ लेबर डेवलेपमेंट, जयपुर
14.	कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ इण्डस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी), भुवनेश्वर
15.	मध्य प्रदेश कन्सलटेंसी ऑर्गेनाईजेशन
16.	मिटकॉन, पूणे
17.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्मॉल इन्डस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग (एनआईएसआईईटी), हैदराबाद
18.	नेशनल प्रॉडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली
19.	नेशनल स्कूल ऑफ कम्प्यूटर एजुकेशन, कोलकाता
20.	नेशनल स्मॉल इंन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि., नई दिल्ली
21.	निटरा, गाजियाबाद
22.	स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टिट्यूट, बंगलौर
23.	स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टिट्यूट, चेन्नई
24.	स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टिट्यूट, कोयम्बटूर
25.	स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टिट्यूट, इंदौर
26.	स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टिट्यूट, कानपुर
27.	स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टिट्यूट, कोलकाता
28.	स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टिट्यूट, पटना
29.	स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टिट्यूट, रायपुर
30.	यू.पी. इण्डस्ट्रियल कन्सलटेंट्स लि., कानपुर
31.	अकादमी सबर्बिया, कोलकाता

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार